बी०टी०सी० तृतीय सेमेस्टर

सामान्य विषय – 03

सामाजिक अध्ययन

राज्य शिक्षा संस्थान, उ०प्र०,
इलाहाबाद

www.dietmathura.org

Downloaded From www.dietmathura.org

बी0टी0सी0 तृतीय सेमेस्टर

मुख्य संरक्षक : **श्री एच0एल0गुप्ता,** आई.ए.एस., सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, शासन, लखनऊ

संरक्षक : **श्रीमती शीतल वर्मा,** आई.ए.एस. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ

निर्देशन : **श्री सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह, निदेशक,** राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0

समन्वयन : **श्री दिब्यकान्त शुक्ल, प्राचार्य,** राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद

परामर्श : **श्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक,** (एस0एस0ए0) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

लेखक : श्रीमती सुषमा यादव, श्रीमती नीलम मिश्रा, श्रीमती मंजुलेश विश्वकर्मा, डॉ0 संध्या सिंह, श्रीमती उषा अग्रवाल, श्रीमती निहारिका कुमार, श्रीमती दीपा मिश्रा, श्रीमती अंशिका यादव, श्री केशव कुमार, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती अस्मत नीलो अन्सारी, श्रीमती शाबाना परवीन, श्रीमती अनिल कुमारी शुक्ला, सुमिता, श्रीमती परमजीत गौतम, श्रीमती अरुणा, श्रीमती दीपिका यादव, श्रीमती सुनीता उपाध्याय, श्रीमती जया शुक्ला, श्री अशोक कुमार।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग : राजेश कुमार यादव

www.dietmathura.org

Downloaded From www.dietmathura.org

सामाजिक अध्ययन

कक्षा शिक्षण : विषयवस्तु

- भारत में मुगल साम्राज्य–बाबर, हुमायूँ व उसकी स्वदेश को पुनः वापसी–शेरशाह का उदय, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब व मुगल साम्राज्य का पतन।
- मुगलों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्र में योगदान।
- मराठा शक्ति का अभ्युदय–शिवाजी, अठ्ठारहवी शताब्दी में भारत की स्थिति
- भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश एवं ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी।
- भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष– प्रथम, द्वितीय व तृतीय कर्नाटक युद्ध, डूप्ले की नीति, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि।
- भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना–राबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्ज, लार्ड कार्नवालिस, लार्ड वेलेजली, लार्ड विलियम बेंटिक, लार्ड डलहौजी।
- जीव मण्डल–प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन (शीत कटिबन्धीय प्रदेश, उष्ण कटिबन्धीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबन्धीय प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, जीवजन्तु, मानव जीवन), उद्योग धंधे।
- भूखण्डों का विभाजन–एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका–सामान्य परिचय, जनसंख्या का विस्तार एवं घटक।
- विश्व में–प्राकृतिक संसाधन, यातायात तथा संचार के साधन, खनिज सम्पदा।
- मनुष्य की आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न की दिशा में प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग एवं संरक्षण।
- हमारा भारत–प्राकृतिक एवं राजनैतिक इकाईयां, हमारी प्राकृतिक सम्पदा और उनका सदुपयोग।
- हमारी खनिज सम्पदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई, आयात–निर्यात।
- सरकार के अंग–शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा– केन्द्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के प्रमुख विषय।

Downloaded From www.dietmathura.org

❖ संसद

- लोकसभा—सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन व कार्य।
- राज्यसभा— सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन व कार्य।
- राष्ट्रपति—चुनाव, कार्यकाल, महाभियोग, शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद्।
- कानून बनाने की प्रक्रिया—साधारण बहुमत, विशेष बहुमत।

❖ कार्यपालिका— प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद्—चुनाव कार्य, संसद का मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण।

❖ न्यायपालिका—न्यायालय के प्रकार—

- जनपद स्तरीय न्यायालय
- उच्च न्यायालय
- उच्चतम न्यायालय

❖ न्यायाधीशों की योग्यताएं, कार्यकाल

- उच्चतम न्यायालय के अधिकार
- लोक अदालत
- जनहित वाद

❖ भारतीय वित्त व्यवस्था व बजट—कर व उसके प्रकार, केन्द्र व राज्यों के मध्य करों का बँटवारा, केन्द्र सरकार की आय—व्यय के स्रोत, राज्य सरकार की आय—व्यय की मदें, सरकार द्वारा शिक्षा के दृष्टिकोण से बजट— 2013—14 में रखे गये बिन्दु।

❖ पंचवर्षीय योजनाएं—क्या, पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य बिन्दु, वर्तमान में 12 वीं पंचवर्षीय योजना— विशेषकर शिक्षा के दृष्टिकोण से।

❖ भारतीय आधुनिक बैंकिग व्यवस्था—बैंक व उनके प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, ई—बैंकिग,बैंको का राष्ट्रीयकरण व निजीकरण, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व।

Downloaded From www.dietmathura.org

मुगल साम्राज्य की स्थापना

मुगल काल को भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक नई शुरूआत के रूप में देखा जाता है। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में वह गद्दी पर बैठा। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य तुर्की नस्ल के चगताई तुर्क वंश का था। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज्बेगों से बार–बार पराजय तथा शक्तिशाली सफवी वंश के भय का प्रतिफल था। बाबर ने अपने चाचा अर्थात् बुखारा एवं समरकन्द के शासक अहमद मिर्जा से समरकन्द का क्षेत्र छीनना चाहा। समरकन्द फरगना की सीमा के निकट था, जिस पर अधिकार के पश्चात् पश्चिम की तरफ से फरगना राज्य सुरक्षित हो जाता।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- मुगल साम्राज्य की स्थापना
- बाबर
- पानीपत का प्रथम युद्ध
- हुमायूँ
- हुमायूँ की स्वदेश को पुनः वापसी

बाबर अपने ***"तुजुक–ए–बाबरी"*** में लिखता है कि 'काबुल की विजय से लेकर पानीपत की लड़ाई तक वह निरन्तर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का स्वप्न देखता रहा। बाबर ने अपनी पानीपत विजय से पूर्व भारत पर चार बार आक्रमण किया था। भारत पर बाबर के आक्रमण के निम्न उद्देश्य थे–

- भारत की राजनीति स्थिति उसके अनुकूल थी जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिये उत्साहित कर रही थी।
- वह तैमूर का उत्तराधिकारी होने के नाते इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था।
- काबुल, कन्धार और बदख्शाँ के क्षेत्र से उसका प्रशासनिक खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा था।

पानीपत का प्रथम युद्ध

1526 ई0 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें एकता का अभाव व अकुशल नेतृत्व के कारण लोदी की पराजय हुयी। 1530 ई0 को बाबर ने अपने चार पुत्रों (हुमायूँ, कामरान, अस्करी और हिन्दाल) में हुमायूँ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 26 दिसम्बर 1530 ई0 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गयी।

इन्हें भी जाने

- खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के बीच 1527 में लड़ा गया।
- चन्देरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था।
- घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया।

हुमायूँ

हुमायूँ बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था 23 वर्ष की आयु में वह हिन्दुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हुमायूँ मुगल शासकों में एकमात्र शासक था, जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। हुमायूँ की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिये लगातार प्रयत्नशील थे। हुमायूँ का समकालीन शत्रु अफगान शेर खाँ था, जो शेरशाह सूरी के नाम से

Downloaded From www.dietmathura.org

विख्यात था। 1539 ई0 में हुमायूँ व शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूँ की पराजय हुई। 1540 ई0 को बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूँ को पुनः पराजित किया व हिन्दुस्तान के तख्त पर अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में पराजय के पश्चात हुमायूँ 1553 ई0 तक हिन्दुस्तान से बाहर निर्वासित जीवन जीने के लिये मजबूर हो गया।

हुमायूँ की स्वदेश को पुनः वापसी

1545 ई0 में हुमायूँ ने काबुल और कन्धार पर अधिकार कर लिया। हिन्दुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए वह 1554 ई0 को पेशावर पहुँचा व 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित करके सम्पूर्ण पंजाब पर पुनः अधिकार कर लिया। 22 जून, 1555 ई0 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिन्द नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकन्दर सूर तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खाँ ने किया। सरहिन्द के युद्ध में मुगलों की विजय ने उन्हें भारत का राजसिंहासन एक बार फिर प्रदान कर दिया। पुनः 1555 में हुमायूँ दिल्ली के तख्त पर बैठा किन्तु अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। दुर्भाग्य से एक दिन जब वह दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी गिरकर मर गया। *लेनपूल का कथन है कि ''हुमायूँ जीवनभर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी''।*

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. तुजुक–ए–बाबरी की रचना किसने की ?
   (क) हुमायूँ (ख) अकबर
   (ग) बाबर (घ) इनमें से कोई नही
2. खानवा का युद्ध कब लड़ा गया ?
   (क) 1530 (ख) 1527
   (ग) 1540 (घ) 1528
3. पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया ?
   (क) 1530 (ख) 1532
   (ग) 1526 (घ) 1524

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. खानवा का युद्ध किस–किस के बीच लड़ा गया ?
2. मुगल वंश का संस्थापक कौन था ?
3. घाघरा का युद्ध किस–किस के बीच लड़ा गया ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. प्रशिक्षु चर्चा करें कि मुगल साम्राज्य की स्थापना व उसे स्थायित्व प्रदान करने में बाबर की क्या भूमिका थी।

Downloaded From www.dietmathura.org

सूर साम्राज्य

शेरशाह का उदय

शेरशाह का जन्म 1472 ई0 (कानूनगो के अनुसार 1486 ई0) में बैजवाड़ा (होशियारपुर) नामक स्थान पर हसन की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। इसके बचपन का नाम 'फरीद' था। दूसरे अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है, हुमायूँ को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करने के बाद वह उत्तर भारत का सर्वोच्च नेता बन गया। उसके अधिकार क्षेत्र में बंगाल से सिंधु तक का क्षेत्र सम्मिलित था। शेरशाह को एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु
- शेरशाह का उदय
- अकबर
- जहाँगीर
- शाहजहाँ
- औरंगजेब
- मुगल साम्राज्य का पतन
- मुगल प्रशासन
- सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशा

शेरशाह का केन्द्रीय प्रशासन अत्यन्त केन्द्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान था और सम्पूर्ण शक्तियाँ उसी में केन्द्रित थीं। उसने अपने सम्पूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। प्रत्येक इक्ता या सूबा अनेक सरकारों में बँटा होता था। प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारी थे (1) शिकदार–ए–शिकदारान (2) मुन्सिफ–ए–मुंसिफान। शिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था और उसका कार्य परगने में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था। मुसिंफ दीवानी मुकदमों का निर्णय व भूमि की नाप, लगान व्यवस्था देखता था। केन्द्रीय सरकार की आय का मुख्य स्रोत लगान, व्यापारिक कर, नमक कर आदि थे। शेरशाह एक न्याय प्रिय शासक था। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। उसकी मुद्रा व्यवस्था अत्यन्त विकसित थी। कानूनगो ने शेरशाह के शासन प्रबन्ध की बड़ी प्रशंसा की है।

चर्चा के प्रमुख बिन्दु

1. शेरशाह को अपने राजस्व सुधारों के लिये सबसे अधिक याद किया जाता है विवेचना कीजिए।

अकबर महान (1556–1605)

मुगल साम्राज्य को वास्तव में भारत में स्थापित करने, उसका विस्तार करने व उसे स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय अकबर को है। इसके अतिरिक्त राजस्व और शासन में जिन नवीन और उदार सिद्धान्तों का उसने प्रतिपादन किया वह उसे भारत के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के महान शासकों में स्थान प्रदान करता है। ***लेनपूल–" वह भारतीय बादशाहों में सबसे महान था"।***

Downloaded From www.dietmathura.org

अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 1542 ई0 में हुआ था। हुमायूँ की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकन्दर सूर से युद्ध कर रहा था। उसका राज्याभिषेक बैरम खाँ की देख–रेख में पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 1556 ई0 में हुआ था। अकबर की प्रारम्भिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैरम खाँ का सबसे बड़ा योगदान था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के वकील व संरक्षक बैरम खाँ और मोहम्मद आदिलशाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू (जिसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया) के बीच हुआ था।

अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिये दक्षिण नीति, राजपूत नीति व धार्मिक नीति का सहारा लिया। अकबर एक कुशल सैनिक व प्रतिभाशाली सेनापति था। अकबर ने जिस उदार और नवीन सिद्धान्तों को जन्म दिया उनमें सर्वप्रमुख हिन्दू और मुसलमानों को निकट लाने का था। उसकी सुलहकुल (सभी के प्रति शान्ति) की नीति ने राज्य और धर्म को पृथक करने का प्रयत्न किया। 1579 ई0 में अकबर ने 'महजर' को जारी किया जिसके अनुसार भारत में इस्लाम धर्म से सम्बन्धित विवादों के बारे में निर्णय करने का अधिकार स्वयं अकबर ने लिया। उसने समान न्याय, निष्पक्ष कानून व समान शासन प्रणाली को अपना कर भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाये रखने का प्रयास किया।

इन्हें भी जाने

- 1562–दास प्रथा का अन्त
- 1563–तीर्थयात्रा कर समाप्त
- 1564–जजिया कर समाप्त
- 1582–दीन–ए–इलाही की घोषणा
- 1583–पशुवध निषेध

चर्चा के प्रमुख बिन्दु–

1. अकबर द्वारा किये गये साम्राज्य विस्तार की चर्चा करिए।
2. क्या दीन–ए–इलाही को एक नये धर्म के रूप में माना जा सकता है?

जहाँगीर (1605-1627)

सलीम (जहाँगीर) का जन्म सन् 1569 ई0 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर (जयपुर) के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुर्रहीम खानखाना था। जहाँगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ई0 में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा।

अकबर ने जिस साम्राज्य विस्तार की परम्परा को स्थापित किया था, जहाँगीर ने उसके अनुकूल कार्य करने का प्रयत्न किया। जहाँगीर ने 12 अध्यादेश भी जारी किये जो तुजुक–ए–जहाँगीरी में लिपिबद्ध हैं। जहाँगीर की दक्षिण नीति के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने अकबर द्वारा प्राप्त भू–भाग को बरकरार रखते हुए उसकी उपलब्धियों को अक्षुण्ण रखा। 1621 ई0 में ही जहाँगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया क्योंकि इसके बाद उसे 1623 ई0 में शाहजहाँ के विद्रोह और 1626 ई0 में

Downloaded From www.dietmathura.org

महावत खाँ के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही न प्राप्त हो सका। जहाँगीर धार्मिक दृष्टि से भी सहिष्णु था, उसने हिन्दुओं द्वारा मनाये जाने वाले त्योहारों को बढ़ावा दिया। जहाँगीर एक सफल प्रजापालक शासक था, उसकी सफलता इसी में थी कि उसने अपने पिता द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को यथावत् रखा।

शाहजहाँ (1627–1658 ई0)

1627 ई0 में जहाँगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल दरबार में सत्ता के लिये उठा–पटक प्रारम्भ हो गई। 1628 ई0 में शाहजहाँ का आगरा में सिंहासनारोहण हुआ। शाहजहाँ का विवाह 1612 ई0 में अर्जुमन्द बानो बेगम से हुआ था, जो इतिहास में 'मुमताज महल' के नाम से विख्यात हुई। शाहजहाँ का शासन काल मुगल साम्राज्य के वैभव का काल था जिसके कारण उसका काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर के समय में स्थापित हुई मुगलों की श्रेष्ठता शाहजहाँ के समय में न केवल स्थापित रही बल्कि विकसित भी हुई। शाहजहाँ के काल में भी विभिन्न विद्रोह हुए। एक साम्राज्य निर्माता की दृष्टि से उसने अहमदनगर के राज्य को जीतकर राज्य विस्तार किया तथा बीजापुर और गोलकुण्डा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिये बाध्य किया। वह एक न्यायप्रिय व प्रजापालक शासक था। उसका काल साहित्यिक, धार्मिक व कलात्मक दृष्टि से प्रगतिशील था। शाहजहाँ ने अपने जीवन के अन्तिम आठ वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बन्दी की भाँति व्यतीत किये। अन्ततः 1666 ई0 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गयी।

औरंगज़ेब (1658–1707 ई0)

शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब 1658 ई0 में सिंहासन पर बैठा। वह परिश्रमी, दृढ़–निश्चयी, योग्य तथा सफल सेनापति था। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क–भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा अनैतिकता को रोकने व जन–आचरण पर नजर रखने हेतु मुहतसिब नियुक्त किए। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई0) तक मुगल राज्य दक्षिण तक फैल चुका था।

चर्चा के प्रमुख बिन्दु–

1. मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगज़ेब के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिये।

मुगल साम्राज्य का पतन

औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का सूर्य अस्त हो गया। मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया यद्यपि औरंगज़ेब के समय से ही प्रारम्भ हो चुकी थी तथापि औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों में से कोई भी योग्य होता तो वह साम्राज्य के विघटन की क्रिया को रोक सकता था। उस समय में भी साम्राज्य का भाग्य बादशाह की योग्यता अथवा अयोग्यता से बँधा हुआ था। यदि साम्राज्य को उस समय एक सुयोग्य शासन प्रबन्धक व अच्छा सेनापति बादशाह के रूप में

Downloaded From www.dietmathura.org

प्राप्त हो जाता तो मुगल साम्राज्य का पतन न होता। एक के बाद एक अयोग्य, दुर्बल व विलासप्रिय मुगल बादशाहों ने मुगल शक्ति और वैभव को नष्ट करने में सहायता की। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रक्रियाओं ने मुगल साम्राज्य के विघटन में भूमिका अदा की।

चर्चा के प्रमुख बिन्दु

1. मुगल साम्राज्य के पतन में कौन–कौन से कारक उत्तरदायी थे।

मुगल प्रशासन

मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केन्द्रीकृत व्यवस्था थी, जो नियन्त्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मुगल प्रशासन भारतीय तथा गैर भारतीय (विदेशी) तत्वों का सम्मिश्रण था। यह प्रशासन केन्द्रीय, प्रान्तीय, जिले व परगने में विभक्त था। मुगलों का प्रान्तीय शासन केन्द्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य को सूबों (प्रान्तों) में, सूबों को सरकारों (जिलों) में सरकारों को परगनों में तथा परगनों को गाँवों में बाँटा गया था। मुगलकाल में सरकार (जिलों) में फौजदार, आमिल, कोतवाल और काजी इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बंटी होती थी, परगनों के प्रमुख अधिकारी शिकदार, आमिल, कानूनगो और कारकुन होते थे।

सामाजिक दशा

मुगलकालीन समाज दो वर्गों में बँटा था धनी वर्ग एवं जनसाधारण जैसे किसान, दस्तकार एवं श्रमिक आदि। उच्च वर्ग के लोगों में अधिकतर मनसबदार, जागीरदार एवं जमींदार तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त सरकारी अधिकारी होते थे। ये लोग बहुत ही ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन बिताते थे। समाज का बहुसंख्यक वर्ग हिन्दू था। जाति बन्धन कठोर थे और साधारणतया अन्तर्जातीय खान–पान और विवाह सम्बन्ध निषिद्ध थे। पर्दा–प्रथा, बाल–विवाह, विधवाओं का विवाह न होना, लड़की के जन्म को अपशकुन मानना, सती प्रथा, धनवान व्यक्तियों में बहु विवाह आदि सामाजिक कुरीतियाँ हिन्दू समाज का अंग बन गयी। हालांकि मुगल काल में भी अनेक योग्य और प्रतिभाशाली स्त्रियाँ हुईं जिन्होंने अपने समय की राजनीति और समाज को प्रभावित किया। विभिन्न मेले और उत्सव धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति तथा मनोरंजन दोनों के लिये थे।

सांस्कृतिक एवं कलात्मक स्थिति

मुगलकाल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, बंगाल, जौनपुर आदि स्थानों की परम्पराओं का अद्‌भुत मिश्रण मिलता है। मुगल स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय से ही मानी जाती है। फारस का प्रसिद्ध

Downloaded From www.dietmathura.org

चित्रकार बिहजाद सम्भवतः बाबर के समय भारत आया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूँ के शासन काल में पड़ी। अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के काल में भी चित्रकला का विकास स्पष्ट दिखाई देता है। मुगलकाल में हुमायूँ, अकबर, शाहजहाँ व जहाँगीर ने संगीत कला को प्रोत्साहित किया। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 18वीं शताब्दी में स्पष्ट देखा जा सकता है। बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा 'तुजुके–बाबरी' की रचना की। जहाँगीर, अकबर और शाहजहाँ के काल में भी विभिन्न रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है।

आर्थिक दशा

मुगलकाल में शाहजहाँ के समय तक भारत की आर्थिक स्थिति ठीक मानी जा सकती है। शाहजहाँ का समय समृद्धि और सम्पन्नता का काल था। मुगल काल में भारतीय समाज आर्थिक दृष्टि से विभिन्न भागों में बंटा हुआ था। बादशाह की आय सबसे अधिक थी। विभिन्न करों को वसूल करने के अतिरिक्त बादशाह राज्य का सबसे बड़ा उद्योगपति और व्यापारी था। कृषि भारत की बहुसंख्यक प्रजा का मुख्य व्यवसाय था। आय का प्रमुख स्रोत भूमि उत्पादन से लिया जाने वाला कर, लगान या खराज था। मुगलकाल में विभिन्न बड़े–बड़े और सम्पन्न नगरों का निर्माण हुआ। व्यापार उन्नत स्थिति में था। शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने शान्ति और व्यवस्था की स्थापना करके व्यापार को पनपने का अवसर दिया था। मुगलकालीन भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से अलग क्षेत्र पर मध्यम वर्ग का प्रभुत्व रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगलकाल में भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो मुद्रा पर आधारित थी।

चर्चा के प्रमुख बिन्दु–

1. मुगलकाल की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करिये।
2. मुगलकाल के दौरान आर्थिक क्षेत्र में हुई उन्नति पर प्रकाश डालिये।

www.dietmathura.org

Downloaded From www.dietmathura.org

मराठा शक्ति का उत्कर्ष

17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरम्भ हुआ उनमें राजनैतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का था। आरम्भिक इतिहासकारों के अनुसार मराठों के उत्कर्ष में उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति, मराठा सन्त कवियों का धार्मिक आन्दोलन आदि महत्वपूर्ण कारक थे। शिवाजी के उदय से पूर्व भी मराठों को प्रशासनिक और सैनिक क्षेत्रों में विशेष स्थान प्राप्त था। मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष तथा मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी का योगदान बहुमूल्य था। उन्होंने अपने पिता द्वारा आरम्भ किये गये मराठों को संगठित करने के कार्य को आगे बढ़ाया तथा दक्कनी रियासतों एवं मुगलों से संघर्ष कर स्वतन्त्र मराठा राज्य की स्थापना की।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- मराठा शक्ति का अभ्युदय
- शिवाजी
- प्रशासनिक व्यवस्था

शिवाजी (1627–1680 ई0)

शिवाजी का जन्म 1627 ई0 में पूना के निकट शिवनेर में हुआ। शिवाजी के आरम्भिक जीवन पर उनकी माँ जीजाबाई और उनके संरक्षक दादाजी कोंणदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव था। गुरु रामदास ने भी शिवाजी को प्रभावित किया। उनके द्वारा दिये गये उपदेशों से शिवाजी में राष्ट्र भावना और स्वाभिमान का विकास हुआ। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुई थी।

उनका मूल उद्देश्य मराठों की विखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र में एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना करना था। जून 1674 ई0 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्व विद्वान गंगाभट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा 'छत्रपति' की उपाधि धारण की। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिणी राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। जिससे शीर्ष पर छत्रपति होता था। यह प्रभुत्व सम्पन्न निरंकुश शासक व अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायधीश और सेनापति था। प्रशासन की सहायता देने के लिये आठ मंत्रियों की नियुक्ति की जाती जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इनका कार्य विभिन्न विभागों की देखभाल करना एवं राजा को परामर्श देना था। मराठा सैन्य संगठन अत्यन्त उत्कृष्ट था। उनके पास एक विशाल और स्थायी सेना थी। सम्पूर्ण मराठा साम्राज्य विभिन्न प्रान्तों में विभक्त था इन प्रान्तों के प्रशासक को सर–कारकुन के नाम से जाना जाता था। वे ही प्रान्तों में व्यवस्था बनाये रखते थे। प्रान्तों की छोटी इकाई परगना थी। न्याय निष्पक्ष किया जाता था। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। गाँवों की न्याय व्यवस्था पंचायतें देखती थीं। दण्ड विधान कठोर थे जिससे अपराध कम होते थे। मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर चौथ और सरदेशमुखी थे। चौथ उपज का एक चौथाई (1/4 भाग) के रूप में व सरदेशमुखी आय के 1/10 भाग

Downloaded From www.dietmathura.org

होता था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख (प्रधान मुखिया) होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी का अधिकार है।

अभ्यास प्रश्न

1. चौथ क्या है ?

(क) उपज (ख) आय का स्रोत

(ग) दिया जाने वाला कर (घ) इनमें से कोई नही

2. शिवाजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ।

(क) 1650 (ख) 1672

(ग) 1674 (घ) इनमें से कोई नहीं

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

3. मराठा शक्ति को एकत्र करने में शिवाजी के योगदान का उल्लेख कीजिये।

4. शिवाजी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिये।

5. शिवाजी का महत्व व मुगल साम्राज्य के पतन में उसकी भूमिका आकलन कीजिये।

Downloaded From www.dietmathura.org

अठ्ठारहवीं शताब्दी में भारत की स्थिति

राजनीतिक स्थिति

18वीं सदी में भारत का राजनीतिक विभाजन हुआ। मुगल बादशाह मुहम्मदशाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई तथा हैदराबाद, बंगाल और अवध में प्रायः स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये। मराठों के उत्थान ने मुगल साम्राज्य को पतनोन्मुख स्थिति में पहुँचा दिया। यद्यपि नाममात्र के लिये ही मुगल बादशाहत 1858 ई0 तक रही जब तक कि अंग्रेजों ने 1857 ई0 के विद्रोह को दबाने के पश्चात् अन्तिम मुगल बादशाह बहादुरशाह द्वितीय को सिंहासन से हटाकर 1858 ई0 में रंगून नहीं भेज दिया। 18वीं सदी में भारत में विभिन्न शक्तियों का उदय हो गया था जिनमें सत्ता और राज्य विस्तार के लिये परस्पर संघर्ष होता रहा। राजनीतिक विभक्तीकरण की इन परिस्थितियों में यूरोपीय राज्यों के निवासियों ने भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। 18 वीं सदी के समाप्त होने के समय तक यह स्पष्ट हो गया कि भारत की सत्ता के लिये उनके मुख्य तथा शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी अंग्रेज थे। इस प्रकार 18वीं सदी भारत में मुगल साम्राज्य के पतन और उसके परिणामस्वरूप विभिन्न भागों में बने स्वतन्त्र राज्यों तथा भारत में आयी हुई यूरोपियन शक्तियों के पारस्परिक संघर्ष की सदी रही।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु
अठ्ठारहवीं सदी में –
- राजनीतिक स्थिति
- आर्थिक स्थिति
- सामाजिक स्थिति
- सांस्कृतिक स्थिति

आर्थिक स्थिति

18वीं सदी की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतभेद है। पर्याप्त समय तक यह माना जाता रहा है कि 18वीं सदी भारत में पुनः अन्धकारमय सदी थी। राजनीतिक एकता और स्थायित्व के अभाव में भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ गया जिसका अन्तिम परिणाम भारत में एक विदेशी सत्ता का स्थापित हो जाना था। इस समय सूती कपड़े के उद्योग और व्यापार में उन्नति हुई। गाँवों में मुद्रा का प्रचलन था, प्राथमिक बैंक व्यवस्था ददनी–प्रथा (अग्रिम धनराशि देकर कारीगरों से काम कराना) और हुण्डियों को जारी किये जाने के रूप में प्रगति पर थी और नकदी फसलों का उत्पादन वृद्धि कर रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि और लघु उद्योग सर्वदा रहे थे। इस काल में कृषि की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। व्यापार की प्रगति के कारण लघु–उद्योगों के विकास में सहायता अवश्य मिली परन्तु उन उद्योगों की वस्तुओं की निर्माण विधि में कोई सुधार नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण भारत में तकनीकी विकास का अभाव था।

Downloaded From www.dietmathura.org

सामाजिक स्थिति

सामाजिक दृष्टि से भी भारत में विभिन्न असमानताएँ थीं। आर्थिक आधार पर भारत विभिन्न वर्गों जैसे शासक, जागीरदार, जमींदार, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, मध्यम वर्ग आदि विभिन्न वर्गों में बँटा हुआ था। धर्म, समाज, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर भी भारतीयों में तीव्र विभाजन था। भारत का बहुसंख्यक वर्ग हिन्दू था जो ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ण की सैकड़ों जातियों और उपजातियों में बँटा हुआ था। जाति व्यवस्था कठोर थी और विभिन्न जातियों में पारस्परिक खान–पान और विवाह सम्बन्ध सम्भव नहीं थे। हिन्दू समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थीं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह, देवदासी प्रथा, बालिका हत्या, विधवा विवाह न होना आदि कुप्रथाएं थीं। जिनसे भारतीय स्त्रियाँ पीड़ित थीं। भारतीय समाज का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों का था। मुसलमान भी धर्म, धन व्यवसाय आदि के आधार पर विभाजित थे। उनमें भी वही सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं। इस प्रकार भारतीय समाज विभाजित, प्रतिस्पर्धापूर्ण और विभिन्न कुरीतियों से ग्रस्त था।

सांस्कृतिक स्थिति

सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में गिरावट थी। महान मुगल बादशाहों, कुलीनों, जागीरदारों व हिन्दू नरेशों ने भारत की राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्वि के समय में शिक्षा, साहित्य एवं ललित कलाओं को संरक्षण प्रदान करके उनकी उन्नति में सहयोग दिया था किन्तु 18वीं सदी में यह सम्भव नहीं हुआ इस सदी में न महान बादशाह रहे और न उच्च स्तर का उमरा या कुलीन वर्ग। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में गिरावट आयी। स्थापत्य कला की दृष्टि से हमें इस काल में बनी हुई कोई उत्कृष्ट इमारत दिखायी नहीं देती। राजपूत शासकों के संरक्षण में राजपूत काँगड़ा चित्रकला शैली ने अवश्य भारत में चित्रकला को जीवित रखने में सहायता दी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में भारतीय परम्परावादी बने रहे। शासन, आर्थिक ढाँचा, सामाजिक व्यवस्था जीवन के किसी भी क्षेत्र में नवीनता को जन्म नहीं दे सके। यही उनकी अवनति और अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाये जाने का मुख्य कारण बना।

चर्चा के प्रमुख बिन्दु

1. 18वीं सदी के दौरान भारत की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन कीजिये।
2. 18वीं सदी में भारत की आर्थिक दशा कैसी थी? विवेचना कीजिये।
3. 18वीं सदी में भारत की राजनीति में किस प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित हो रहे थे चर्चा कीजिये।

Downloaded From www.dietmathura.org

भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश

व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण अनेक यूरोपीय शक्तियों ने भारत से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश एवं फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए और भारत में यूरोपीय व्यापार की शुरुआत की।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश
- पुर्तगालियों की असफलता के कारण
- डचों का प्रवेश
- अंग्रेजों का प्रवेश
- फ्रांसीसियों का प्रवेश
- भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के कारण

भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश

1453 ई0 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया जिससे यूरोप व भारत के बीच स्थल मार्ग नहीं रहा। यूरोपीय देश समुद्री मार्ग खोजने में लग गए। 1498 ई0 में वास्कोडिगामा भारत आया। उसके भारत आने के बाद भारतीय और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ई0 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। अल्मीडा के बाद 1509 ई0 में अलबुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने बीजापुर के सुल्तान युसुफ आदिलशाह से गोआ छीना एवं उसे पुर्तगाली सत्ता एवं संस्कृति का केन्द्र बनाया। व्यापारिक उन्नति के साथ ही पुर्तगालियों ने भारत में सैन्य शक्ति का संगठन एवं विकास किया। ये भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। लगभग 100 वर्षों तक व्यापार करने के पश्चात पुर्तगालियों का पतन हो गया अन्ततः पुर्तगाली भारत में गोवा, दमन तथा दीव पर ही अपना अधिकार रख सके।

भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण

धार्मिक असहिष्णुता–पुर्तगालियों ने भारत में धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया जिसके कारण मुसलमान और हिन्दू भारत में उनके विरोधी हो गए और उनकी जड़े खोदने लगे।

अयोग्य उत्तराधिकारी– अलबुकर्क के पश्चात कोई ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को सुदृढ़ता और स्थायित्व प्रदान करता। ऐसी स्थिति में पुर्तगालियों का पतन होना निश्चित था।

दोषयुक्त शासन व्यवस्था– भारत में पुर्तगालियों की शासन व्यवस्था दोषयुक्त थी। इनके कर्मचारी अनैतिक साधनों से धन कमाते थे। पुर्तगाली अधिकारी भी रिश्वतखोर थे। न्याय एवं शान्ति व्यवस्था में इनकी रुचि नहीं थी।

Downloaded From www.dietmathura.org

सीमित साधन– पुर्तगालियों के पास जन और धन दोनों ही साधन सीमित मात्रा में थे। इन साधनों के अभाव में जब पुर्तगालियेां का सम्बन्ध साधन सम्पन्न मराठों, मुगलों तथा अन्य यूरोपीय जातियों से हुआ तो ऐसी स्थिति में वह असहाय हो गए।

विजयनगर साम्राज्य का पतन– विजयनगर पुर्तगालियों का प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था। अतः जब 1565 ई0 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया तो इसका प्रभाव पुर्तगालियों के व्यापार पर पड़ा।

निर्बल नौसैनिक शक्ति– पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा निर्बल थी जिसके कारण प्रतिस्पर्धा में वे टिक न सके।

मराठों का शक्तिशाली होना– 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में मराठों की शक्ति में अत्यधिक विस्तार हुआ जिससे उन्होंने सालसेट एवं बसीन आदि बस्तियाँ छीन लीं। परिणामस्वरूप भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव कम होने लगा जो उनके पतन का मुख्य कारण बना।

स्पेन द्वारा पुर्तगाल विजय– 1580 ई0 में स्पेन ने पुर्तगाल पर अपना अधिकार कर पुर्तगाल का विलय स्पेन में कर लिया। स्पेन ने भारत में पुर्तगालियों के व्यापार की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जिससे उनका पतन अवश्यम्भावी था।

भारत में डचों का प्रवेश– पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर हॉलैण्ड निवासी जिन्हें डच कहा जाता है ने अपना ध्यान भारत की ओर केन्द्रित किया। उनका पहला व्यापारिक बेड़ा मलाया द्वीप समूह में आया। केप ऑफ गुड होते हुए भारत में 1596 में आने वाला कॉरनेलिस डे हस्तमान प्रथम डच नागरिक था। 1602 ई0 में 'डच इण्डिया कम्पनी' की स्थापना हुई। शीघ्र ही डचों ने मसाले के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और धीरे–धीरे पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया। डचों ने भारत में व्यापार की ओर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में न तो कभी हस्तक्षेप किया और न ही रुचि ली। डचों का दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक ध्यान रहा परिणामस्वरूप धीरे–धीरे भारत में उनकी ख्याति कम होने लगी तथा अन्य यूरोपीय जातियों का प्रभाव बढ़ने लगा।

भारत में अंग्रेजों का प्रवेश– अन्य यूरोपीय शक्तियों को भारत में व्यापारिक लाभ मिलता देखकर अंग्रेज भी भारत की ओर आकृष्ट हुए। अंग्रेजों ने 31 दिसम्बर 1600 ई0 में महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त किया और भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना कर व्यापार प्रारम्भ कर दिया। 1608 ई0 में कप्तान हाकिन्स इंग्लैण्ड के राजा जेम्स प्रथम से आज्ञा पत्र लेकर मुगल बादशाह जहाँगीर के दरबार में आया। 1613 ई0 में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। 1615 ई0 में सर टामस रो व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहाँगीर के दरबार में आया और यहाँ तीन वर्ष तक रहा। प्रारम्भ में मुगल दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव अधिक होने के कारण उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त हुई किन्तु अन्ततः वह शहजादा खुर्रम से व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त करने में सफल हुआ। अंग्रेजों को भड़ौच, अहमदाबाद तथा आगरा में व्यापारिक कम्पनियाँ स्थापित करने का आज्ञा पत्र मिल गया। 1640 ई0 में अंग्रेजी कम्पनी ने मद्रास में एक सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना की तथा 1668 ई0 में बम्बई पर अपना अधिकार कर लिया। भारत में

Downloaded From www.dietmathura.org

अंग्रेजों का डचों तथा फ्रांसीसियों से व्यापारिक संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। धीरे–धीरे अंग्रेजों का भारतीय व्यापार पर पूर्णरूपेण अधिकार हो गया।

डैनिश का भारत में प्रवेश– भारत में 1616 ई0 में डेनमार्क निवासी जिन्हें डैनिश कहा जाता है का आगमन भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ। इन्होंने यहाँ ट्रावनकोर एवं श्रीरंगपट्टम में अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए किन्तु परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण डैनिश व्यापारियों ने अपने केन्द्र अंग्रेजों को बेच दिए और भारत से वापस चले गए।

भारत में फ्रांसीसियों का प्रवेश– 1664 ई0 में फ्रांसीसी भी व्यापार करने आए। इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की। यह एक सरकारी कम्पनी थी। जिस पर व्यापारियों के स्थान पर राजा का पूर्ण नियन्त्रण था। जबकि अन्य व्यापारिक कम्पनियों पर व्यापारियों का नियन्त्रण था। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार से पूँजी एकत्र करके मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि फ्रांसीसी भारत में सबसे बाद में आए थे, किन्तु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सबसे पहले भाग लिया था। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मुसलीपट्टम में व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले ने जब भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा तब अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ। दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच तीन युद्ध हुए इन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ई0 में वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। अन्ततः वह एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में रह गई जिसने भारत पर अनेक वर्षों तक शासन किया।

भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के कारण– यहाँ आने वाली यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापारिक केन्द्र बनाया। यहाँ से व्यापार कर अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया तथा अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के निम्नलिखित कारण थे–

- भारत की आर्थिक सम्पन्नता ने यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया।
- यूरोपीय बाजार में भारतीय मसाले की बहुत माँग थी। यहाँ के मसाले यूरोपीय बाजार में बहुत अधिक बिकते थे।
- वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। वे स्पेन और पुर्तगाली व्यापारियों को हिस्सा देने के लिए तैयार न थे।
- वास्कोडिगामा द्वारा भारत आने का सरल जल मार्ग खोज लेना यूरोपीय व्यापारियें के लिए लाभकर रहा।
- भारत में बने मिट्टी के बर्तनों की यूरोपीय देशों में व्यापक मांग थी।
- 1453 ई0 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप व भारत के बीच स्थल मार्ग बंद हो गया। अतः यूरोपीय देश समुद्री मार्ग की खोज में लग गए। शीघ्र ही उन्हें भारत आने का सरल जल मार्ग भी मिल गया।
- भारत में कुटीर उद्योग एवं कच्चे माल की सम्भावना का होना।

Downloaded From www.dietmathura.org

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वास्कोडिगामा भारत आया था–

(क) 1495 ई0 में (ब) 1497 ई0 में

(स) 1498 ई0 में (द) 1500 ई0 में

2. भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई थी–

(क) 1600 ई0 में (ब) 1601 ई0 में

(स) 1603 ई0 में (द) 1604 ई0 में

3. वांडीवाश का युद्ध हुआ था–

(क) 1760 ई0 में (ब) 1660 ई0 में

(स) 1662 ई0 में (द) 1663 ई0 में

लघु उत्तरीय प्रश्न

4. भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय इंग्लैण्ड का शासक कौन था ?

5. हालैण्ड के निवासियों को क्या कहा जाता था ?

6. भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे ?

7. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है।

8. भारत में पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे ?

9. भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे ? संक्षेप में बताइये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

10. भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का वर्णन कीजिए।

11. भारत में साम्राज्य स्थापित करने में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे ?

Downloaded From www.dietmathura.org

www.dietmathura.org

भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष

भारत में व्यापार करने आई यूरोपीय शक्तियों में से पुर्तगाली, डच, डैनिश का पतन हो चुका था। अन्य यूरोपीय शक्तियाँ जैसे– अंग्रेज और फ्रांसीसी अत्यन्त ही महत्वाकांक्षी थे। भारत में इस समय मुगलों का पतन हो चुका था अब कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन पर नियन्त्रण रखती। अतः ऐसी स्थिति में दोनों ही शक्तियों के लिए यह अच्छा अवसर था कि वे भारत में अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाकर उसे स्थायित्व और सुदृढ़ता प्रदान करते। अतः भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष आरम्भ हो गया। इसके साथ ही अठारहवीं शताब्दी में यूरोप तथा भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों में संघर्ष होना अवश्यम्भावी था।

शिक्षण के प्रमुख बिन्दु

- अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में संघर्ष व कारण
- कर्नाटक का प्रथम युद्ध एवं परिणाम
- कर्नाटक का द्वितीय युद्ध एवं परिणाम
- कर्नाटक का तृतीय युद्ध एवं परिणाम
- डूप्ले की नीतियाँ
- प्लासी का युद्ध एवं परिणाम
- बक्सर का युद्ध एवं परिणाम
- इलाहाबाद की संधि

भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष के कारण

व्यापारिक प्रतिस्पर्धा

अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही शक्तियों ने भारत में व्यापार को उन्नत करने के लिए देशी राजाओं की राजनीति में हस्तक्षेप करना और उन्हें अपने प्रभाव में लाना आवश्यक समझा। फलस्वरूप दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ।

यूरोप में संघर्ष

1740 ई0 में आस्ट्रिया और प्रशा के मध्य हुए युद्ध में अंग्रेज आस्ट्रिया की ओर तथा फ्रांसीसी प्रशा की ओर थे। यूरोप में हुए दोनों के बीच संघर्ष का प्रभाव भारत में भी पड़ा और भारत में दोनों के बीच संघर्ष हुआ।

भारत की राजनैतिक दशा

औरंगजेब के पतन के पश्चात् भारत में ऐसी कोई शक्ति न थी जो सम्पूर्ण भारत पर अपना नियन्त्रण रखती। अतः ऐसी स्थिति में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों को ही व्यापार के साथ ही राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त हुआ।

Downloaded From www.dietmathura.org

उत्तराधिकार के संघर्ष में कम्पनी की भागीदारी

हैदराबाद के निजाम–उल–मुल्क की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार हेतु नासिरजंग और मुजफ्फरजंग के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अंग्रेजों ने नासिरजंग और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फरजंग का साथ दिया। उत्तराधिकार युद्ध में दोनों कम्पनियों का भाग लेना भी संघर्ष का एक कारण था।

दक्षिण भारत में अंग्रेज-फ्रांसीसी संघर्ष

अंग्रेज एवं फ्रांसीसी दोनों ही शक्तियाँ अपने प्रभाव में वृद्दि के लिए प्रयासरत थीं। ये दोनों यूरोप में भी एक–दूसरे के प्रतिद्वन्दी थे। भारत में अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष कर्नाटक से प्रारम्भ हुआ था। दोनों शक्तियों के मध्य तीन कर्नाटक के युद्ध हुए जिनका वर्णन निम्नवत् है–

कर्नाटक का प्रथम युद्ध (1746–1748)

संघर्ष की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले ने की थी। उसने मारीशस के गवर्नर लाबूर्दोने को अंग्रेजों पर आक्रामण के लिए बुलाया। डूप्ले और लाबूर्दोने की संयुक्त सेनाओं ने 1746 ई0 में मद्रास पर अपना अधिकार कर लिया। डूप्ले और लाबूर्दोने में वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप लाबूर्दोने ने रिश्वत लेकर मद्रास अंग्रेजों को दे दिया और स्वयं वहाँ से चला गया। डूप्ले शान्त नहीं बैठा उसने पुनः मद्रास पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

मद्रास विजय से पहले डूप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से वादा किया था कि विजयोपरान्त वह मद्रास सौंप देगा किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खाँ ने एक विशाल सेना लेकर फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। दोनों के मध्य मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी सेना विजयी हुई। इसके पश्चात डूप्ले ने मद्रास के निकट ही फोर्ट सेण्ट डेविस नामक किले पर आक्रमण कर दिया किन्तु अंग्रेज अफसर लारेंस की कुशलता के कारण उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने पाण्डिचेरी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया किन्तु असफल रहे। अंग्रेज और फ्रांसीसी जब भारत में संघर्षरत थे तभी 1748 ई0 में यूरोप में दोनों देशों के बीच **एक्स–ला–शापैल** की सन्धि हो गई और यूरोप में दोनों देशां के बीच युद्ध समाप्त हो गया इस सन्धि का प्रभाव भारत में भी पड़ा जिसके फलस्वरूप यहाँ भी दोनों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। दोनों के मध्य हुई सन्धि के फलस्वरूप भारत में अंग्रेजों को मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गए।

कर्नाटक द्वितीय युद्ध

(1749–54 ई0) में हैदराबाद के निजाम आसफ जहाँ निजाम–उल–मुल्क की मृत्यु के पश्चात नारिसजंग और उसके पुत्र मुजफ्फरजंग के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष आरम्भ हो गया। इसी समय

Downloaded From www.dietmathura.org

राजसत्ता के लिए कर्नाटक में भी युद्ध हुआ। कर्नाटक में चंदा साहब अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब नहीं मानते थे बल्कि स्वयं को नवाब पद का वैधानिक अधिकारी मानते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने मुजफ्फरजंग और डूप्ले से मदद माँगी। डूप्ले ने इस अवसर का लाभ उठाया फलस्वरूप डूप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब के मध्य एक सन्धि हुई। तीनों की संयुक्त सेनाओं ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। अनवरुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। चंदा साहब ने डूप्ले की मदद से कर्नाटक पर अधिकार कर लिया।

दक्षिण की सूबेदारी को लेकर नासिरजंग और मुजफ्फरजंग के बीच हुए संघर्ष में नासिरजंग ने मुजफ्फरजंग को पराजित कर दिया। दिसम्बर 1750 में नासिरजंग मारा गया और मुजफ्फरजंग को दक्षिण का निजाम बना दिया गया। मुजफ्फरजंग को उसके सरदारों ने मार डाला। अतः 1751 में फ्रांसीसी सेनापति बुसी ने निजाम–उल–मुल्क आसफजाह के तृतीय पुत्र सलावत जंग को गद्दी पर बैठा दिया। बदले में सलावत जंग ने आन्ध्र प्रदेश का वह हिस्सा फ्रांसीसियों को दिया जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता था। इस प्रकार कर्नाटक के नवाब चंदा साहब और दक्षिण भारत के निजाम सलावतजंग पर फ्रांसीसियों का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया था।

अर्काट का घेरा (1751)

चंदा साहब डूप्ले की सहायता से त्रिचनापल्ली का घेरा डाले थे। अनवरुद्दीन का पुत्र मुहम्मद अली त्रिचनापल्ली में शरण लिए था। मुहम्मद अली ने अंग्रेजों से सहायता मांगी अंग्रेज तैयार हो गए। इसी समय अंग्रेज युवा क्लर्क राबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। चंदा साहब ने अपने पुत्र रजा खाँ को पुनः अर्काट जीतने के लिए भेजा। युद्ध में क्लाइव को सफलता मिली। छल से चंदा साहब की हत्या कर दी गई और मुहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर होने लगी थी। डूप्ले की गिरती साख और घटते महत्व को देखकर 1754 ई0 में फ्रांसीसी सरकार ने डूप्ले को वापस बुलाकर उसके स्थान पर गोडेहू को भारत भेज दिया। उसके अथक प्रयासों से 1755 ई0 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच **पाण्डिचेरी की सन्धि** हो गई। इस सन्धि के अनुसार अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने ही एक–दूसरे को यह आश्वासन दिया कि वे भारतीयों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों ने एक–दूसरे के विजित प्रदेश वापस कर दिए।

कर्नाटक का तृतीय युद्ध (1756–1763 ई0)

1756 ई0 में जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारम्भ हुआ तो भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध आरम्भ हो गया। फ्रांसीसी सरकार ने 1758 ई0 में काउंट लाली को शक्तिशाली सेना के साथ भारत भेजा। लाली ने जून 1758 ई0 में फोर्ट सेण्ट डेविड किले पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया दिसम्बर 1758 ई0 में हैदराबाद से बुस्सी को बुलाकर उसने मद्रास पर आक्रमण किया। बुस्सी

Downloaded From www.dietmathura.org

को बुलाना लाली के जीवन की महान भूल थी। बुस्सी के वहाँ से जाने पर अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार पर अपना नियन्त्रण कर लिया। जनवरी 1760 ई0 में वांडीवाश में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने लाली को पराजित किया। 1763 ई0 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य पेरिस की सन्धि हुई। इस सन्धि के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने भारत में पाण्डिचेरी, चन्द्रनगर आदि फ्रांसीसियों को लौटा दिए उन्होंने यह शर्त लगा दी कि फ्रांसीसी अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे।

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए संघर्ष में अन्ततः सफलता अंग्रेजों को मिली। फ्रांसीसियों का भारत में अपना राज्य स्थापित करने का स्वप्न समाप्त हो गया। अब भारत में अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया।

जोसेफ फ्रांसिस डूप्ले

भारत आने वाले फ्रांसीसी गवर्नरों में जोसेफ फ्रांसिस डूप्ले सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं योग्य था। फ्रांसीसी कम्पनी में कार्य करते हुए वह अपनी कुशाग्र बुद्धि और योग्यता के बल पर उन्नति करता चला गया। 1742 ई0 में उसे पाण्डिचेरी का गवर्नर तथा भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल में पाण्डिचेरी को एक सुन्दर और व्यापारिक नगर बनाने का प्रयत्न किया।

डूप्ले की भारत नीति

भारत में फ्रांसीसी गवर्नरों में डूप्ले का सर्वप्रमुख स्थान है। भारत में उसकी नीति अन्य फ्रांसीसी गवर्नरों से भिन्न थी। उसने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किए उससे अंग्रेज भी भयभीत हो गये थे। उसने भारतीय राज्यों की राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलताओं का अन्दाजा लगा लिया था और भारतीय मामलों में हस्तक्षेप कर वहाँ फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। डूप्ले ने राजनीति को व्यापार से ज्यादा प्रमुख समझा। यद्यपि डूप्ले अपने उद्देश्यों में सफल न हो सका किन्तु उसके विचार दृढ़ थे उसके लक्ष्य स्पष्ट थे तथा उसकी कूटनीति उच्चकोटि की थी। उसने भारतीयों को यूरोपियन तरीकों से सैनिक शिक्षा दी। भारतीय नरेशों की राजनीति में उसने साहस पूर्वक हस्तक्षेप किया तथा अंग्रेजों को भारत से निकालने का हर सम्भव प्रयास किया।

यद्यपि धन के अभाव में, अपने हठीले स्वभाव, फ्रांस सरकार का असहयोग, गलत नीतियों आदि के कारण डूप्ले भारत में सफल न हो सका तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि फ्रांसीसी कम्पनी द्वारा भारत भेजे फ्रांसीसी गवर्नरों में डूप्ले सर्वश्रेष्ठ था। वह ऐसा पहला फ्रांसीसी था जिसने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखा। कर्नाटक में डूप्ले असफल रहा क्योंकि चंदा साहब ने उसके अनुसार कार्य नहीं किया। डूप्ले का यह भी दुर्भाग्य था कि उसे अपने से अधिक चतुर, कूटनीतिज्ञ सैनिक क्लाइव से टक्कर लेनी पड़ी।

Downloaded From www.dietmathura.org

प्लासी का युद्ध (1757 ई0)

बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव से भलीभाँति परिचित थे। अंग्रेज जब उसके आदेशों की अवहेलना करने लगे तो विवश होकर उसने जून 1756 ई0 में आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना तीव्र था कि अंग्रेज भयभीत हो गए अतः उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। सिराजुद्दौला को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना कलकत्ता भेजी। 2 जनवरी 1757 को क्लाइव ने कलक्त्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 09 फरवरी 1757 ई0 को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से अलीनगर की सन्धि की।

क्लाइव ने नवाब पर आरोप लगाया कि उसने अलीनगर की सन्धि का उल्लघंन कर फ्रांसीसियों की सहायता की है अतः 23 जून 1757 ई0 को अंग्रेज व सिराजुद्दौला की सेना के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। युद्ध में सिराजुद्दौला भाग गया। उसे पकड़कर मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। वहाँ पर मीर जाफर (सिराजुद्दौला के सेनापति) के पुत्र मरिन ने मुहम्मद बेग के द्वारा उसका वध करवा दिया। क्लाइव ने मीरजाफर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया। इस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों की भारत की राजनीति पर भी पकड़ मजबूत होने लगी। उन्होंने नवाबों को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। वे जिसे चाहते नवाब बना देते तथा जिसे चाहते उसे नवाबी से हटा देते थे।

प्लासी युद्ध के परिणाम

- प्लासी युद्ध में विजय से अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। बंगाल का नव नियुक्त नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली मात्र ही था।
- इस युद्ध से कम्पनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। कम्पनी को कलकत्ता में टकसाल खोलने की अनुमति मिल गई। साथ ही कलकत्ता के निकट 24 परगनों की जमींदारी प्राप्त हुई।
- प्लासी युद्ध की विजय ने अंग्रेजों के लिए भारत के शेष भागों में साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
- इस युद्ध से कम्पनी की प्रतिष्ठा में इतनी अत्यधिक वृद्धि हुई कि कम्पनी भारत में शासकों का निर्माण व विनाश कर सकती थी।
- इस युद्ध के पश्चात कम्पनी और कम्पनी के अधिकारी अब बंगाल के शोषण में संलग्न हो गए। उन्होंने जितना हो सकता था उतना बंगाल का शोषण किया।
- प्लासी युद्ध में विजय से अंग्रेजों का नैतिक पतन हो गया उनका अब एकमात्र लक्ष्य धन एकत्र करना हो गया था। वे नैतिक और अनैतिक सभी साधनों से धन एकत्र करने में संलग्न हो गए इससे भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया।

बक्सर का युद्ध (1764 ई0)

अंग्रेजों ने मीरजाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब पद से हटा दिया और उसके स्थान पर पुनः मीरजाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों के इस व्यवहार से मीर कासिम अंग्रेजों से

Downloaded From www.dietmathura.org

असंतुष्ट हो गया। उसने अवध में मुगल सम्राट शाह आलम एवं नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्व एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया। 1764 ई0 में मीरकासिम, मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना का सामना करने के लिए अंग्रेजों ने मेजर हेक्टर मुनरो को भेजा। 22 अक्टूबर 1764 ई0 को दोनों पक्षों के बीच बक्सर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। मीरकासिम पराजित होकर भाग गया। शाह आलम ने अंग्रेजों की शरण ली।

बक्सर के युद्ध का महत्व

राजनीतिक दृष्टि से बक्सर के युद्ध का महत्व प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक है। इस युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। कम्पनी का अब न केवल बंगाल और बिहार पर ही अधिपत्य स्थापित हो गया बल्कि उसे बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई। बंगाल के नवाब के सभी अधिकार समाप्त हो गए।

इलाहाबाद की सन्धि (1765 ई0)

बक्सर युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों के मध्य 1765 ई0 में इलाहाबाद की सन्धि हुई। इस सन्धि की शर्तें निम्नलिखित थीं–

- अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रूपया देना स्वीकार किया।
- कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट को दे दिए गए नवाब ने चुनार अंग्रेजों को दे दिया।
- मुगल सम्राट शाह आलम ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी।
- कम्पनी को अवध के राज्य में बिना कोई कर दिए व्यापार करने की छूट मिल गई।
- अंग्रेजों ने अवध के नवाब को इस शर्त पर सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया कि वह अंग्रेजी सेना के व्यय का वहन करेगा।
- अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रूपया वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. कनार्टक का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ?

(क) 1746 ई0 (ख) 1747 ई0

(ग) 1748 ई0 (घ) 1750 ई0

2. डूप्ले कौन था ?

(क) फ्रांसीसी गवर्नर (ख) अंग्रेज गवर्नर

(ग) पुर्तगाली गवर्नर (घ) डच गवर्नर

Downloaded From www.dietmathura.org

3. इलाहाबाद की संधि किस युद्ध का परिणाम थी?

(क) प्लासी का युद्ध (ख) कर्नाटक का प्रथम युद्ध

(ग) कर्नाटक का द्वितीय युद्ध (घ) बक्सर का युद्ध

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

4. कर्नाटक के तृतीय युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किस गवर्नर ने किया था?

5. प्लासी का युद्ध कब हुआ था ?

6. प्लासी युद्ध के पश्चात् बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था?

लघु उत्तरीय प्रश्न

7. कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे ?

8. बक्सर का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9. प्लासी युद्ध के कारण का विश्लेषण करते हुए उसके परिणाम की विवेचना कीजिए।

10. भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष क्यों आरम्भ हुआ तथा उसका क्या परिणाम हुआ?

Downloaded From www.dietmathura.org

भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना

राबर्ट क्लाइव

राबर्ट क्लाइव का जन्म इंग्लैण्ड के एक साधारण परिवार में हुआ था। पढ़ने में इसका मन नहीं लगता था। झगड़ालू स्वभाव का होने के कारण उसके सहपाठी उससे भयभीत तथा अध्यापक अप्रसन्न रहते थे। उसके पिता ने 17 वर्ष की उम्र में उसकी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कम्पनी में एक क्लर्क के पद पर करवा दी। इस प्रकार 1744 में वह भारत आया। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह किसी युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करे। सौभाग्य से उसने कर्नाटक के प्रथम युद्ध में भाग लिया। युद्ध में उसने अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया। कालान्तर में अपने कार्यों द्वारा वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन गया। उसके कार्यों की चर्चा निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत की जा सकती है–

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- राबर्ट क्लाइव
- वारेन हेस्टिंग्ज
- लार्ड कार्नवालिस
- लार्ड वेलेजली
- लार्ड विलियम बेंटिक
- लार्ड डलहौजी

अर्काट का घेरा

कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में जब अंग्रेजों को फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी तो ऐसी स्थिति में क्लाइव ने ही कम्पनी को अर्काट का घेरा डालने की सलाह दी। इस घेरे में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और फ्रांसीसियों को संकट में डाल दिया। क्लाइव की बुद्धिमत्ता से दक्षिण में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा।

प्लासी के युद्ध में भूमिका

1757 ई0 में हुए प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने विजय प्राप्त कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का बीज बो दिया। इस युद्ध से अंग्रेजों को भारत का सर्वाधित सम्पन्न प्रान्त बंगाल पर अधिकार प्राप्त हो गया।

अली गौहर का आक्रमण

1757 ई0 में मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के बड़े पुत्र अलीगौहर ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सहायता प्राप्त कर बंगाल पर आक्रमण किया तो क्लाइव ने उसका मुँहतोड़ जवाब दिया। क्लाइव के सामने जब अलीगौहर सफल नहीं हुआ तो वह वापस चला गया।

Downloaded From www.dietmathura.org

डच आक्रमण

1759 ई0 में जब डचों ने बंगाल पर आक्रमण किया तो इस आक्रमण में उसका सामना क्लाइव से हुआ। 25 नवम्बर 1759 ई0 को चन्द्रनगर तथा चिन्सुरा के बीच स्थित बेदरा के मैदान मे अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्लाइव ने डचों को पराजित किया तथा क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन वसूल किया।

बाह्य नीति

1765 ई0 में जब क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर बना तो उसने मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से महत्वपूर्ण इलाहाबाद की संधि की।

आन्तरिक नीति

क्लाइव ने बंगाल की दशा सुधारने के लिए एक आन्तरिक नीति अपनाई। कम्पनी का कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार की भेंट अथवा उपहार स्वीकार न कर सके इसके लिए उसने कर्मचारियों से प्रतिष्ठा पत्र लिखवाना प्रारम्भ किया। उसने कम्पनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार न करने का प्रतिबन्ध लगाया। इससे कम्पनी की व्यापारिक स्थिति में सुधार हुआ। युद्ध में अंग भंग हो जाने पर या सैनिक कार्य करने के लायक न होने पर भारतीय सिपाहियों तथा सैनिक पदाधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उसने क्लाइव कोष की स्थापना की। कलकत्ता कौंसिल के भ्रष्ट सदस्यों को निकालकर उनके स्थान पर मद्रास के ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त किया। क्लाइव ने युद्ध के समय सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता समाप्त कर दिया। नाराज सैनिकों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उसने सैनिकों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए और रिक्त स्थानों पर नई नियुक्तियाँ कर दीं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। वास्तव में क्लाइव ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था।

वारेन हेस्टिंग्ज

18 वर्ष की उम्र में वारेन हेस्टिंग्ज एक साधारण क्लर्क के रूप में भारत आया था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह धीरे–धीरे उन्नति करते हुए उच्च पद तक पहुँच गया। 1772 ई0 में उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया।

जिस समय वारेन हेस्टिंग्ज गवर्नर बनकर भारत आया उस समय कम्पनी के सम्मुख अनेक समस्याएँ थीं। अतः हेस्टिंग्ज ने कम्पनी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रशासनिक, व्यापारिक, राजस्व एवं न्याय सम्बन्धी सुधार किए जिसका विवरण निम्नवत् है–

Downloaded From **www.dietmathura.org**

प्रशासनिक सुधार

वारेन हेस्टिंग्ज ने गवर्नर पद पर कार्य करने से पूर्व अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। अतः उसे प्रशासनिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी थी। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कार्य किये–

द्वैध शासन का अन्त– वारेन हेस्टिंग्ज ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और बंगाल का सम्पूर्ण प्रबन्ध कम्पनी के अधीन कर दिया।

नवाब का अन्त–वारेन हेस्टिंग्ज ने बंगाल के नवाब नाजिमउद्दौला को शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया साथ ही उसकी पेंशन 32 लाख वार्षिक के स्थान पर 16 लाख वार्षिक कर दी।

उप नवाबों की नियुक्ति– बंगाल के उप नवाब अल्पवयस्क थे। अतः वारेन हेस्टिंग्ज ने दो उप नवाबों की नियुक्ति की। उसने रजा खाँ को बंगाल तथा शिताबराय को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया।

अंग्रेज कलेक्टरों की नियुक्ति– प्रत्येक जिले में मालगुजारी वसूल करने के लिए अंग्रेज कलेक्टरों की नियुक्ति की।

राजकोष का स्थानान्तरण– वारेन हेस्टिंग्ज ने राजकोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानान्तरित कर दिया।

भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण– वारेन हेस्टिंग्ज भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण करने के लिए कम्पनी के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने तथा भेंट, उपहार आदि लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

सुरक्षा का प्रबन्ध– वारेन हेस्टिंग्ज ने जनता की सम्पत्ति तथा जीवन की सुरक्षा के लिए उचित प्रबन्ध किया। उसने चोर–डाकुओं का सख्ती से दमन किया।

व्यापारिक सुधार

भारत में कम्पनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार की उन्नति कर स्वयं को सुदृढ़ बनाना था। अतः व्यापार में उन्नति के लिए उसने निम्नलिखित सुधार किए–

चुंगी में कमी– हेस्टिंग्ज ने व्यापारियों से ली जाने वाली चुंगी पर ध्यान दिया। उसने पान, सुपारी, तम्बाकू एवं नमक के अलावा अन्य वस्तुओं पर सभी भारतीय व अंग्रेज व्यापारियों से ली जाने वाली चुंगी की दर ढाई प्रतिशत निश्चित कर दी। इन सुधारों से व्यापार को तो प्रोत्साहन मिला ही साथ ही आय के स्रोतों में भी वृद्धि हुई।

चौकियों का अन्त– उसने सभी चौकियों को तुड़वा दिया। व्यापारिक सुविधा हेतु केवल कलकत्ता, हुगली, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं पटना इन पाँच स्थानों पर चुंगी घर खोले। इससे व्यापारिक माल के आने–जाने में होने वाली रुकावटें दूर हो गईं।

Downloaded From www.dietmathura.org

दस्तक पत्र का अन्त– दस्तक पत्र (कर रहित व्यापार का अधिकार पत्र) का अंग्रेज व्यापारी दुरूपयोग करते थे। अतः हेस्टिंग्ज ने दस्तक पत्र जारी करने की प्रथा का अन्त कर दिया। इससे चुंगी से होने वाली आय सीधे कम्पनी को प्राप्त होने लगी।

व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबन्ध– हेस्टिंग्ज ने कम्पनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया किन्तु इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ अब व्यापार भारतीय व्यापारियों के नाम से होने लगा।

दादनी का अन्त– दादनी एक अन्यायपूर्ण प्रथा थी। जिसमें कम्पनी के कर्मचारी भारतीय कारीगरों को दादनी देकर बलपूर्वक उनका माल कम दामों में खरीद लेते थे। हेंस्टिंग्ज ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया।

बैंक एवं टकसाल की व्यवस्था– हेस्टिंग्ज ने व्यापारियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए कलकत्ता में एक बैंक एवं सरकारी टकसाल की स्थापना की।

व्यापार में उन्नति के लिए वारेन हेस्टिंग्ज ने तिब्बत, भूटान व मिस्र से व्यापारिक सन्धियाँ कीं।

लार्ड कार्नवालिस

वारेन हेस्टिंग्ज के इंग्लैण्ड वापस चले जाने के बाद उसके स्थान पर मेकफर्सन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने मात्र डेढ़ वर्ष तक शासन किया। इसके पश्चात 1786 ई0 में लार्ड कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लार्ड कार्नवालिस ने भारत आने के बाद कम्पनी की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित सुधार किए–

प्रशासनिक सुधार

- उसने उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता को आधार बनाया।
- उसने कम्पनी के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी कर दी किन्तु यह भी आदेश दिया कि वे न घूस लें और न ही निजी व्यापार करें।
- कम्पनी के कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था की।
- पुलिस विभाग को उन्नत और सुदृढ़ बनाने के लिए जमींदारों से पुलिस का कार्य छीन लिया।
- उसने सभी उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बन्द कर दी। उसने सभी उच्च सरकारी पदों पर अंग्रेज तथा अन्य यूरोपियनों की नियुक्ति के नियम बनवाए।

राजस्व सुधार

लार्ड कार्नवालिस की नजर में वारेन हेस्टिंग्ज की भूमि व्यवस्था दोषयुक्त थी। इस व्यवस्था में जमींदार अथवा ठेकेदार को पाँच वर्ष के लिए भूमि प्रदान की जाती थी। इससे किसानों की स्थिति अत्यन्त खराब हो गई थी। किसानों को सदैव यह भय रहता था कि अगले साल जमींदार अथवा

Downloaded From www.dietmathura.org

ठेकेदार खेती करने के लिए भूमि देंगे अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में वह निष्क्रिय होकर खेती करता था। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय प्रति पाँचवे वर्ष घटने लगी। अतः ऐसी स्थिति में कार्नवालिस ने 1793 ई0 में **स्थाई बन्दोबस्त** लागू किया। इस व्यवस्था को **इस्तमरारी बन्दोबस्त** के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्नवालिस ने भूमि का स्वामित्व स्थायी रूप से जमींदारों को दे दिया तथा लगान की दर सदैव के लिए निश्चित कर दी।

स्थायी बन्दोबस्त के लाभ

- इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप कृषि की बहुत उन्नति हुई। जमींदारों ने बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाने के लिए अथक प्रयास किए।
- सरकार को एक निश्चित आय प्राप्त होने लगी।
- कम्पनी को भूमि प्रबन्ध एवं लगान वसूल करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं हुई। अब कम्पनी को लगान में से कर्मचारियों को वेतन के रूप में धन नहीं देना पड़ता था इससे कम्पनी के व्यय में काफी कमी हो गई।
- बंगाल भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रान्त हो गया।
- इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप जमींदारों को अधिक सुविधाएँ और लाभ हुए, अतः सरकार के परम भक्त एक जमींदार वर्ग का उदय हुआ।
- किसान भी लाभान्वित हुए अब उन्हें तब तक बेदखली का भय नहीं था जब तक वे लगान चुकाते रहते थे। वास्तव में इस व्यवस्था से किसानों को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। इससे व्यापार में भी उन्नति हुई।

स्थाई बन्दोबस्त के दोष

- इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार स्थाई रूप से जमीन के मालिक हो गए थे जिससे वे किसानों का मनमाना शोषण करने लगे।
- इस व्यवस्था से जमींदारों को भी हानि हुई क्योंकि मालुगजारी का 90 प्रतिशत भाग सरकार ले लेती थी। यह इतना अधिक था कि जमींदार इसको अदा न कर सके। मजबूर होकर उन्हें जागीरें बेचनी पड़ीं।
- इस व्यवस्था से जमींदारों की आय में वृद्वि हुई धन की अधिकता ने जमींदारों को विलासी बना दिया था।
- इस व्यवस्था से लगान की दर तो निश्चित हो गई किन्तु सरकार के व्यय में कोई कमी नहीं आई बल्कि सरकारी व्यय निरन्तर बढ़ता ही गया। व्यय की पूर्ति हेतु प्रान्तों पर कर लगाए गए जिससे प्रान्त आर्थिक बोझ से दब गए।
- इस व्यवस्था ने जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य का भक्त एवं विश्वासपात्र बना दिया था उनमें अपने राष्ट्र के हित के लिए कोई भावना नहीं थी।
- इस व्यवस्था में अकाल पड़ने या किसी विकट परिस्थिति के होने पर भी लगान में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती थी।

इस प्रकार स्थाई बन्दोबस्त में अनेक लाभ के साथ–साथ कुछ दोष भी विद्यमान थे। जमींदार बार–बार लगान अदा करने में असमर्थ हो गए अतः उनकी जागीरें सरकारी लाभ के लिए बिकती रहीं।

Downloaded From www.dietmathura.org

www.dietmathura.org

लार्ड वेलेजली

अप्रैल 1798 ई0 में लार्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वह पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी तथा भारत में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। उसने भारत में युद्धों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया। उसने भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया।

सहायक सन्धि

लार्ड वेलेजली ने भारतीय शक्तियों पर नियन्त्रण रखने, एक शक्तिशाली अंग्रेजी सेना संगठित करने, भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म करने तथा भारत में अंग्रेजी कम्पनी को सर्वोच्च शक्ति बनाने के लिए एक विशेष योजना तैयार की जो इतिहास में 'सहायक संधि' अथवा सहायक प्रणाली के नाम से प्रसिद्व है। वेलेजली की इस सन्धि को जो भी देशी राजा स्वीकार करता उसके लिए निम्नलिखित शर्ते अनिवार्य थीं–

- देशी राजा को अंग्रेजी कम्पनी का अधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था इस सन्धि को स्वीकार करने वाले देशी राजाओं के यहां एक अंग्रेजी सेना रहती थी जिसका व्यय राजा को उठाना होता था।
- देशी राजाओं को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजीडेण्ट रखना होता था।
- देशी राजा अंग्रेजों की अनुमति लिए बिना अपने यहाँ किसी विदेशी की नियुक्ति नहीं कर सकता था।
- देशी राजा अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना न तो किसी राज्य से युद्व ही कर सकता था और न ही किसी राज्य से सन्धि कर सकता था।
- यदि सहायक सन्धि स्वीकार करने वाले देशी राजाओं के मध्य झगड़ा हो जाता है तो अंग्रेज मध्यस्थता कर जो भी निर्णय देंगे वह देशी राजाओं को स्वीकार करना पड़ेगा।
- सहायक सन्धि स्वीकार करने वाले राज्यों की अंग्रेज बाह्य तथा आन्तरिक आक्रमणों एवं विद्रोहों से रक्षा करते थे।

सहायक सन्धि के गुण

- इस सन्धि के द्वारा अंग्रेजों को विभिन्न भारतीय शक्तियों से जो धन और प्रदेश मिले उनसे कम्पनी के साधनों का बहुत विस्तार हुआ।
- इस सन्धि के द्वारा वेलेजली ने कम्पनी सेनाओं को देशी राजाओं के यहाँ रखा। इससे कम्पनी के सैनिक व्यय में कमी हो गई।
- इस सन्धि के अनुसार देशी राजाओं के यहाँ अंग्रेजी सेना रहने लगी जिससे कम्पनी का राज्य वाह्य आक्रमणों से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया और कम्पनी अनेक युद्ध करने से बच गई।
- इस सन्धि के अनुसार कोई भी देशी राजा अपने यहाँ बिना अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी विदेशी को अपनी सेना में नियुक्त नहीं कर सकता था। इससे भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का अन्त हो गया।
- इस सन्धि के अनुसार अनेक देशी रियासतों के आपसी झगड़े समाप्त हो गए जिससे वहाँ के लोग शन्तिपूर्वक रहने लगे।

Downloaded From www.dietmathura.org

- इस सन्धि के अनुसार अनेक ऐसे देशी राज्यों में उत्तराधिकार की समस्या थी उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के और विस्तार का मार्ग खुल गया।

सहायक सन्धि के दोष

- इस सन्धि से देशी राजा शक्तिहीन और निर्बल हो गए। उनके राज्य की बाह्य नीति पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
- देशी राजाओं को अंग्रेजी सेना का व्यय वहन करना पड़ता था इससे उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया।
- देशी राज्यों को अपने यहाँ अनिवार्य रूप से अंग्रेजी सेना रखनी होती थी अतः देशी राजाओं ने अपनी स्थायी सेना के बहुत से सैनिकों को निकाल दिया। परिणामस्वरूप राज्यों में बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई।
- आर्थिक संकट का सामना करने के लिए देशी राजाओं ने अनेक कर लागू किए जिससे जनता के कष्टों में वृद्धि हुई क्योंकि करों का बोझ जनता को ही उठाना पड़ा।
- इस सन्धि से देशी राजा पूर्ण रूप से कम्पनी पर निर्भर हो गए अब उन्हें अपने राज्य की आन्तरिक सुव्यवस्था तथा बाहरी रक्षा की व्यवस्था नहीं करनी थी ऐसी स्थिति में देशी राजाओं में निष्क्रियता बढ़ी तथा वे विलासी हो गए।

सहायक सन्धि स्वीकार करने वाले राज्य

हैदराबाद

हैदराबाद का निजाम एक ओर मराठा तथा दूसरी ओर मैसूर के सुल्तान टीपू से परेशान था अतः उसने अंग्रेजों की सहायक सन्धि स्वीकार कर ली।

अवध

अवध के नवाब ने भी वेलेजली की सहायक सन्धि को स्वीकार कर लिया। अन्य शर्त मानने के अतिरिक्त अवध के नवाब ने अपना लगभग आधा राज्य जिसमें रुहेलखण्ड, गोरखपुर और गंगा यमुना का मध्यवर्ती भाग सम्मिलित था अंग्रेजों को दे दिया।

बड़ौदा

बड़ौदा के मराठा शासक गायकवाड़ के पास अन्य मराठा सरदारों की तुलना में शक्ति के साधन बहुत कम थे अतः विवशता में उसने सहायक सन्धि स्वीकार की।

ट्रावनकोर

मैसूर के दक्षिण में स्थित ट्रावनकोर के शासक ने वेलेजली की सहायक सन्धि स्वीकार कर ली। जिससे ट्रावनकोर अंग्रेजों की शरण में आ गया।

Downloaded From www.dietmathura.org

मैसूर

मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सहायक सन्धि को स्वीकार नहीं किया और उनसे वह युद्ध करता रहा। लेकिन चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाने पर मैसूर के नए शासक कृष्णराव ने सहायक सन्धि स्वीकार कर लिया।

मराठा राज्य

भौंसले ने देवगाँव की सन्धि द्वारा सहायक सन्धि को स्वीकार कर लिया किन्तु इन शासकों ने अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखना नहीं स्वीकारा।

राजपूत राज्य

राजपूत राज्यों में जयपुर, जोधपुर एव उदयपुर आदि ने मराठों से तंग आकर सहायक सन्धि को स्वीकार कर लिया।

लार्ड विलियम बेंटिक

1828 ई0 में विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बने बेंटिक का शासनकाल भारत में सुधारों का काल था। वास्तव में बेंटिक ही एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने प्रजा के हित को ध्यान में रखकर शासन किया।

लार्ड विलियम बेंटिक के सुधार

आर्थिक सुधार– आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत उसने निम्नलिखित कार्य किए

- असैनिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते कम कर दिए।
- उसने ऐसे अनेक अनावश्यक पदों को समाप्त कर दिए जिनके बिना शासन चलाया जा सकता था।
- धन की बचत के लिए बेंटिक ने अपील तथा घूम–घूम कर न्याय करने वाली अदालतों को समाप्त कर दिया।
- ऊँचे– ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की क्योंकि भारतीय अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम वेतन पर कार्य करने को तैयार हो जाते थे।
- उसने भारतीय नरेशों द्वारा दान में दी गई भूमि को जब्त कर उस पर लगान लगाया।

प्रशासनिक और न्यायिक सुधार

- न्यायालयों के कार्यों को करने की जिम्मेदारी कमिश्नरों को सौंप दी।
- 1829 ई0 में बेंटिक ने एक कानून पास किया जिसके द्वारा उसने कलेक्टरों को दो वर्ष की सक्षम कारावास की सजा देने का अधिकार दे दिया। इसके विरुद्ध अपील आयुक्त न्यायालय में की जा सकती थी।

Downloaded From www.dietmathura.org

- 1831 ई0 में बेंटिक ने एक कानून पारित कर कलेक्टरों को लगान सम्बन्धी मामलों को निपटाने का अधिकार दे दिया। इसकी अपील सिविल न्यायालय में की जा सकती थी।
- बेंटिक के शासनकाल में लार्ड मैकाले द्वारा दण्ड संहिता का निर्माण किया गया। इस प्रकार कानूनों को एक स्थान पर संग्रहित कर दिया गया जिससे न्याय प्रणाली में पर्याप्त सुधार हुआ।
- 1832 ई0 में बेंटिक ने एक कानून पारित कर भारतीयों के उच्च पदों पर नियुक्ति के द्वारा खोल दिया।
- 1832 ई0 में बेंटिक ने इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना की यह जनता के लिए बड़ी लाभकारी थी। क्योंकि इससे पूर्व लोगों को दूर–दूर तक न्याय पाने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता था।
- 1832 ई0 में बेंटिक ने एक कानून पारित कर बंगाल में जूरी प्रथा का प्रारम्भ किया। जिससे यूरोपियन जजों को सहायता देने के लिए जूरी के रूप में भारतीयों की सहायता प्राप्त की जा सके।
- बेंटिक ने न्यायालयों में देशी भाषा के प्रयोग पर अधिक बल दिया, इससे पूर्व न्यायालयों में फारसी भाषा का प्रयाग अधिक होता था।

शिक्षा सम्बन्धी सुधार

- लार्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी के प्रचार और कम्पनी के लाभ के लिए 7 मार्च 1835 ई0 को घोषणा की कि शिक्षा माध्यम अंग्रेजी भाषा ही होगा।
- लार्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ई0 में कलकत्ता में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की।

सामाजिक सुधार

- सती प्रथा का अन्त दिसम्बर 1829 ई0 को बेंटिक ने एक कानून पारिक कर सती प्रथा को नर हत्या का अपराध घोषित कर दिया।

ठगों का दमन– ठग प्रायः लुटेरे एवं हत्यारों का अखिल भारतीय संघ था बेंटिक ने ठगों का दमन करने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया तथा उसकी सहायता के लिए अन्य सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की।

कन्या वध पर प्रतिबन्ध– भारत में विशेषकर राजस्थान में कन्या वध प्रथा प्रचलित थी। लोग कन्या के जन्म को अशुभ मानते थे। बेंटिक ने इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

नर बलि का विरोध– बेंटिक ने नर बलि देने वालों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की। परिणामस्वरूप नर बलि की प्रथा समाज में कम हो गयी।

दास प्रथा का अन्त– भारत में प्राचीन काल से दास प्रथा प्रचलित थी बेंटिक ने 1832 ई0 में एक कानून पारित कर दास प्रथा का अन्त कर दिया।

हिन्दू उत्तराधिकार कानून में सुधार– बेंटिक ने घोषणा की कि धर्म परिवर्तन करने की स्थिति में उसे पैतृक सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा। उसे नियमानुसार पैतृक सम्पत्ति का भाग मिलेगा।

Downloaded From www.dietmathura.org

लार्ड विलियम बेंटिक के सुधार का मूल्यांकन

लार्ड विलियम बेंटिक ने युद्धों से अलग–थलग अनेक आर्थिक, सामाजिक, न्याय तथा प्रशासन सम्बन्धी सुधार किये। उसके अधिकतर सुधार आर्थिक उद्देश्य से प्रेरित थे तथा उसने भारतीय जनता के हितों का ध्यान रखा। उसने सुधारों द्वारा भारतीयों को एक ऐसी भाषा दी जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न भागों के निवासी एक दूसरे से विचारों का आदान–प्रदान कर सकते थे।

लार्ड डलहौजी (1848–1856 ई0)

1848 ई0 में लार्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति का भारतीय नागरिकों ने व्यापक विरोध किया लेकिन लार्ड डलहौजी ने अपनी नीति में जरा भी परिवर्तन नहीं किया जिससे भारत में विद्रोह प्रबल होता गया और लार्ड डलहौजी के भारत से जाने के एक वर्ष के पश्चात् ही 1857 ई0 में क्रान्ति हो गयी।

लार्ड डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की नीति

हड़प नीति

जिस प्रकार लार्ड वेलेजली ने सहायक सन्धि नीति द्वारा भारत में अंग्रजी साम्राज्य का विस्तार किया था ठीक उसी प्रकार लार्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया। उसने निम्नलिखित राज्यों को हड़प कर उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया।

सतारा

सतारा का शासक निःसन्तान था अतः उसने अपनी मृत्यु से पहले 1848 ई0 में एक लड़के को गोद ले लिया। लार्ड डलहौजी ने सतारा के शासक के उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया और बलपूर्वक इस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया।

झाँसी

झाँसी का शासक गंगाधर राव था दामोदर राव उसका दत्तक पुत्र था लार्ड डलहौजी ने दामोदर राव को गंगाधर का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झाँसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने घोर विरोध किया।

Downloaded From www.dietmathura.org

नागपुर

नागपुर का राजा राघोजी भोंसले तृतीय था। 1854 ई0 में राघोजी भोंसले तृतीय की मृत्यु हो गयी। अब उसकी विधवा रानी ने अपने निकट सम्बन्धी के पुत्र यशवन्त राव को गोद ले लिया और फिर भी लार्ड डलहौजी ने उसे मान्यता नहीं दी और नागपुर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया।

बरार

बरार निजाम राज्य का ही एक भाग था। निजाम पर अंग्रेजों का 8 लाख रुपया का ऋण हो गया था जिसे निजाम चुकाने में असमर्थ था। अतः लार्ड डलहौजी ने अवसर का लाभ उठा कर बरार को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया।

अवध

लार्ड डलहौजी ने सेना के बल पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नजर बंद कर दिया। नवाब के जीवन यापन के लिए 12 लाख रूपया वार्षिक पेंशन देना निश्चित कर दिया।

अन्य राज्य

डलहौजी ने हड़प नीति के अन्तर्गत कुछ अन्य राज्य उदाहरार्थ जैतपुर, सम्बलपुर, उदयपुर एवं करौली आदि को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया।

लार्ड डलहौजी के सुधार

साम्राज्य वादी शासक के साथ साथ डलहौजी एक सुधारक भी था अपने शासन काल में उसने अनेकानेक सुधार किए लार्ड डलहौजी के सुधारों का वर्णन निम्नलिखित है।

साम्राज्य सुधार

उसने दो मत्वपूर्ण सुधार किये उसका पहला सुधार धर्म परिवर्तन से सम्बन्धित तथा दूसरा विधवा विवाह से सम्बन्धित था। पहले यह नियम था कि धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को पैतृक सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाता था। डलहौजी ने 1850 ई0 में कानून पास करवाया जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को उसकी पैतृक सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। 1855 ई0 में एक्ट पारित करवाकर डलहौजी ने विधवा विवाह को वैधानिक घोषित करवा दिया।

Downloaded From www.dietmathura.org

शिक्षा सम्बन्धी सुधार

लार्ड डलहौजी ने कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास में एक–एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उसने हाई स्कूल, वर्नाक्युलर, मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की। लार्ड डलहौजी ने स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना

डलहौजी ने अलग से एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की सड़कें, पुल, नहर, कुएँ आदि का निर्माण इसी विभाग द्वारा किया जाता था।

सिंचाई व्यवस्था

उसने सल्तनत कालीन तथा मुगल कालीन नहरों की पुनः मरम्मत करायी। साथ ही अनेक नहरों का निर्माण कार्य आरम्भ कराया जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ।

व्यापारिक सुधार

व्यापार के क्षेत्र में डलहौजी ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को अपनाया। उसने भारत के सभी बन्दरगाह व्यापार के लिए स्वतन्त्र कर दिए। नाविकों की दशा में सुधार लाने के लिए डलहौजी ने मर्चेन्ट सर्विस एक्त बनाया। उसने चाय, कपास आदि की खेती तथा व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जिसका अंग्रेजों को भरपूर लाभ मिला।

रेल तथा तार व्यवस्था

डलहौजी से पूर्व किसी भी गवर्नर जनरल ने रेल स्थापना की ओर ध्यान नहीं दिया। लार्ड डलहौजी ने राजनैतिक, आर्थिक एवं सैनिक उद्देश्यों की ओर ध्यान दिया। परिणामस्वरूप 1853 ई0 में पहली रेल लाइन का निर्माण बम्बई से थाणे के बीच किया गया। रेल लाइन निर्माण के अतिरिक्त डलहौजी ने तार व्यवस्था स्थापित करके संचार साधन में क्रान्ति उत्पन्न कर दी।

डाक व्यवस्था में सुधार

1850 ई0 में डलहौजी ने एक डाक विभाग की स्थापना की जिसका मुख्य अधिकारी डायेक्टर जनरल होता था तथा उसकी सहायता के लिए प्रान्त में एक–एक पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। पूरे देश में 753 डाकघरों की स्थापना की गई। टिकट व्यवस्था को डलहौजी ने ही प्रारम्भ किया।

Downloaded From www.dietmathura.org

सेना सम्बन्धी सुधार

लार्ड डलहौजी साम्राज्यवादी था अतः उसने अनेक सैन्य सम्बन्धी सुधार किए। उसने शिमला को प्रमुख सैनिक केन्द्र बनाया। उसने सेना में भारतीय सैनिकों में कमी और अंग्रेजी सैनिकों में वृद्वि करने का प्रयास किया।

लार्ड डलहौजी के कार्यों का मूल्यांकन

लार्ड डलहौजी ने अपनी नीतियों द्वारा न केवल भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार ही किया वरन् अनेक सुधारों द्वारा उसने उन्नत भी बनाया। ऐसा करने से यद्यपि उसने ब्रिटिश हितों का ही ध्यान रखा। फिर भी उसके अनेक सुधारों से भारतीयों को भी लाभ हुआ। यही कारण है कि उसकी गणना महान निर्माताओं के रूप में की जाती है।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राबर्ट क्लाइव भारत कब आया ?

(क) 1745 ई0 (ख) 1744 ई0

(ग) 1746 ई0 (घ) 1743 ई0

2. वारेन हेस्टिंग्ज को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया ?

(क) 1771 (ख) 1773

(ग) 1772 (घ) 1774

3. बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया ?

(क) वारेन हेस्टिंग्ज (ख) राबर्ट क्लाइव

(ग) कार्नवालिस (घ) लार्ड डलहौजी

4. 'सुधारों का काल' किसके शासन काल को कहा जाता है ?

(क) कार्नवालिस (ख) विलियम बेंटिक

(ग) डलहौजी (घ) मेकफर्सन

Downloaded From www.dietmathura.org

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

5. भूमि व्यवस्था सम्बन्धी स्थायी बन्दोबस्त की योजना किसने और कब लागू की ?

6. लार्ड डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार की राज्य हड़प नीति के माध्यम से सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश/अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया ?

7. अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किस मैसूर शासक ने स्वीकार किया?

8. अलीगौहर कौन था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

9. ढढनी प्रथा क्या थी ?

10. स्थायी बन्दोबस्त के क्या लाभ हुआ ?

11. बैटिक ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किया ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

12. सहायक संधि का वर्णन करते हुए उसके गुण दोषों पर प्रकाश डालिए ?

13. डलहौजी के साम्राज्य विस्तार नीति एवं उसके द्वारा किये गये कार्यों की विवेचना कीजिए ?

Downloaded From www.dietmathura.org

जीव मण्डल, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन

पृथ्वी के धरातल का वह सीमित क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु परस्पर सम्पर्क में आते हैं, जैव मण्डल के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस जैव मण्डल में जीव जन्तुओं, वनस्पतियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान होती हैं। यह क्षेत्र धरातल के कुछ ऊपर, कुछ नीचे जल एवं वायु के रूप में फैला हुआ है। जीव और पर्यावरण का सम्बन्ध अन्योन्याश्रय का होता है, जो इसी जीव मण्डल में पारस्परिक रूपा से निर्मित होता है।

शिक्षण के प्रमुख बिन्दु–

- उष्ण कटिबन्धीय प्रदेश
- शीतोष्ण कटिबन्धीय प्रदेश
- शीत कटिबन्धीय प्रदेश
- उक्त प्रदेशों के सन्दर्भ में
    - जलवायु
    - वनस्पतियाँ
    - जीव जन्तु
    - मानवजीवन
    - आर्थिक क्रियाकलाप/उद्योग धन्धे

समस्त जीव मण्डल यद्यपि पारिस्थितिक तन्त्र की अविभाज्य इकाई है किन्तु विभिन्न आधारों पर जीव मण्डल के अध्ययन की सुविधा हेतु विभिन्न प्रदेशों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में जीव–जन्तुओं, वनस्पतियों, उनके जनजीवन व क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपा से जलवायविक कारक का एक नियामक के रूपा में प्रभाव होता है। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु की विविधता को दृष्टिगत रखते हुए ग्लोब पर हम तीन प्रकार के कटिबन्ध अवलोकित करते है। (ग्लोब के कटिबन्धों का शिक्षण हम विगत सेमेस्टर में भली–भाँति कर चुके हैं)।

- **प्रशिक्षुओं से चर्चा करें–** कि ग्लोब पर पाये जाने वाले ताप कटिबन्ध कौन–कौन से हैं और इनके कारण व प्रभाव कौन–कौन से हो सकते है?

इन्हीं ताप कटिबन्धों के आधार पर हम प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करते हैं–

1. उष्ण कटिबन्धीय प्रदेश
2. शीतोष्ण कटिबन्धीय प्रदेश
3. शीत कटिबन्धीय प्रदेश

1. उष्ण कटिबन्धीय प्रदेश

पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्द्धों (उत्तरी एवं दक्षिणी) में 0^0 अक्षांश से $23\frac{1}{2}^0$ उत्तरी एवं $23\frac{1}{2}^0$ दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस विशेष प्राकृतिक प्रदेश के नामकरण से ही स्पष्ट है कि इस प्रदेश का तापमान अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक होता है। जलवायु

Downloaded From www.dietmathura.org

के कारकों तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि के आधार पर इस प्रदेश को लघु प्रदेशों में भी विभाजित किया जा सकता है–

(क) उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश

(ख) मानसूनी प्रदेश

(ग) सवाना प्रदेश

(घ) उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश

(क) उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश –

इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा/विषुवत रेखा के दोनों ओर 10^0 अक्षांश के मध्य तक है। भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण इस प्रदेश को विषुवतरेखीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, इक्वेडोर के पठारी भाग, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया के मैदानी भागों में, मध्य अमेरिका, अफ्रीका के कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, गिनी की खाड़ी, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया, इण्डोनेशिया तथा फिलीपीन्स में विस्तृत है।

इस प्रदेश में अपराह्न के समय गरज–चमक के साथ प्रतिदिन भारी वर्षा होती है, जिसे **संवहनीय वर्षा** कहते हैं। इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 200 से0मी0 से अधिक रहता है। अत्यधिक वर्षा के कारण इस प्रदेश में वर्ष के किसी भी महीने में शुष्कता नहीं होती है। यही कारण है कि इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ वर्ष भर हरी–भरी बनी रहती है। वृक्ष अपनी पत्तियों को किसी भी माह विशेष में नहीं गिराते हैं। अतः यहाँ **सदाबहार वन** (Evergreen Forests) पाये जाते है। ध्यातव्य है कि इस प्रदेश के वृक्ष इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। वृक्षों में परस्पर सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जिसके परिणामस्वरूपा वृक्ष काफी लम्बे होते हैं। सदाबहार वनों में भूमितल से उच्च वितान तक पाँच स्तर विद्यमान होते हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वनों को **सेलवास** (Selvas) कहा जाता है। यहाँ के वनों में महोगनी, एबोनी, सिनकोना, रोजवुड, बालसन, गटापार्चा, रबड़, ताड़, बांस, बेंत पाये जाते हैं। वृक्षों के मध्य सघन लतायें भी मिलती हैं।

जीव जन्तु

प्राकृतिक वनस्पतियों के अनुरूपा ही इन प्रदेशों का वन्य जीवन भी विविधताओं से भरपूर है। इनमें मच्छरों की अधिसंख्यक किस्में, वृक्षों पर रहने वाले जीवों की अधिकता, शाकाहारी व मांसाहारी जीवों की अल्पता, प्रचुर जलीय जीवन प्रमुख रूपा से हैं। कीट–पतंगों, दीमकों, तितलियों, चीटियों की विविधता दर्शनीय है। जंगली सुअर, गोरिल्ला, ओकापी प्रमुख वन्यजीव हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

मानव जनजीवन

विषुवतरेखीय वर्षा प्रदेश में विरल जनसंख्या के क्षेत्र दृष्टिगोचर होते हैं। नदी घाटियों में जहाँ जलोढ़ मृदाएं तथा परिवहन सुविधाएँ विद्यमान हैं वहाँ अपेक्षाकृत आबादी सघनता से मिलती है। प्रायः आदिम जनजातियाँ जलवायु से अनुकूलन कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। उनकी जीवन प्रणाली पिछड़ी हुई, आवश्यकताएं व इच्छाएँ सीमित हैं। कांगो बेसिन के पिग्मी, ऊपरी अमेजन बेसिन की पिछड़ी जनजातियाँ, मलाया के सेमांग, आखेट व वस्तु संग्रहण कर जीवन यापन करते हैं। इन आदिवासी समूहों में जहाँ एक ओर **स्थानान्तरीय कृषि** प्रचलित है जिसे लैटिन अमेरिका में ***मिल्पा,*** अफ्रीका में ***फेंग***, इण्डोनेशिया में ***लदांग*** कहा जाता है।

इण्डोनेशिया का जावा द्वीप विषुवतीय प्रदेश के अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ ज्वालामुखीय उपजाऊ मृदा पायी जाती है। इस द्वीप पर कृषक शताब्दियों से कृषि कर रहे हैं। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेतों में तथा निम्न भूमियों में कृषक गहन निर्वाहक कृषि में संलग्न हैं। मलेशिया, श्रीलंका, इण्डोनेशिया में रोपण कृषि को विकसित करने में यूरोपीय औपनिवेशकों का योगदान है जिन्होंने रबर, चाय के बड़े–बड़े बागान लगाए ताकि यूरोपीय बाजारों हेतु रबर व चाय आदि उपलब्ध कराये जा सकें। अफ्रीका के गिनी तट पर कोको व ताड़ (नारियल) का उत्पादन विशिष्ट है। दक्षिण पूर्वी एशिया में नारियल व रबर प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं।

आर्थिक क्रियाकलाप

विषुवतरेखीय वनों में अनेक प्रकार की गौण वनोपजें प्राप्त होती हैं, जिनमें रेशे, गोंद, औषधियाँ, गिरियाँ तथा रस या दूध (Saps) वाणिज्यिक महत्व के हैं। कैरेबियन क्षेत्र में जलपोत वृक्ष के दूध से **चिकल** प्राप्त होता है। इससे चुइंग–गम बनता है। अफ्रीका से तेल के लिए ताड़ गिरियाँ मिलती हैं। ब्राजील में रबर के बागान महत्वपूर्ण हैं। अत्यधिक दुर्गम क्षेत्र होने के कारण पर्याप्त सर्वेक्षण के अभाव में खनिज संसाधनों का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं है। इण्डोनेशिया के बंका, बेलितुंग तथा सिंगकेप द्वीपों पर टिन प्राप्त होता है। सुमात्रा, बोर्नियो एवं जावा में पेट्रोलियम मिलता है। सूरीनाम एवं ब्रिटिश गुयाना में बाक्साइट खनन कार्य होता है। रियोडिजेनेरो में वस्त्रोद्योग, चमड़े का सामान व फर्नीचर उद्योग विकसित अवस्था में हैं।

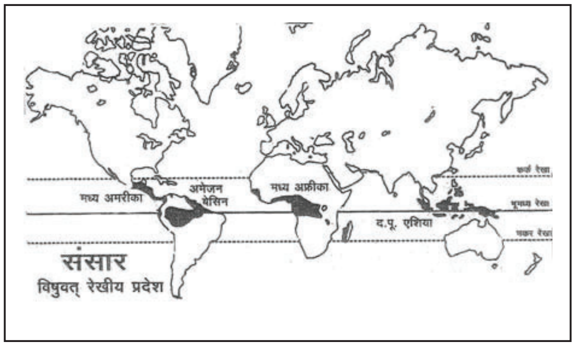

Downloaded From www.dietmathura.org

(ख) सवाना प्रदेश

विषुवतरेखीय प्रदेशों एवं उष्ण मरुस्थलों के मध्य यह प्राकृतिक प्रदेश संक्रमणीय पट्टी के रूपा में विद्यमान है। इस प्रदेश का विस्तार अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विषुवतरेखीय प्रदेशों के किनारों, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10^0 से 20^0 अक्षांशों के मध्य कोलम्बिया, वेनेजुएला, दक्षिण मध्य ब्राजील, गयाना, पैराग्वे, मध्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों एवं भारत में पाया जाता है। सवाना प्राकृतिक प्रदेश की उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है किन्तु अधिकांश मतों के अनुसार इस प्रदेश विशेष की उत्पत्ति प्राकृतिक पर्यावरण में अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप व परिमार्जन के फलस्वरूपा हुआ है। जहाँ तक भारत में इस प्राकृतिक प्रदेश के विस्तार का प्रश्न है निश्चित रूपा से इसका विस्तार मानव द्वारा वनों को काटने से हुआ है। यह भारत में पर्णपाती वनों के चारों ओर तथा उनके मध्य में विस्तृत है किन्तु भारतीय सवाना में घास की तुलना में झाड़ियाँ अधिक हैं।

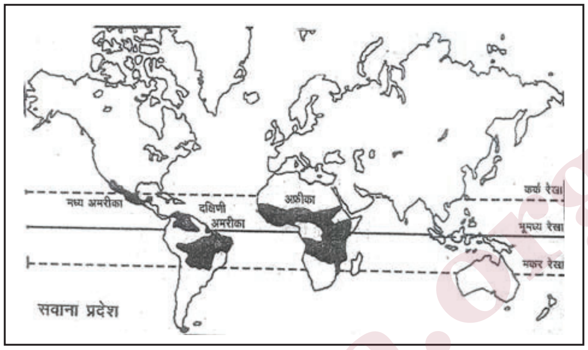

यह प्रदेश उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के भीतरी भागों में स्थित है। इसलिए यहाँ साधारण वर्षा होती है और वार्षिक तापान्तर अधिक रहता है। यहाँ वर्षा लघु ग्रीष्म ऋतु में होती है, वर्ष का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। वर्ष के किसी भी महीने का तापक्रम 20^0C से नीचे नहीं जा पाता है। शुष्कता के कारण इस प्राकृतिक प्रदेश की मुख्य विशेषता यहाँ की लम्बी और मोटी घास वनस्पति है। यहाँ घासें 3 मीटर की ऊँचाई तक बढ़ जाती हैं। ये घासें अत्यधिक कड़ी तथा इनकी पत्तियाँ चपटी होती है। इन

घासों में **'हाथी घास '** (Elephant Grass) महत्वपूर्ण हैं। सवाना प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति विस्तृत

घासों के मध्य बिखरे हुए छोटे वृक्ष हैं जो पार्क जैसा दृश्य उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि यहाँ की वनस्पतियाँ **''पार्क लैण्ड''** कहलाती है। अफ्रीका में बाओबाब वृक्ष तथा घासें पायी जाती हैं। नदियों के किनारों पर ''गैलेरिया वन'' मिलते है। ब्राजील के सवाना वनस्पतियों को ''कैम्पोज'', पैराग्वे तथा अर्जेन्टीना में ''ग्रान चाको'', ओरीनीको बेसिन में ''लानोस'' के नाम से जाना जाता है।

जीव–जन्तु

इस घास प्रदेश में मुख्यतः दो प्रकार के पशु पाये जाते हैं,– घास खाकर जीवित रहने वाले यथा– हिरन, जेब्रा और दूसरे वे जो इन घास भोजियों का शिकार कर अपना जीवन निर्वाह करते है।

Downloaded From www.dietmathura.org

प्रदेश में तृणभोजियों एवं मांसाहारी पशुओं से रक्षार्थ इन्हें बहुत तेज दौड़ना पड़ता है। वन्य जीव–जन्तुओं की संख्या अफ्रीका के सवाना में विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसे मिलती हैं। नदी तटीय भागों में घड़ियाल, हिप्पोपोटैमस, साँप इत्यादि दर्शनीय हैं। एमू और शुतुरमुर्ग पक्षी इसी प्रदेश के निवासी हैं। ध्यातव्य है कि यह प्रदेश ''**बड़े–बड़े शिकारों की भूमि**'' (Land Of Big Games) के नाम से प्रसिद्ध है।

मानव जीवन

सवाना घास भूमियों के विशाल क्षेत्र प्रायः जनविहीन ही है। यहाँ अनुकूल क्षेत्रों में ही बसाव सम्भव हो सका है। अधिकांश जनसंख्या संकेन्द्रण पश्चिमी द्वीपसमूह, मैक्सिको, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे, पूर्वी ब्राजील एवं अफ्रीका में नाइजीरिया एवं सूडान में पाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका की इन घास भूमियों में '**मसाई**' जनजातियाँ पशुपालक है। सवाना प्रदेश के आदिवासी आज भी विकास की पिछड़ी अवस्था में हैं। यहाँ जन्तुओं को फँसाकर आखेट करना भी प्रचलित है। आदिम जनजातियाँ विष बुझे तीरों द्वारा जन्तुओं का शिकार करती हैं।

आर्थिक क्रियाकलाप

विषुवतरेखीय प्रदेशों के सीमावर्ती भागों में अवस्थित सवाना प्रदेश की सीमाओं पर स्थानान्तरीय कृषि प्रचलित है। इससे आगे बढ़ने पर वनों का स्थान घासें ले लेती हैं। मृदा का निक्षालन कम होने से स्थानबद्ध कृषि कार्य होता है। सवाना प्रदेश के अनेक आदिवासी वर्ग निर्वाहक पशुचारण करते हैं व देशी नस्लें पालते हैं। इनका उपयोग दूध व मांस हेतु, परिवहन के रूपा में होता है। वस्तु विनिमय के रूपा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि नाइजीरिया के सवाना प्रदेशवासी ''**हौसा**'' जनजाति कृषि कार्य करते हैं। ये वर्षा के आधार पर मक्का, ज्वार, बाजरा व मूँगफली की कृषि करते हैं। ब्राजील पठार, पूर्वी व पश्चिमी अफ्रीका के पठारी भाग में व्यापारिक कृषि भी की जाती है। गन्ने की बागाती कृषि ब्राजील, मध्य अमेरिकी देश, हवाई द्वीप में प्रचलित है। हवाई द्वीप पर अनान्नास की वाणिज्यिक कृषि महत्वपूर्ण है। उत्तरी ब्राजील में जहाँ एक ओर कपास मुख्य उपज है वहीं दूसरी ओर यूकाटन व जिम्बाब्वे में तम्बाकू वाणिज्यिक फसल के रूपा में उगाई जाती है। इस प्रदेश में उगने वाले ''अकेसिया'' प्रकार के कुछ पेड़ों से गोंद प्राप्त होते हैं। आज विश्व का अधिकांश गोंद सूडान से प्राप्त होता है। दक्षिणी अमेरिका के ''ग्रान चाको'' में व्यापक रूपा से ''क्वेब्राको वृक्ष'' उगता है जो टैनिन का सबसे बड़ा स्रोत है। यह महत्वपूर्ण वनोपज है।

सवाना प्रदेश में अवस्थित भूमियों ने यूरोपीय औपनिवेशकों को खनिजों के लिए आकर्षित किया। पेट्रोलियम, लौह अयस्क, ताँबा, गन्धक, बाक्साइट के भण्डारों की उपस्थिति से लैटिन अमेरिकी देशों का महत्व बढ़ा है। वेनेजुएला देश का मराकाईबो झील क्षेत्र, ओरीनीको घाटी, कोलम्बिया की मैकडेलेना

Downloaded From www.dietmathura.org

घाटी, मैक्सिको का टैम्पिको क्षेत्र पेट्रोलियम सम्पन्न क्षेत्र है। गुयाना उच्च भूमियाँ लौह अयस्क, जमैका बाक्साइट के लिए प्रसिद्ध है।

प्रशिक्षुकों से धात्विक व अधात्विक खनिज संसाधनों पर चर्चा करें।

क्यूबा में सिगार निर्माण, रेसिफ (ब्राजील) में वस्त्रउद्योग, माराकाइबो बेसिन में पेट्रोलियम शोधन उद्योग प्रचलित है।

(ग) मानसूनी प्रदेश

मानसूनी प्रदेश आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु के विशिष्ट प्रदेश कहे जाते हैं। मानसूनी प्रदेश उष्ण कटिबंध में 8^0 अक्षांश से 28^0 अक्षांश के मध्य अवस्थित है। इस प्रदेश का विस्तार एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, दक्षिणी चीन व फिलीपीन्स द्वीप समूह, आस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस प्रदेश की जलवायु में स्पष्टतः जाड़े व गर्मी की अलग–अलग ऋतुएँ दृष्टिगोचर होती हैं। इतना ही नहीं, एक अलग वर्षा ऋतु की स्पष्ट पहचान इस प्रदेश विशेष की प्रमुख विशेषता है। वर्ष के विभिन्न समय में तापमान में भिन्नता स्पष्ट रूपा से परिलक्षित होती है। जहाँ एक ओर ग्रीष्म काल में तापमान 40^0C या उससे अधिक तक पहुँच जाता है वहीं दूसरी ओर शीतकाल का तापमान 10^0C तक आ जाता है। जहाँ तक इस प्रदेश विशेष में वर्षा का प्रश्न है, वह अनिश्चितता का परिचायक है।

- प्रशिक्षुओं से भारत में मानसूनी जलवायु के कारणों व प्रभावों पर चर्चा कीजिये।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र पर मानसून के प्रभावों पर चर्चा करें।

मानसूनी प्रदेश में वर्षा 40 सेमी0 से लेकर 200 सेमी0 तक होती है। सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकाल के उपरान्त जून से सितम्बर के मध्य होती है। यही समय वर्षा ऋतु के नाम से जानी जाती है। शीतकाल सामान्यतः शुष्क रहता है। ध्यातव्य है कि मानसून की प्रक्रिया की जटिलता अधिक होती है जिसके कारण इसे ***''कृषि का जुआ''*** भी कहा जाता है। मानसूनी प्रदेशों में वनस्पतियों की विशेषता होती है कि वृक्ष ग्रीष्मकाल आने के पहले शुष्कता के प्रभाव को न्यून करने के लिए अपने पत्तों को गिराते हैं। इस कारण से इस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन दृष्टिगोचर होते हैं। इन वनों में साल, सागौन जैसे मूल्यवान वृक्ष प्रमुख रूपा से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त ताड़, शीशम, आम, कटहल, जामुन तथा बांस के वृक्ष प्रधानता से मिलते हैं। इन वनों की लकड़ियाँ अत्यन्त कठोर होती हैं। ध्यातव्य है कि इस प्रदेश की वनस्पतियाँ घनी नहीं होती हैं। अत्यल्प वर्षा वाले भागों में काँटेदार झाड़ियाँ उग आती हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

जीव–जन्तु

मानसूनी प्रदेशों में वनों के अन्दर बाघ, सिंह, तेन्दुआ, हिरन जैसे जानवर विचरण करते हैं। नदी तटीय भागों में घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ जैसे जन्तु अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सघन आबादी के बावजूद एशिया के मानसूनी प्रदेशों में बड़ी संख्या में वन्य–जीव जन्तु पाये जाते हैं। भारत में किंग कोबरा तथा वाइपर जैसे जहरीले सर्प मिलते हैं। वानरों की अनेक प्रजातियाँ, गैण्डा व हाथी भी इस प्रदेश को प्राकृतिक आवास (Habitat) के रूपा में दर्शनीय हैं। बाघ केवल एशिया में ही मिलते हैं।

मानव जनजीवन

मानसूनी प्रदेश विश्व के सर्वाधिक जनसंकेन्द्रण वाले प्रदेशों में सम्मिलित है। डेल्टाई प्रदेशों व मैदानों में अधिसंख्यक जनसंख्या निवासित है। इस प्रदेश में उपजाऊ कृषि भूमियों के कारण कृषि प्रधान क्रियाकलाप के रूपा में जानी जाती है। अतः इस प्रदेश में अधिसंख्यक जनसंख्या ग्रामीण अधिवास को प्रदर्शित करती है। भारतीय उप महाद्वीप के विपरीत दक्षिणपूर्वी एशिया में कृषि व्यवस्था का विकास अपेक्षाकृत कम ही हुआ है। यद्यपि जावा द्वीप पर कृषि कार्य महत्वपूर्ण होने से सघन रूपा से आबाद है किन्तु विषम परिस्थितियों में पर्वतीय भागों में विरल जनसंख्या मिलती है।

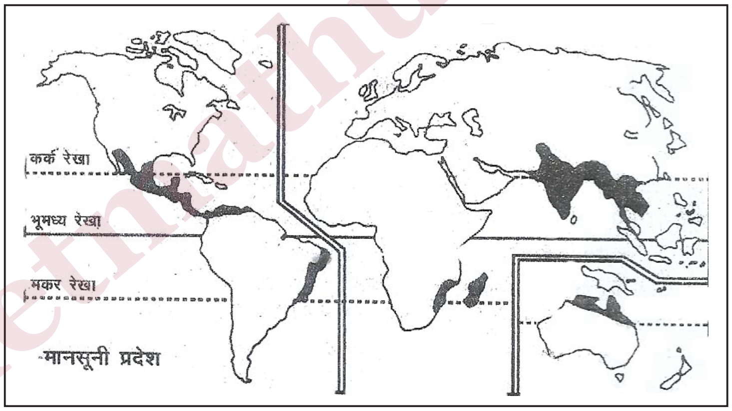

एशियाई मानसूनी भाग में निर्वहनीय कृषि की प्रधानता है। यहाँ बांग्लादेश में चावल, पाकिस्तान में गेंहू तथा भारत में खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन होता है। ध्यातव्य है कि जोतों का आकार छोटा होता है। फलतः कृषक इन लघु जोतों में सघन कृषि करते हैं।

आर्थिक क्रियाकलाप

मानसूनी प्रदेशों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। ये प्रदेश जल, वर्षा एवं सिंचाई की सहायता से धान, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, तम्बाकू, तिलहन, चाय जैसी फसलों के उत्पादन के अग्रणी क्षेत्र हैं। इनके उत्पादन के लिए यहाँ की जलवायु एवं मृदा अनुकूल दशाएँ प्रदान करती हैं। मानवीय श्रम की सफलता जितनी इस प्रदेश में निर्भर है उतनी विश्व में शायद ही किसी अन्य प्रदेश में हो। इस प्रदेश में आम, जामुन, महुआ इत्यादि वृक्षों की लकड़ियाँ मिलती हैं। एशियाई मानसूनी भाग खनन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जहाँ विभिन्न प्रकार के धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का खनन किया जाता है। इनमें लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, टंगस्टन इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। थाईलैण्ड में टिन,

Downloaded From www.dietmathura.org

आस्ट्रेलिया में बाक्साइट के निक्षेप मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों यथा– लौह–इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग,इन्जीनियरिंग, सीमेण्ट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, रसायन उद्योग का विकास हुआ है।

मानसूनी प्रदेशों में प्राकृतिक एवं तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद उनका उचित दोहन तथा उपयोग में न होने के कारण विकास की गति धीमी ही है। भारत में यद्यपि अवश्य ही कृषि व उद्योग क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है किन्तु तकनीकी जानकारी कृषकों तक पूर्णतया न पहुँच पाने के कारण अभी विकास की रफ्तार कम है।

(घ) उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश

उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश उत्तरी व दक्षिणी दोनों ही गोलार्द्धों में 15^0 से 30^0 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में अवस्थित हैं। इस प्राकृतिक प्रदेश का सबसे बड़ा भाग सहारा मरुस्थल है जो लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसी के नाम से इस प्राकृतिक प्रदेश विशेष का नामकरण ***सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश*** किया गया है। इसके अतिरिक्त ईरान, बलूचिस्तान, सऊदी अरब, थार का मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा, आस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका का सोनोरन एवं एरीजोना मरुस्थल, अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल ऐसे ही प्रदेशों के उदाहरण हैं। इन मरुस्थलीय प्रदेशों ने वैश्विक भूमि का लगभग 17 प्रतिशत भाग घेर रखा है। इनमें विश्व की लगभग 4 प्रतिशत जनसंख्या ही यहाँ निवास करती है।

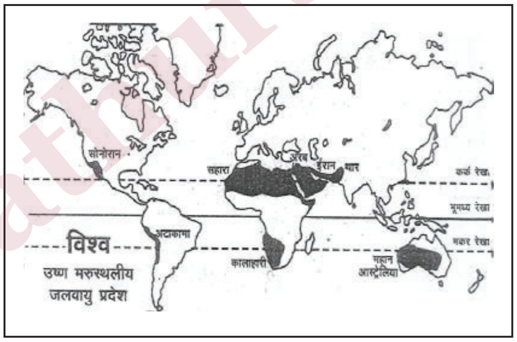

प्रशिक्षुओं को एटलस के माध्यम से रिक्त विश्व मानचित्र पर संसार के मरुस्थलीय प्रदेशों की पहचान करायें व उनके प्रभावों पर चर्चा करें।

उष्ण मरुस्थलों में वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। जाड़े के महीनों में औसत तापमान 10^0C और गर्मी के महीनों में औसत तापमान 30^0C या उससे अधिक मिलता है। ऐसे प्रदेशों में तापान्तर अधिक पाया जाता है तथा अधिकांशतः बादलरहित आकाश मिलता है। विश्व में सबसे अधिक तापमान उष्ण मरुस्थलों में ही पाये जाते हैं। ये प्रदेश अत्यधिक शुष्कता के लिए प्रसिद्ध हैं। जहाँ तक वर्षा का प्रश्न है, इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा तो अनिश्चित है ही किन्तु उसका होना भी अनिश्चित है। ऐसे प्रदेशों में औसतन 25 सेमी0 से भी कम वर्षा का अंकन किया जाता है। यदा–कदा आकस्मिक बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। इसी प्रदेश में सहारा मरुस्थल में अल अजीजिया में, कैलीफोर्निया की मृत घाटी, थार में जैकोबाबाद, उत्तरी अमेरिका के सोनोरन में सर्वाधिक तापमान रिकार्ड किये जाते हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

मरुस्थलीय प्रदेशों में अत्यधिक शुष्कता व न्यून वर्षण के कारण कुछ कंटीली झाड़ियाँ अवश्य मिलती हैं। इन्हें मरुद्भिदी (Xerophytic) कहते हैं जो कि उत्पन्न कठोर पर्यावरण से स्वयं को पूर्णतः समायोजित कर लेते हैं। फलतः इनकी जड़ें पानी की खोज में लम्बी हो जाती हैं। इन झाड़ियों के तने गूदेदार, पत्तियाँ चिकनी, चमकीली व रोयेंदार होते हैं। इसका मुख्य कारण वनस्पतियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कम करने का प्रयास होता है। इनमें घास, कैक्टस, एकेशिया वृक्ष प्रमुख रूपा से उल्लेखनीय हैं। ये प्रदेश **''सतत कठिनाइयों'' के प्रदेश** भी कहलाते हैं।

जीव जन्तु

मरुस्थलीय वन्य जीवन विरलता का प्रतीक होता है। वन्य जीव–जन्तुओं की ऐसी प्रजातियाँ यहाँ मिलती हैं, जो कठोर पर्यावरण में स्वयं को अनुकूलित करने में सक्षम होते हैं। इनकी त्वचा का रंग प्रायः पीले से लाल होता है, जिससे स्वयं को रेत में छिपा सकें। आकार में ये छोटे होते हैं। मरुस्थलीय लोमड़ी तथा एण्टिलोप सहारा के विशालतम जन्तु हैं। दौड़ने व उछलने वाले जन्तु अधिक पाये जाते हैं। *ऊँट* इस प्रदेश विशेष का प्रमुख पालतू पशु है जिसे ***''रेगिस्तान का जहाज''*** कहा जाता है। यह मरुस्थलीय जलवायु से सर्वाधिक अनुकूलित पशु है।

मानव जनजीवन

मरुस्थलीय प्रदेशों में व्यापक क्षेत्र सामान्यतः निर्जन है। इसका प्रमुख कारण वहाँ पर प्रतिकूल पर्यावरण का होना है। यहाँ जल एवं वनस्पतियों का अभाव तथा कठोर जलवायु मानव निवास को हतोत्साहित करते हैं। इन प्रदेशों में चलवासी पशुचारण, मरुद्यान (Oasis) कृषि व खनन क्रिया प्रचलित है। मरुद्यानों में कहीं–कहीं आबादी संकेन्द्रित मिलती है। नील नदी घाटी एवं डेल्टाई भाग में मानसूनी प्रदेश सघन जनसंख्या से केन्द्रित हैं। यहाँ जनसंख्या का निवास जल प्राप्ति पर पूर्णतः निर्भर करता है। मरुद्यानों के अधिकांश निवासी कृषि कार्य में संलग्न हैं तथा चलवासी पशुचारक अपने पशुओं के साथ चरागाहों की तलाश में घुमन्तू जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ लोग तो आखेटक भी हैं, जो आदिम जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। चलवासी पशुचारकों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है। दक्षिण पश्चिम एशिया के मरुभूमियों में छुहारे, अल्फाल्फा घास, सोरघम जैसी प्रमुख फसलें महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम व नाइट्रेट प्रमुख खनन खनिज हैं। इन खनिजों ने सम्बन्धित देशों की अर्थव्यवस्था को न केवल प्रभावित किया है अपितु सामाजिक स्थिति एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी व्यापक परिवर्तन किये हैं। अटाकामा मरुस्थलीय भाग में नाइट्रेट के विशाल निक्षेप हैं जिन्हें **''केलिश''** कहा जाता है। पेरु तट पर **''ग्वानो''** नामक पदार्थ एक विशिष्ट उर्वरक है जो सागरीय पक्षियों की बीट (Excrement) से बनता है। यह विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। कालाहारी मरुस्थल के ''बुशमैन'' आस्ट्रेलिया के मूल निवासी ''एबोर्जिन्स'' चलवासी आखेटक है जो इन्हीं मरुस्थलों का उपयोग करते हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

(2) शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश

शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का विस्तार 30^0 अक्षांश से 65^0 अक्षांशीय के मध्य दोनों ही गोलार्द्धों में पाया जाता है। महाद्वीपीय अवस्थिति, तापमान एवं स्थायी पवन प्रभाव एवं अन्य कारकों के समेकित प्रभाव के कारण एक ही अक्षांशीय विस्तार वाले क्षेत्र में जलवायविक विविधता दृष्टिगोचर होती है। इसी कारण से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों का अध्ययन की सुविधा के लिए उपविभाजित करना अधिक समीचीन होगा।

(क) भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश

ऐसे प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30^0–45^0 अक्षांशीय विस्तार के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी दोनो ही गोलार्द्धो में पाये जाते है। ध्यातब्य है कि इस प्रदेश का अधिकांश विस्तार भूमध्य सागर के चतुर्दिक अवस्थित भूभाग पर है इसीलिए इस प्राकृतिक प्रदेश का नामकरण भूमध्यसागरीय प्रदेश है। ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत भूमध्य सागर तट के आस–पास के देशों के अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीका का केप प्रान्त, उत्तरी अमेरिका में अवस्थित कैलिफोर्निया की मध्यवर्ती घाटी, दक्षिणी अमेरिका में मध्यवर्ती चिली, दक्षिण पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी आस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं।

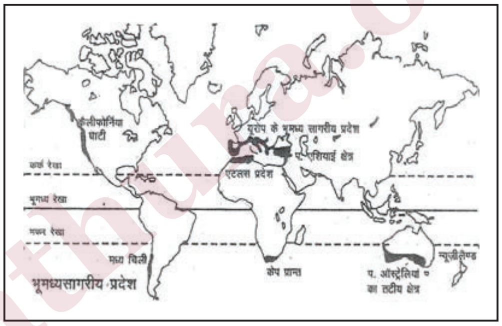

- प्रशिक्षुओं के समक्ष एटलस व मानचित्र की सहायता से भूमध्य सागरीय प्रदेश के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रों की पहचान करायें।

भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता यहाँ का ग्रीष्मकाल काफी लम्बा व शुष्क होना है। वर्षा शीतकाल में होती है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 17^0C से 26^0C तक रहता है। शीत ऋतु का तापमान 5^0C से 10^0C तक बना रहता है। शीतकाल में होने वाली वर्षा वायुदाब की पेटियों के खिसकने से प्रदेश पछुआ पवनों के प्रत्यक्ष प्रभाव में आ जाते हैं। ग्रीष्म काल में ये प्रदेश शुष्क व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं। वर्षा प्रायः रुक–रुक कर होती है जो औसतन शुष्क भागों में 40–50 सेमी0 के मध्य व आर्द्र भागों में 75–100 सेमी0 के मध्य होती है। इसी प्राकृतिक प्रदेश में गर्म स्थानीय पवनें क्षेत्रीय वनस्पतियों को झुलसाने का कार्य भी करती हैं जिनमें प्रमुख रूपा से अल्जीरिया में ''सिराक्को'', स्पेन में ''लैबेची'', मिस्र में ''खमसिन'', कैलीफोर्निया में ''सान्ताआना'', दक्षिणी फ्रांस में ''मिस्ट्रल'' व बाल्कन देशों में ''बोरो'' प्रमुख रूपा से उल्लेखनीय है।

जहाँ तक इस प्रदेश में अवस्थित वनस्पतियों का प्रश्न है, यहाँ मुख्यतः अपेक्षाकृत कम लम्बाई वाले सदाबहार वृक्ष एवं झाड़ियाँ दर्शनीय हैं। ग्रीष्मकालीन शुष्कता को सहने वाली वनस्पतियाँ वातावरणीय समायोजन कर विकसित होती हैं। कार्क, जैतून, शहतूत, ओक, नीबू, संतरा व सेब प्रमुख

Downloaded From www.dietmathura.org

रूपा से इसी प्रदेश की वनस्पतियाँ हैं। उच्च पर्वतीय ढलानों पर कोमल लकड़ी वाले वृक्ष पाइन, सिडार, फर, साइप्रस, जूनीफर, लारेल उगते हैं। कैलीफोर्निया में **''रेडवुड''** पाया जाता है। इतना ही नहीं इस प्रदेश में मैक्विम, चैपरल, कैक्टस जैसे झाड़ीनुमा पौधे यत्र–तत्र विकसित होते हैं। यहाँ **''कोर्सिका द्वीप''** सुगन्धित झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।

जीव–जन्तु

इस प्रदेश विशेष में चरागाह के अभाव में गाय–भैंसें बहुत कम मिलती हैं। शुष्क भाग भेड़ बकरियों से युक्त अवश्य होते हैं। इस भाग में रंग–बिरंगी चिड़ियाँ प्रचुर मात्रा में विचरण करती हुई देखी जा सकती हैं। शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े यहाँ खूब पनपते हैं।

मानव जीवन व क्रिया कलाप

भूमध्यसागरीय प्रदेशों में निम्न भूमियों में सघन आबादी मिलती है। यद्यपि कुछेक पर्वतीय भागों में भी सघनता मिलती है। इन प्रदेशों में अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। शुष्क ग्रीष्मकाल के बावजूद यहाँ कृषि का विकास हुआ है। एशिया के चावल उत्पादक सघन आबाद क्षेत्रों के पश्चात् सर्वाधिक सघन आबादी भूमध्यसागरीय बेसिन की ही है। कृषक अधिकांशतः गाँव में रहते हैं। यहाँ रसदार फलों की खेती आर्द्र भागों में सीमित है। इनमें अंगूर प्रमुख है। जैतून एवं अंजीर शुष्क क्षेत्रों में उगाये जाते हैं। खाद्यान्नों की खेती निर्वाहक एवं फलों की कृषि वाणिज्यिक होती है। कैलीफोर्निया में फलों व सब्जियों की बागवानी प्रसिद्ध है। यहाँ नारंगी का उत्पादन ***''सान जैक्विन घाटी''*** में होता है। नापा घाटी अंगूर की शराब के लिए प्रसिद्ध है। कपास उत्पादन एवं पशुचारे हेतु अल्फाल्फा घास की कृषि व्यापक रूपा से अवलोकनीय है। मध्यवर्ती चिली में तो उर्वर जलोढ़ मृदा के जमाव ने बड़े–बड़े फार्मों को जन्म दिया है जिन्हें **''हेसिएण्डा''** कहा जाता है। आस्ट्रेलियाई भूमध्यसागरीय प्रभाग में गेहूँ उत्पादन व भेड़पालन की प्रमुखता है, जहाँ गेहूँ की विस्तृत खेती की जाती है। इतना ही नहीं भूमध्य सागरीय प्रदेश में मत्स्ययन जैसे क्रियाकलाप भी उल्लेखनीय हैं। प्रदेश में वनोद्योग प्रचलित है। खनन इस प्रदेश की महत्वपूर्ण क्रियाकलाप में शामिल है। फ्रांस की दक्षिणी रोन नदी घाटी से बाक्साइट, इटली में पारा, अल्जीरिया में लौह अयस्क व फास्फेट, तुर्की में क्रोमियम, इटली में संगमरमर, चिली में नाइट्रेट व तांबा, आस्ट्रेलिया के ब्रोकेनहिल में सीसे व जस्ते की खदानें प्रसिद्ध है। कैलिफोर्निया में **सारडाइन मछली** की डिब्बाबंदी के कारण इसे **''विश्व की सारडाइन की राजधानी''** भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध **''हालीवुड''** में फिल्म उद्योग कैलिफोर्निया में ही है। यहाँ पर्यटन उद्योग विकसित अवस्था में है।

(ख) शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश

ऐसे प्रदेश महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में दोनों ही गोलार्द्धों में 30^0 से 40^0 अक्षांशों के मध्य अवस्थित हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार ईरान व उसके आस–पास तक है यही कारण है कि इसे **ईरानतुल्य जलवायु** वाला प्राकृतिक प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार ईरान, मध्य एशिया

Downloaded From www.dietmathura.org

का तारिमबेसिन, गोबी मरुस्थल, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान व चीन देश का सिक्यांग प्रदेश तक है। इतना ही नहीं यू0एस0ए0 का ग्रेट बेसिन व मैक्सिको का उत्तरवर्ती पठारी भाग, दक्षिणी अफ्रीकी वेल्ड प्रदेश, आस्ट्रेलियाई न्यू साउथ वेल्स, दक्षिणी अमेरिकी बोलिविया पठार, पैटागोनिया का उत्तरी भाग भी इसी जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है।

यह प्रदेश अधिकांशतः ऐसे पठारों पर अवस्थित है जो पर्वतमालाओं से घिरे हैं। यहाँ तापान्तर की अधिकता व वर्षा की न्यूनता होती है। थोड़ी बहुत जो भी वर्षा होती है वह ग्रीष्मकाल में होती है। ग्रीष्मकालीन तापमान 40^0C तक पहुँच जाता है। औसत वर्षा 25 सेमी0 तक होती है।

अतिशुष्कता के कारण प्राकृतिक वनस्पतियाँ घास एवं कटीली झाड़ियों के रूपा में उगती हैं। मैदानी भागों में छोटी घासें तथा उच्च पठारी भागों में वर्षा के कारण वन भी मिलते हैं।

इन प्रदेशों में पशुचारण व कृषि प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हैं। मेरिनो भेंड़ तथा बकरियों की ऊन व बाल, खालें, चौपायों व सुअर का मांस यहाँ की निर्यात की प्रमुख मदें हैं। धीरे–धीरे डेयरी उत्पाद भी महत्वपूर्ण बन रहे हैं। सिंचाई की सुविधाओं के फलस्वरूपा जौ, गेहूँ, नाशपाती, नारंगी, कपास, मक्का, तम्बाकू, अनन्नास की खेती भी की जाती है। आस्ट्रेलिया के मरे व डार्लिंग नदी बेसिन में गेहूँ की कृषि महत्वपूर्ण है। ईरान में खनिज तेल, दक्षिण अफ्रीका में हीरा, सोना, कोयला खनन महत्वपूर्ण है। बोलिविया के पठारी भाग टिन,चाँदी व ताँबा के खनन में प्रसिद्ध है।

(ग) स्टेपी प्रदेश

इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्द्धों में 30^0–45^0 अक्षांशों में महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में मरुस्थलों के निकटस्थ भागों में है। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। यूरेशिया में **'स्टेपी'**, उत्तरी अमेरिका में **'प्रेयरी'**, दक्षिणी अमेरिका में **'पम्पास'**, दक्षिणी अफ्रीका में **'वेल्ड'**, आस्ट्रेलिया में **'डाउन्स'** उल्लेखनीय हैं।

महाद्वीपों के भीतरी भाग में स्थित होने और सागरीय प्रभाव से दूरी ने इस प्रदेश में महाद्वीपीयता के लक्षण स्पष्टतः परिलक्षित होते हैं। यहाँ ग्रीष्मकालीन अधिकतम तापमान 26^0C तथा जाड़े में हिमांक से नीचे तक पाया जाता है। यद्यपि वर्षा वर्ष भर कुछ न कुछ होती रहती है। शीतकालीन वर्षा चक्रवाती प्रकार की होती है।

वर्षा की कमी के कारण इन प्रदेशों में घासयुक्त वनस्पतियाँ उगती है। बसन्त और ग्रीष्मकाल में बर्फ के पिघलने से इन घासभूमियों को जल मिल जाता है। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी प्रदेश में वर्षा की अधिकता के कारण घासें काफी लम्बी हो जाती हैं। यूरेशियाई स्टेपी में कम वर्षा के कारण घासें छोटी व बिखरी हुई होती हैं। ध्यातव्य है कि इस प्रदेश में प्रायः पेड़ नहीं मिलते। केवल नदी तटीय भागों में ही मिलते हैं। ये वनस्पतियाँ ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ तथा अर्द्धमरुस्थलों की ओर सीमायें बनाती हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

स्टेपी प्रदेशों में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही प्रकार के पशु मिलते हैं। गाय, भेड़, बकरी एवं घोड़े यहाँ के प्रमुख शाकाहारी पशु हैं। ध्यातव्य है कि आस्ट्रेलिया के ऐमू, हिंगो व खरगोश प्रमुख रूपा से मिलते हैं। घास भूमियाँ अनेक प्रकार के जीवों के प्राकृतिक आवास हैं, जिनमें नखदन्ती, सरीसृप तथा पक्षी सम्मिलित हैं। एशियाई स्टेपी प्रदेशों में बारहसिंगा, जंगली गधे, घोड़े, बैक्ट्रियन ऊँट , भेड़िये आदि पाये जाते हैं।

प्रशिक्षुओं के समक्ष सक्रिय वार्तालाप के द्वारा एशियाई स्टेपी एवं उत्तरी अमेरिकी प्रेयरी के क्रियाकलापों पर चर्चा करें।

इन प्रदेशों में मानव चिरकाल से ही पशुपालन करता रहा है। आज भी विश्व की सर्वाधिक भेड़ें इन्हीं प्रदेशों में हैं। आस्ट्रेलिया व अर्जेन्टीना भेड़ पालन हेतु विख्यात हैं जो इन्हीं प्रदेशों में अवस्थित हैं। ऊन तथा मांस का निर्यात प्रमुख क्रियाकलाप है। मध्य एशिया में घोड़े पाले जाते हैं। जनजातीय समाजों में खिरगीज, कजाख घुमक्कड़ जनजीवन व्यतीत करती हैं। इन प्रदेशों में गेहूँ मुख्य खाद्यान्न फसल है। अतएव ये प्रदेश ***''विश्व के खाद्यान्न भण्डार''*** कहलाते हैं। यूक्रेन में कपास व सूरजमुखी की कृषि महत्वपूर्ण है। अल्फाल्फा, आलू, चुकन्दर जैसी बागवानी फसलें भी उगाई जाती हैं। इन प्रदेशों में मत्स्ययन अधिक होता है। हेरिंग, कॉड किस्म की मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती हैं। खनन क्रियाकलाप के अन्तर्गत उटाह (संयुक्त राज्य अमेरिका) प्रांत की विंघम खदान तांबा के लिए, यूक्रेन का क्रिवाईराग लौहअयस्क के लिए, डोनेत्स्क बेसिन कोयला, निकोपोल में मैगनीज, बाकू में पेट्रोलियम, कारागाण्डा (कजाकस्तान) में कोयला खनन, विटवाट्सरैण्ड (द0अफ्रीका) में अतिविशिष्ट स्वर्ण का खनन उल्लेखनीय है। स्टेपी प्रदेश में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण औद्योगिक प्रदेश हैं। इनमें लौह इस्पात, कृषि मशीनरी, तेल शोधन, खाद्य प्रसंस्करण, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रसायन उद्योग प्रमुख हैं। पर्यटन उद्योग इस प्रदेश का विकसित उद्योग है जहाँ प्राकृतिक दृश्य मनोरम छटा प्रदर्शित करते हैं।

3. शीतकटिबंधीय प्रदेश

ऐसे प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तार 45^0 अक्षांश से ध्रुवों तक है। शिक्षण की सुविधा हेतु इसे दो उपविभागों में वर्गीकृत करना अधिक उपयुक्त रहेगा।

(क) टैगा प्रदेश (ख) टुण्ड्रा प्रदेश

(क) टैगा प्रदेश

इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्द्ध में $45^0 - 70^0$ अक्षांशों के मध्य तक है। अलास्का से कनाडा, स्वीडेन से साइबेरिया तक का क्षेत्र टैगा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। टैगा प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार साइबेरिया में होने के कारण ही इसे **साइबेरिया प्रकार प्रदेश** (siberian Type) भी कहा जाता है। इस प्रदेश की मुख्य विशेषता शीतकाल की ऋतु का दीर्घकालिक होना है।

Downloaded From www.dietmathura.org

यह 8–9 महीने के आस–पास होती है। तापमान हिमांक के काफी नीचे आ जाता है। विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में से एक यहीं है। वर्खोयांस्क का तापमान शीतकाल में लगभग(-50^0C) जनवरी में अंकित किया जाता है। अत्यधिक शीत पड़ने के कारण इस प्रदेश में हिमपात होता रहा है। ग्रीष्मकाल 4–5 महीने का होता है किन्तु दिन लम्बे होते हैं। वर्षा औसतन 25–50 सेमी0 तक होती है। वर्षा संवहनीय व चक्रवाती दोनों ही प्रकार की होती है। यदा–कदा प्रचण्ड बर्फीली आँधियाँ **''ब्लिजार्ड''** (कनाडा) एवं **''ल्यूरान''** (यूरेशिया) चलती हैं।

प्रशिक्षुओं से कल्पना करायें कि ऐसे जलवायु प्रदेश में कृषि कार्य कैसे व कब सम्भव होगी, वनस्पतियाँ कैसी होंगी?

टैगा प्रदेशों में वातावरणीय अनुकूलन कर यहाँ के वनों में वृक्ष की पत्तियाँ कोण बनाती हैं जिसके कारण इन्हें **शंकुधारी** या **कोणधारी** वन भी कहा जाता है। चूँकि इस प्रदेश में वर्षा हिम के रूपा में होती है शंक्वाकार रूपा में इन वृक्षों के वितानों के होने के कारण वर्षण के रूपा में हिम स्वयं फिसलकर धरातल पर गिर पड़ती है और पत्तियाँ गलती या सड़ती नहीं हैं। यहाँ स्प्रूस, लार्च, फर तथा पाइन प्रमुख वानस्पतिक किस्में है। इन वनों के अतिरिक्त नदियों के तटीय भागों में विलो, एल्डर, एस्पेन तथा बर्च के वृक्ष भी उगते हैं। धरातल पर मास, लाइकेन व झाड़ियाँ उग जाती हैं।

टैगा प्रदेश का वन्य जीवन प्रचुरता से भरा है। इस प्रदेश में कैरिबो या रेण्डियर, मूज व एल्क प्राणी हैं। समूरदार जन्तुओं में विशेषकर फिशर, फाक्स, मार्टिन,मिंक, अरमाइन आदि प्रमुख हैं। वनों में अनेक पक्षियों के भी प्राकृतिक आवास स्थित हैं इनमें ग्राउज, वुडपैकर आदि उल्लेखनीय हैं।

इस प्रदेश की कठोर जलवायु मानव जीवन के प्रतिकूल है। यही कारण है कि ये प्रदेश विकास से कोसों दूर हैं। यहाँ विरल आबादी निवास करती है। यहाँ अनेक आदिम वर्ग हैं जो आखेट, लकड़ी काटने वाले, जन्तु फँसाने वाले जैसे क्रियाकलाप करते हैं। एकान्तता इस प्रदेश विशेष का लक्षण है। लम्बी कठोर शीत ऋतुओं के कारण लघु शस्यवर्द्धन काल, अनुर्वर मृदा के कारण कृषि कार्य सीमित है। ग्रीष्मकाल में सब्जियों, चारा, फसलों एवं खाद्यान्नों का उत्पादन कर लिया जाता है। टैगा के वन विश्व में टिम्बर तथा लुग्दी के प्रमुख स्रोत हैं। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कनाडा में अखबारी कागज इन्हीं वनों के कच्चे माल से बनता है। कनाडा के लारेंशियन शील्ड पर लौह अयस्क, निकिल, तांबा, सोना, कोबाल्ट के निक्षेपों का खनन कार्य होता है। स्वीडेन के किरुना में लौह की खानें हैं। रुस के कोला प्रायद्वीप में एपीटाइट, पेचोरा बेसिन में कोयला व पेट्रोलियम, येनिसी व लीना नदी घाटियों में कोयला, अंगारा घाटी में लौहअयस्क, नोर्लिस्क में निकिल के खनन का कार्य होता है। रुस में ''मिना'' हीरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।

Downloaded From www.dietmathura.org

टुण्ड्रा प्रदेश

टुण्ड्रा का शाब्दिक अर्थ है– बंजर भूमि। इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार ग्लोब पर 65^0 अक्षांशों से ध्रुवों की ओर है। टुण्ड्रा प्रदेश वनस्पतियों का उत्तरी सीमांत है। इसके अन्तर्गत यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, ग्रीनलैण्ड व आर्कटिक द्वीप सम्मिलित हैं।

इस प्रदेश में शीत ऋतु अत्यंत ठंडी व लम्बी होती है। ग्रीष्म ऋतु भी ठण्डी व अल्पअवधि की होती है। कुछ ही महीने सूर्य क्षितिज के ऊपर रहता है। शीत ऋतु में अन्धकार छाया रहता है। शीतकाल में हिमपात सूखे व चूर्ण के रूपा में होता है। हिमाच्छादित ध्रुवीय क्षेत्र उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित होता है। छः महीने की दिन व छः महीने की रात होती है।

यद्यपि टुण्ड्रा प्रदेश में वनस्पतियों के लिए प्रतिकूल दशाएँ होती हैं किन्तु यहाँ तीन प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं– झाड़ीनुमा, घास, मरुस्थलीय। टैगा प्रदेश की उत्तरी सीमा पर बौने एल्डर, बर्च, विलो झाड़ीनुमा वनस्पतियाँ, टुण्ड्रा प्रदेश के उत्तर में मांस, लाइकेन, पुष्पी पादप घासें, ध्रुववर्ती सीमा पर चट्टानी धरातल पर यत्र–तत्र मृदाओं में कुछ वनस्पतियाँ मिलती हैं।

टुण्ड्रा प्रदेश में मस्क ऑक्स , कैरिबो (रेंडियर), भेड़िया, आर्कटिक लोमड़ी, खरगोश , लेमिंग जैसे जन्तु पाये जाते हैं। आर्कटिक, उल्लू जैसे विशिष्ट पक्षी यहाँ मिलते हैं। जीव जन्तुओं के शरीर पर घना समूर उनकी कठोर ठण्डी ऋतु से रक्षा करता है। अधिकांश जीवजन्तु रंग में सफेद होते हैं जो बर्फ में छिपने में उनकी सहायता करते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय भालू, वालरस, ह्वेल, सील आदि जीव पाये जाते हैं। अन्टार्कटिक महासागर में ह्वेल पकड़ना एक प्रमुख क्रिया है। अण्टार्कटिका में पेंगुइन विशिष्ट प्रकार की एक जन्तु किस्म मिलती है।

टुण्ड्रा प्राकृतिक प्रदेश में जलवायु की कठोरता, वानस्पतिक विरलता मानवीय निवास के लिए बाधक है, जहाँ मानव जीवन के अवसर कम उपलब्ध हैं फिर भी यूरेशिया में चलवासी लोग **रेण्डियर** पालते हैं जो आखेट जैसे क्रियाकलाप करते हैं। स्लेज कुत्ते भी पाले जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के टुण्ड्रा प्रदेश में **एस्किमो** रहते हैं जो शिकार व मत्स्य पकड़ते हैं। इनके निवास को **'इग्लू'** कहते हैं जो हिमशिलाओं से निर्मित होते हैं। एस्किमो ग्रीष्मकाल में हिम पिघलने पर **'कायाक'** तथा **'उमियाक'** नावों से जलीय जीवों का शिकार करते हैं। बर्फ पर फिसलने वाली बिना पहियों की गाड़ी को कुत्ते खींचते हैं जिसे 'स्लेज' कहते हैं। इन प्रदेशों में अनुसंधान केन्द्र बनाये गये हैं जैसे– अण्टार्कटिका पर भारत का **दक्षिण गंगोत्री, मैत्री** प्रमुख हैं। इस प्रदेश में संसाधनों के सीमित होने, पर्यावरण की कठोरता के कारण भविष्य में विकास की संभावनाएँ सीमित हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. 'सेलवास' वन पाये जाते हैं–
   (क) विषुवरेखीय प्रदेश (ख) भूमध्यसागरीय प्रदेश

Downloaded From www.dietmathura.org

(ग) टैगा प्रदेश | (घ) टुण्ड्रा प्रदेश

2. 'पिग्मी' जनजाति निवास करती है –

(क) इण्डोनेशिया | (ख) कांगो बेसिन

(ग) अमेजन बेसिन | (घ) मिसीसिपी बेसिन

3. 'बड़े शिकारों की भूमि' नाम से प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रदेश है –

(क) टैगा | (ख) भूमध्यसागरीय

(ग) सवाना | (घ) टुण्ड्रा

4. 'एबोर्जिन्स' मूल निवासी हैं –

(क) एशिया | (ख) दक्षिणी अमेरिका

(ग) अफ्रीका | (घ) आस्ट्रेलिया

5. 'चैपरल' वनस्पतियाँ मुख्य रूपा से किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है ?

(क) भूमध्यसागरीय | (ख) भूमध्यरेखीय

(ग) सवाना | (घ) टुण्ड्रा

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

6. आस्ट्रेलियाई स्टेपी को किस नाम से जाना जाता है ?

7. कारागाण्डा किस खनिज के खनन हेतु प्रसिद्ध है ?

8. टैगा प्राकृतिक प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

9. ''कायाक'' तथा ''उमियाक'' क्या है? यह किस प्राकृतिक प्रदेश की मुख्य विशेषता है ?

10. भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में कौन–कौन सी वनस्पतियाँ पायी जाती हैं ?

11. मानसूनी प्रदेश में मानव क्रियाकलाप का संक्षिप्त विवरण दीजिए ।

12. स्थानान्तरीय कृषि क्या है ?

13. सुमेलित कीजिए –

(क) मैंगनीज	1. विटवाट्सरैण्ड
(ख) कोयला	2. निकोपोल
(ग) पेट्रोलियम	3. कारागाण्डा
(घ) सोना	4. बाकू

Downloaded From www.dietmathura.org

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

14. भूमध्यसागरीय प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु एवं वनस्पतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

15. मानसूनी प्रदेश की स्थिति, विस्तार, जलवायु व आर्थिक क्रियाकलाप का आलोचनात्मक विवरण दीजिए।

www.dietmathura.org

Downloaded From www.dietmathura.org

भूखण्डों का विभाजन

पृथ्वी का समस्त धरातल मुख्य रूपा से 7 स्थलखण्डों में विभाजित है, जिन्हें हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच के रूपा में महाद्वीप के नाम से जानते हैं। सेमेस्टर–एक में हम इस तथ्य से भली–भाँति अवगत हो चुके हैं। इन महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा अण्टार्कटिका हैं।

शिक्षण के प्रमुख बिन्दु –

- एशिया
- यूरोप
- उत्तरी अमेरिका
- दक्षिणी अमेरिका
- अफ्रीका
- आस्ट्रेलिया
- अण्टार्कटिका
    - सामान्य परिचय
    - जनसंख्या का विस्तार
    - जनसंख्या के प्रमुख घटक

प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषय के अध्ययन में केन्द्रबिन्दु के रूपा में मनुष्य व उसको प्रभावित करने वाले कारकों व परिणामों को रखा जाता है। प्रस्तुत संदर्भ में हम विश्व की जनसंख्या के वितरण व जनसंख्या के घटकों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे जिसे प्रादेशिक अध्ययन कहा जाता है। प्रादेशिक अध्ययन उपागम के अन्तर्गत एक–एक महाद्वीप का जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन अधिक समीचीन होगा।

प्रशिक्षुओं से विश्व में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों पर बिन्दुवार चर्चा करें–

- धरातल की प्रकृति
- जलवायु
- मिट्टियाँ
- खनिज व ऊर्जा संसाधन
- परिवहन के साधन
- सामाजिक–सांस्कृतिक कारक
- राजनैतिक कारक
- प्रवास
- प्राकृतिक आपदाएं

विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। इसके लिए अनेक प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं जनांकिकीय कारक उत्तरदायी हैं। भौतिक कारकों में जलवायु, स्थलाकृति, जल की उपलब्धता, मृदा, इत्यादि प्रमुख हैं। सांस्कृतिक कारकों में– आर्थिक विकास, सामाजिक संस्थायें व राजनैतिक संगठन महत्वपूर्ण हैं। जनांकिकीय कारकों में जन्मदर, मृत्युदर एवं प्रवास प्रमुख रूपा से उल्लेखनीय हैं। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में ये सभी कारक समेकित रूपा से जनसंख्या के वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव डालते हैं। इतना ही नहीं प्रायः यह देखा जाता है कि सभ्यता की प्रगति के साथ–साथ प्राकृतिक कारकों का प्रभाव घट जाता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

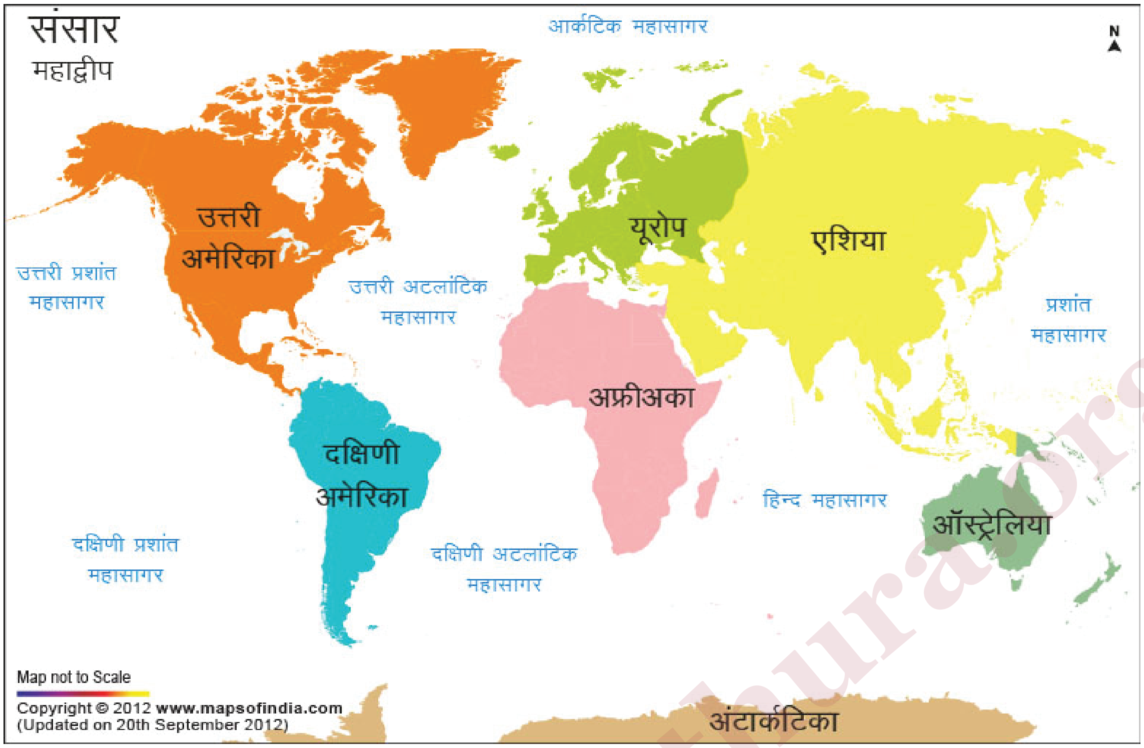

एशिया

यह विश्व का सबसे विशाल महाद्वीपीय भूखण्ड है, जो पूर्वी गोलार्द्ध में अवस्थित है। भूमध्य रेखा से 10^0 उत्तर से लेकर 80^0 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित होने के कारण यह उत्तरी व दक्षिणी गोलार्द्धों में अपनी भौगोलिक स्थिति लिए हुए है। यह महाद्वीप तीन ओर से महासागर से एवं एक ओर से स्थलखण्ड से घिरा हुआ है।

प्रशिक्षुओं को एटलस मानचित्र व ग्लोब के माध्यम से एशिया महाद्वीप की सीमाओं की पहचान करायें।

क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई भू–भाग अकेले ही धारण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्व के लगभग एक तिहाई भाग पर लगभग दो तिहाई जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की अधिकता के साथ–साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महाद्वीप में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ बहुत कम जनसंख्या का निवास भी है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण बड़ा असमान है।

एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश

- चीन
- भारत
- इण्डोनेशिया
- पाकिस्तान
- बांग्लादेश
- जापान

Downloaded From www.dietmathura.org

एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के दो विशाल समूह हैं– 1– पूर्वी एशिया 2– दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत चीन एवं जापान सम्मिलित किए जाते हैं। वहीं द्वितीय वर्ग में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इण्डोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। एशिया की अधिकांश सघन आबादी नदी घाटियों व डेल्टाई क्षेत्रों में संकेन्द्रित है। इसके विपरीत मंगोलिया, सीक्यांग, तिब्बत, साइबेरिया एवं मध्य पूर्व के देशों में जनसंख्या विरल रूपा से पायी जाती है। एशिया की घनी आबादी का एकमात्र कारण मानसूनी जलवायु है। सघन जनसंख्या का निवास प्रायः 10^0 अक्षांश और 40^0 उत्तरी अक्षांशों के मध्य में है। ध्यातव्य है जिन अक्षांशों से एशिया में जनसंख्या की कमी आरम्भ होती है, यूरोप में उन्हीं अक्षांशों से यह बढ़नी आरम्भ होती है। यहाँ सघन जनसंख्या के केन्द्र धीरे–धीरे एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इसका मुख्य कारण पर्याप्त धूप, नदियों की उपजाऊ मृदा, वर्षा, सिंचाई की बेहतर सुविधायें हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में साधारणतः नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदान अधिक पाये जाते हैं। इन्हीं मैदानों की ओर ही कृषक स्वाभाविक रूपा से आकर्षित होते हैं। इस क्षेत्र में चावल मुख्य फसल है जो अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक पोषण धारण करता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को ''***चावल संस्कृति का क्षेत्र***'' कहा जाता है।

यूरोप

यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत तथा कैस्पियन सागर अवस्थित हैं। यूरोप में जनसंख्या का संकेन्द्रण मुख्यतः 40^0 अक्षांश एवं 60^0 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 60^0 उत्तरी अक्षांश के ऊपर जनसंख्या का संकेन्द्रण विरल रूपा में विद्यमान है। अपवादस्वरूपा नार्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क, फिनलैण्ड के अटलांटिक तटीय भागों में अपेक्षाकृत अधिक है। यूरोप की लगभग 23% जनसंख्या 45^0 – 55^0 अक्षांश में विस्तृत है, इसे ***जनसंख्या का धुरी क्षेत्र*** भी कहा जाता है। इस प्रदेश में सदैव उच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है।

यूरोप के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश

- रूस
- जर्मनी
- फ्रांस
- युनाइटेड किंगडम
- इटली

यूरोप के इन भागों में जनसंख्या के अधिक संकेन्द्रण का मुख्य कारण है– भूमि का गहन उपयोग, मिश्रित कृषि का उपयोग, कृषि के उन्नत वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग, औद्योगिक विकास। यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर सघन जनसंख्या के प्रदेश औद्योगीकृत हैं। इस प्रदेश में परिवहन व संचारतन्त्र का सर्वत्र विकास हुआ है। साथ ही औद्योगिक ईंधन की प्रचुरता, खनिज पदार्थों की सुलभता एवं प्रचुरता, अनुकूल जलवायु सम्बन्धी प्राकृतिक कारकों ने जनसंख्या के संकेन्द्रण को आकर्षित किया है। उत्तर–पश्चिमी यूरोप में जनसंख्या के अनेक केन्द्र पाये जाते हैं। रूस की जनसंख्या का अधिकांश भाग यूराल पर्वत क्षेत्र के पश्चिमी भाग में निवास करता है। यहाँ संटपीट्सबर्ग, मैग्नीटोगोर्स्क–रोस्टोव, ओडेसा के मध्य जनसंख्या के संकेन्द्रण में विभिन्न प्रकार के

Downloaded From www.dietmathura.org

औद्योगिक केन्द्रों नें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। परिवहन के साधनों ने भी जनसंख्या समूहीकरण में उत्प्रेरक के रूपा में कार्य किया है।

उत्तरी अमेरिका

उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अलास्का, उत्तर पूर्व में लेब्रेडोर तथा दक्षिण में पनामा फैला हुआ है। उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव महासागर है जहाँ यह ठंडे तथा वीरान द्वीपों की श्रृंखला के रूपा में खण्डित–विखण्डित है। पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर व पश्चिमी भाग में प्रशान्त महासागर इसकी तटीय सीमायें बनाते हैं। उत्तरी अमेरिका के धरातल, जलवायु में काफी विविधतायें दृष्टिगोचर होती हैं। अतः इस महाद्वीप में जनसंख्या के वितरण में भी तदनुसार विविधता का अवलोकन किया जाता है।

उत्तरी अमेरिका की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या झील प्रदेश (सुपीरियर, मिशीगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो) तथा अटलांटिक तट पर पूर्वी व मध्य पूर्वी भाग में केन्द्रित है। इसकी लगभग 90% आबादी बड़े कस्बों व नगरों में बसी है। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से इस महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका में दो भाग हैं। प्रथमतः इसका पूर्वी तटीय भाग तथा द्वितीय 100^0 प0 देशान्तर से पश्चिमी भाग। प्रथम भाग में औद्योगिक विकास अपने चरम पर होने के कारण जनसंख्या सघन है, वहीं दूसरे भाग का धरातल ऊबड़–खाबड़ होने एवं वर्षा की कमी व अनिश्चितता की स्थिति से जनघनत्व कम है। ध्यातव्य है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की लगभग 85% जनसंख्या 100^0 पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में रहती है। यह प्रदेश अत्यधिक औद्योगीकृत है। यहाँ कोयले व लोहे की वृहद खानें है, जलवायु स्वास्थ्यकर है, महासागरीय तट पर सर्वोत्तम समुद्र पत्तन हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या का सबसे बड़ा केन्द्र हडसन नदी के मुहाने का क्षेत्र है, जिसे न्यूयार्क केन्द्र कहा जाता है। न्यूयार्क से लेकर बोस्टन तक, दक्षिण पश्चिम में फिलाडेल्फिया तक सबसे अधिक सघन जनसंख्या पेटी है। इस भाग में वाणिज्य, निर्माण उद्योग, परिवहन व राजस्व का सर्वाधिक विकास हुआ है। द्वितीयतः सघन जनसंख्या का दूसरा मुख्य प्रदेश महान झील प्रदेश है। मिशीगन झील स्थित डेट्रायट, क्लीवलैण्ड, बफैलो केन्द्र, इरी झील रोचेस्टर नगर, पेन्सिलवानिया कोयला क्षेत्र में ओहियो नदी घाटी जिसमें पिट्सबर्ग मुख्य औद्योगिक केन्द्र है, जहाँ जनसंख्या का संकेन्द्रण अत्यधिक है। देश में मध्य व दक्षिणी राज्यों में गेहूँ, मक्का व कपास की कृषि वाले विस्तृत फार्म में जनसंख्या अधिक निवास करती है। पश्चिमी भाग शुष्क तथा संसाधनों की कमी के कारण जनसंख्या की दृष्टि से विरल हैं। यद्यपि इस भाग में जनसंख्या केन्द्र छोटे–छोटे रूपा में अवस्थित हैं जो कैलीफोर्निया के आस–पास हैं। इस क्षेत्र के बड़े नगरों में लास एंजिल्स प्रमुख हैं।

प्रशिक्षुओं से मानचित्र के आधार पर उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वितरण पर चर्चा व क्षेत्रों की सकारण पहचान करायें।

Downloaded From www.dietmathura.org

मैक्सिको राज्य की जनसंख्या अधिकतर वहाँ के मध्यवर्ती पठार पर रहती है जहाँ सामान्य वर्षा और मृदुल तापमान रहता है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा केन्द्र मैक्सिको नगर है।

कनाडा की लगभग दो तिहाई जनसंख्या सेन्ट लारेंस नदी के निम्न प्रदेशों में बड़ी झीलों के समीप निवास करती है। यहाँ के प्रमुख बड़े नगर ओटावा, मांट्रियल, टोरंटो, क्यूबेक हैं। इतना ही नहीं कनाडा की गेहूँ उत्पादक प्रेअरी क्षेत्र बड़ा मैदानी भाग है जहाँ जनसंख्या का अधिक संकेन्द्रण बिनीपेग, कलगरी, एडमंटन नगरों में है। कनाडा के पश्चिमी भाग में विरल जनसंख्या आवास पाया जाता है। टुण्ड्रा प्रदेश व कोणधारी वन पेटियाँ निर्जन हैं।

दक्षिणी अमेरिका

इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्द्ध में अवस्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या का आधे से अधिक भाग अकेले ब्राजील में रहता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या महासागर तटीय भागों में, जहाँ यातायात के साधन सुलभ हैं, निवास करती है। ऐसे क्षेत्र ब्राजील के साओपोले व सेन्टोस, अर्जेन्टीना एवं वेनेजुएला के तटीय भाग हैं। ध्यातव्य है मध्यवर्ती अक्षांशों में अर्जेन्टीना तथा उरुग्वे में लाप्लाटा नदियों (पराना, पैरागुवे, उरुग्वे व उनकी सहायक नदियों का सामूहिक तन्त्र) के मैदानी भाग में उर्वर भूमियों में कृषि सुविधाओं के कारण अधिक जनसंख्या संकेन्द्रण है। जहाँ तक उत्तरी पूर्वी ब्राजील में सघन जनसंख्या का प्रश्न है, वहाँ कहवा और कपास की कृषि ने ऐसी विशिष्टता प्रदान की है। इक्वेडोर, पेरु, कोलंबिया, बोलिविया जैसे एण्डीज पर्वतीय देशों में भी जनसंख्या मिलती है।

उक्त क्षेत्रों के विपरीत अमेजन नदी बेसिन के वनों, दलदली स्थलों, पैटागोनिया, चिली व पेरु के शुष्क मरुस्थलों, ब्राजील के घास मैदानों में प्रकीर्णित जनसंख्या निवास मिलता है।

अफ्रीका

अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के सम्पूर्ण स्थलीय क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र धारण करता है। एशिया के बाद अफ्रीका संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पठारी महाद्वीप है, जहाँ घने वन, घास के मैदान, विशाल मरुस्थल विस्तृत हैं। ध्यातव्य है सभी महाद्वीपीय भूखण्डों में अफ्रीका सबसे अधिक उष्ण है। यह उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही कटिबन्धों में फैला हुआ है। फलतः इस भूखण्ड की जलवायु, वनस्पति एवं जीव जन्तुओं में अत्यंत विविधता के परिणामस्वरूपा मानव जनसंख्या के वितरण में भी विविधता का पाया जाना स्वाभाविक है।

जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का स्थान वैश्विक स्तर पर एशिया के पश्चात् द्वितीय है। उत्तर में सहारा मरुस्थल, दक्षिण–पश्चिम में कालाहारी एवं नामिब मरुस्थल एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय कांगोबेसिन अफ्रीका महाद्वीप के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। सी–सी (tse-tse) मक्खियों

Downloaded From www.dietmathura.org

से ग्रस्त सवाना प्रदेश में भी सघन आबादी हेतु प्रत्याकर्षण के क्षेत्र हैं। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका महाभूखण्ड में सघन जनसंख्या मिस्र की नील नदी की घाटी, भूमध्यसागर तटीय क्षेत्र, कीनिया, इथियोपिया के पठार, पश्चिमी सूडान, गिनी तट एवं सुदूर दक्षिण में दक्षिण अफ्रीकी संघ के पूर्वी एवं दक्षिण–पूर्वी तटीय भागों में मिलती है। इनमें सर्वाधिक घनत्व नील नदी की घाटी व डेल्टा प्रदेश, नाइजीरिया के दक्षिणी भाग में दर्शनीय है।

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्द्ध में अवस्थित विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके अधिकांश क्षेत्रीय विस्तार पर कम वर्षा की प्राप्ति के कारण ''**प्यासी भूमि का देश**'' नाम से भी इसे सम्बोधन प्राप्त है।

आस्ट्रेलिया में जनसंख्या अन्य महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम है। मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय प्रदेशों में विशेषकर दक्षिण पश्चिमी कोने एवं दक्षिण पूर्वी व पूर्वी किनारों पर समशीतोष्ण जलवायु वाले भागों में जनसंख्या का संकेन्द्रण अधिक पाया जाता है। सघन जनसंख्या वाले भाग हैं– सिडनी के पृष्ठीय प्रदेश का पश्चिमी ढाल, विक्टोरिया का अधिकांश भाग, क्वीन्सलैण्ड का दक्षिण–पश्चिमी भाग, दक्षिणी आस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, पश्चिमी आस्ट्रेलिया का दक्षिण–पश्चिमी कोना प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भाग विरल जनसंख्या वाले भाग है। आस्ट्रेलिया के पश्चिमी व मध्यवर्ती भाग शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है अतः जनसंख्या इस भाग में विरल ही है।

प्रशिक्षुओं से एटलस या दीवार मानचित्र के आधार पर आस्ट्रेलिया में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपा व उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत करायें।

अण्टार्कटिका

अण्टार्कटिका संसार का पाँचवा बड़ा महाद्वीप है। ध्यातव्य है कि समस्त भूखण्डों में यही एक ऐसा महाभूखण्ड है जहाँ कोई व्यक्ति स्थायी रूपा से नहीं रहता। इसे ***''श्वेत महाद्वीप''*** कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इस महाद्वीप पर बर्फ की मोटी परत वर्ष के प्रत्येक महीने में जमा रहती है। यहाँ इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है और बर्फीले तूफान व तेज शुष्क व शीत हवायें चलती रहती हैं जो मानव के जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि इस महाद्वीप पर मानव जनसंख्या का अधिवास सम्भव नहीं हो पाया है। एक प्रकार से यह महाद्वीप जनशून्यता का प्रतिनिधित्व करता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के घटक

जनसंख्या में वृद्धि का होना या कमी का होना कई तथ्यों पर निर्भर करता है। इनमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास की उल्लेखनीय भूमिका होती है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर में पायी जाने वाली असमानताओं को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। प्रथमतः समय–समय पर एक ही स्थान पर होने वाला जनसंख्या में परिवर्तन एवं द्वितीयतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर पायी जाने वाली जनसंख्या वृद्धि सम्बन्धी भिन्नताएं। यह विशेषता वृद्धि के प्रादेशिक स्तर पर पाई जाने वाली असमानताओं को बताती है। जन्म एवं मृत्यु दर में अन्तर द्वारा भी इन प्रादेशिक भिन्नताओं को समझा जा सकता है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार विश्व के समस्त देशों को निम्न 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–

(क) निम्नवृद्धि दर वाले देश

विश्व में विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यून है। इन देशों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1% से कम है। इन देशों में 10–15 प्रति हजार जन्म दर तथा मृत्यु दर 8–11 प्रति हजार है। यही कारण है कि इन देशों में प्राकृतिक वृद्धि दर निम्न है। अधिकांश विकसित देश जनांकिकीय संक्रमण की अन्तिम अवस्था में है। ये क्षेत्र प्रमुख रूपा से हैं– यूरोप– युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडेन, इटली इत्यादि एशिया– जापान।

(ख) मध्यम वृद्धि दर वाले देश

इस वर्ग के अन्तर्गत अधिकांशतः विकासशील देश आते हैं किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित देश भी इसी वर्ग में समाहित हैं। इस वर्ग में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1–2% के मध्य है। विकसित देशों में बाहरी आगन्तुकों के कारण जनसंख्या वृद्धि कुछ अधिक हो गई है अन्यथा प्राकृतिक वृद्धि दर निम्न ही है। यद्यपि विकासशील देशों में जनसंख्या की जन्मदर में ह्रास होने के परिणामस्वरूपा वृद्धि दर पहले से कम हो गई है। इस वर्ग में सम्मिलित देश प्रमुख रूपा से उल्लेखनीय हैं–

महाद्वीप	देश
एशिया	भारत, चीन, कोरिया, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि
यूरोप	अल्वानिया, माल्टा, साइप्रस
अफ्रीका	मारीशस
दक्षिण अमेरिका	चिली, अर्जेन्टीना इत्यादि
उत्तरी अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा
आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया

Downloaded From www.dietmathura.org

(ग) उच्च वृद्धि दर वाले देश

इस वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित देशों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 से 3% के मध्य पाई जाती है। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया, सहारा प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश, दक्षिणी अमेरिकी देश में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। इन देशों में मृत्युदर 15 प्रति हजार से कम पाई जाती है किन्तु जन्मदर प्रायः 20–30 प्रतिहजार के मध्य पाई जाती है। इस वर्ग में सम्मिलित देश हैं–

> ***इसे भी जानिए –***
> *प्राकृतिक वृद्धिदर = जन्मदर – मृत्युदर*

एशिया – ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लाओस, नेपाल, इजराइल इत्यादि।

अफ्रीका – मिस्र, मोरक्को, जिम्बाब्वे, कांगो, कैमरुन, चाड, गिनी, मोजाम्बिक इत्यादि।

दक्षिणी अमेरिका – वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरु, इक्वेडोर, बोलीविया इत्यादि।

(घ) अति उच्च वृद्धि दर वाले देश

वैश्विक स्तर पर अल्प विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 3% वार्षिक से भी अधिक है। ऐसे अनेक देशों में जन्म दर अभी 40 प्रति हजार से ऊपर है। मृत्यु दर में तीव्रता से ह्रास होने के कारण यह प्रायः 20 प्रति हजार से भी नीचे आ गई है। यही कारण है कि ऐसे देशों में प्राकृतिक वृद्धि दर अति उच्च है। पश्चिम अफ्रीकी देशों, उत्तरी अफ्रीकी देश जहाँ जन्म दर अति उच्च एवं मृत्यु दर में कमी होने के कारण देश इस वर्ग में सम्मिलित हैं। इस वर्ग में समाहित देश हैं–

अफ्रीका – कीनिया, तंजानिया, जायरे, नाइजर, यूगाण्डा इत्यादि।

एशिया – संयुक्त अरब अमीरात, सउदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, जार्डन, सीरिया आदि।

लैटिन अमेरिका – कोस्टारिका, होण्डूरास

अभ्यास प्रश्न

1. जनसंख्या की दृष्टि से किस महाद्वीप का प्रथम स्थान है ?

(क) अफ्रीका (ख) एशिया
(ग) उत्तरी अमेरिका (घ) आस्ट्रेलिया

2. विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ?

(क) भारत (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका
(ग) ब्राजील (घ) चीन

Downloaded From www.dietmathura.org

3. निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला केन्द्र नहीं है?

(क) शंघाई | (ख) साओपोलो
(ग) सेंटपीट्सबर्ग | (घ) अण्टार्कटिका

4. लाप्लाटा नदी तन्त्र में कौन सम्मिलित नहीं है?

(क) पराना | (ख) पैराग्वे
(ग) उरुग्वे | (घ) नाइजर

5. ब्राजील का उत्तर पूर्वी भाग अधिक जनसंख्या सघन है क्योंकि –

(क) कहवा व कपास की कृषि के कारण (ख) भारी उद्योग की अवस्थिति
(ग) सशक्त नदी परिवहन तन्त्र (घ) इनमें से कोई नहीं

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

6. सी–सी मक्खियों से ग्रस्त कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है?

7. पृथ्वी के धरातल को कितने भूखण्डों में विभाजित किया गया है?

8. सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप व सबसे कम जनसंख्या वाले महाद्वीप के क्या नाम हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न

9. अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या का संकेन्द्रण किन–किन भागों में अधिक सघन है?

10. अण्टार्कटिका में जनशून्यता क्यों है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

11. विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले देशों में कारणों व परिणामों की विवेचना कीजिए।

12. वैश्विक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले पाँच कारणों की व्याख्या कीजिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

www.dietmathura.org

वैश्विक संसाधन तथा यातायात व संचार

पर्यावरण संसाधनों का भण्डार है। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों को जिन्हें मानव अपनी बुद्धि, चातुर्य और तकनीकी कौशल के द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित, परिवर्द्धित एवं परिष्कृत कर उपयोग में लाता है, 'प्राकृतिक संसाधन' कहलाते हैं। स्पष्ट है कि संसाधन के लिए किसी वस्तु में उपयोगिता का गुण होना आवश्यक है। कोई प्राकृतिक तत्व अथवा पदार्थ संसाधन तभी कहलाता है जब वह सहज , सुलभ हो, मानव की पहुँच में हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसमें मानव की आवश्यकता अथवा उपयोगिता पूर्ति करने की क्षमता हो तथा मनुष्य उसे प्रयोग करता हो। इस प्रकार निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाये जाते हैं, संसाधन कहलाते हैं।

शिक्षण के प्रमुख बिन्दु –

- प्राकृतिक संसाधन
  - अर्थ
  - परिभाषा
  - वर्गीकरण
  - संरक्षण
- खनिज संसाधन
  - प्रमुख खनिज
  - लोहा, तांबा, जस्ता, बाक्साइट, मैंगनीज, टिन, सोना
- जीवाश्मी खनिज
  - – कोयला
  - – पेट्रोलियम
  - – प्राकृतिक गैस
- परिवहन के साधन
  - –स्थल परिवहन
  - – जल परिवहन
  - – वायु परिवहन
- संचार के साधन

विभिन्न विद्वानों ने संसाधन को अपनी–अपनी तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं–

''संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, उन्हें मनुष्य की क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है।''
– जिम्मरमैन

''मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है।'' **– येट्स**

इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य विद्वानों द्वारा संसाधन की परिभाषाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण से संसाधन के निम्नलिखित तत्व प्रकट होते हैं–

- वह वस्तु जिस पर मानव निर्भर हो
- वह वस्तु जिसमें मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता हो
- मानव की अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता हो
- संसाधन होते नहीं, बल्कि बनाये जाते हैं।

यथा – कोयला अपनी आकृति, रंग व गठन के कारण संसाधन नहीं है अपितु ऊर्जा देने के कारण संसाधन बनता है। इसी प्रकार प्राचीन काल में जब तक मनुष्य को भूमि में दबे हुए विशाल खनिज भण्डारों का ज्ञान नहीं था तथा जब तक उन्हें प्रयोग करने की क्षमता एवं तकनीक उपलब्ध नहीं थी तब तक वे खनिज संसाधन नहीं थे किन्तु वर्तमान में इन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है क्योंकि वे मानव

Downloaded From www.dietmathura.org

की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसाधन प्रकृति, मानव तथा संस्कृति के बीच होने वाली अन्तर्क्रिया है।

संसाधनों का वर्गीकरण

संसाधनों का वर्गीकरण इसकी उपलब्धता, प्रकृति तथा उपयोगिता के आधार पर किया जा सकता है–

(क) उपयोग की निरन्तरता के आधार पर

(1) नव्यकरणीय संसाधन

(2) अनव्यकरणीय संसाधन

(1) नव्यकरणीय संसाधन

ऐसे संसाधन जिनका नवीकरण और पुनः उत्पादन भौतिक, यांत्रिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है, नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनमें सौर ऊर्जा, वायु, जल, वन, मृदा, कृषि उपज सम्मिलित किये जाते हैं। ध्यातव्य है इन संसाधनों की पुनरावृत्ति संभव है।

(2) अनव्यकरणीय संसाधन

ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग कर लेने के उपरान्त पुनः उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, अनव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। भूगर्भ से प्राप्त होने वाले सभी खनिज इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यथा– कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लौह–अयस्क, तांबा, बाक्साइट, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। निरन्तर खनन क्रिया से खनिज प्रायः समाप्त हो जाते हैं तथा खानें पूर्णतः रिक्त हो जाती हैं। इसीलिए खनन व्यवसाय को ' **लुटेरा व्यवसाय** ' भी कहा जाता है।

(ख) प्राप्ति की दृष्टि से संसाधन

(1) सर्वत्र सुलभ संसाधन	–	वायु, मृदा, जल
(2) सामान्य सुलभ संसाधन	–	कृषि योग्य भूमि, भूमि, चरागाह
(3) दुर्लभ संसाधन	–	सोना, यूरेनियम, तांबा, टिन
(4) एकल संसाधन	–	क्रायोलाइट, मोनाजाइट

प्रशिक्षुओं से जीवीय एवं अजीवीय संसाधनों में अन्तर स्पष्ट करते हुए उदाहरण देकर चर्चा करें।

Downloaded From www.dietmathura.org

संसाधन संरक्षण

संरक्षण का शाब्दिक अर्थ है– किसी वस्तु को सुरक्षित रखना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक ऐसी संकल्पना है जो कि संसाधनों के विवेकपूर्ण विदोहन से सम्बन्धित है। इसके पीछे मानव को संसाधनों की आवश्यकता एवं उनकी उपलब्धता में सन्तुलन बनाने का उद्देश्य समाहित होता है। संसाधन के संरक्षण के अन्तर्गत जहाँ एक ओर नव्यकरणीय संसाधनों के उचित प्रबन्धन की आवश्यकता तो होती ही है, वहीं दूसरी ओर अनव्यकरणीय संसाधनों के लिए दीर्घकालीन उपयोग की रणनीति बनाने की जरुरत भी होती है।

सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रकृति का संरक्षण वे सामाजिक प्रयास हैं जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, परिरक्षण तथा नवीकरण सम्भव है। प्रकृति का संरक्षण मानव समाज एवं वातावरण के बीच के सम्बन्धों को अनुकूलतम बनाने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार की अनुकूलता के उद्देश्य को प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण विदोहन तथा नवीकरण द्वारा पर्यावरण को संरक्षित एवं विकसित करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भावी मानव पीढ़ी की सम्पन्नता और लाभ के लिए, सावधानीपूर्वक किये गये नियन्त्रण एवं प्रबन्धन के द्वारा विनाश से परिरक्षण ही संरक्षण कहलाता है। ध्यान रहे इस प्रक्रिया का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोक दिया जाय अपितु उपयोग में इष्टतम सन्तुलन बनाये रखने से है।

खनिज संसाधन

खनिज, वह अजैव पदार्थ है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ध्यातव्य है कि कुछ खनिज रवेदार होते हैं तो कुछ एक ही तत्व से निर्मित होते हैं। खनिजों की प्राप्ति भूगर्भ से होती है। खनन की क्रिया के माध्यम से खनिजों की प्राप्ति होती है। संसार में खनिज पदार्थों का विषम वितरण पाया जाता है। खनिज संसाधनों का वितरण किसी प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास से नियंत्रित होता है। यथा– ईंधन खनिज, अवसादी शैलों में पाया जाता है। ध्यान रहे सभी अवसादी शैलों में ईंधन खनिज नहीं पाये जाते हैं। इसी प्रकार सोना, प्लेटिनम खनिज आग्नेय चट्टानों तथा कायांतरित शैलों में पाये जाते हैं।

प्रमुख खनिज

लौह अयस्क

लोहे की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क तीन प्रकार के होते हैं–

मैग्नेटाइट

यह सर्वोत्तम किस्म का लौह खनिज है। इसमें लगभग 72% लोहा पाया जाता है जिसका रंग काला तथा भूरा होता है। यह चुम्बकीय गुण धारण करता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

2. **हेमेटाइट**

इस लौह खनिज में लोहांश की मात्रा 60–70% तक होती है। यह प्रायः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से इस अयस्क का विशेष महत्व है।

3. **लिमोनाइट**

यह लौह खनिज 40–60% लोहांश की मात्रा ही धारण करता है। इसमें अशुद्धियों की मात्रा अत्यधिक होती है। यही कारण है कि इस लौह खनिज का महत्व कम है।

विश्व में लौह अयस्क का वितरण बहुत असमान है। विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक भण्डारण क्रमशः आस्ट्रेलिया, ब्राजील, रुस, चीन, भारत में पाया जाता है। जबकि लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः चीन, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, रुस उल्लेखनीय हैं।

वितरण

ब्राजील

ब्राजील में मिनास गिरेस प्रान्त में इटाबीरा क्षेत्र में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। यह ब्राजील के पठार पर स्थित है।

चीन

चीन वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक देश है। चीन में यद्यपि लगभग सभी प्रांतों में लौह अयस्क के भण्डार हैं किन्तु दक्षिणी मंचूरिया, अंशान, चांगलिंग, पेंकी क्षेत्र, शांटुंग प्रायद्वीप, हैंकाऊ प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं।

भारत

भारत में सिंहभूम (झारखण्ड), क्योंझार (उड़ीसा), मयूरभंज (उड़ीसा) में लौह अयस्क की पेटियाँ विस्तृत हैं। यहाँ उत्तमकोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। इसके अलावा डल्ली एवं राजहरा, बस्तर (बैलाडिला खान), महाराष्ट्र में चांदा तथा बाबाबूदन की पहाड़ियाँ, हास्पेट, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर (सभी कर्नाटक) प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं।

आस्ट्रेलिया

लौह अयस्क के भण्डारण की दृष्टिकोण से सर्वाधिक भण्डार आस्ट्रेलिया में है। यहाँ पश्चिमी आस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र, हैमस्ले, आयरन नॉब, मिडिलबैकरेंज में लौह भण्डार स्थित हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

अन्य उत्पादक देश

रुस	–	यूराल क्षेत्र, निझनी तागिल, मैग्निटोगोर्स्क
यूक्रेन	–	क्रिवाईराग, कुर्स्क, कर्च प्रायद्वीप
फ्रांस	–	लारेन का पठार
संयुक्त राज्य अमेरिका	–	सुपीरियर झील क्षेत्र, मेसावीरेंज
स्पेन	–	बिलबाओ, कैण्टोब्रियन

तांबा

अलौह धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण व उपयोगी धातु है। ध्यातव्य है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु ताँबा ही थी। यह धातु विद्युत की कुचालक है। इसका उपयोग घरेलू उपकरणों, टेलीफोन, रेडियो, स्वचालित वाहन बनाने में किया जाता है।

तांबा का वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक भण्डार क्रमशः चीन, पेरु, आस्ट्रेलिया, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर तांबा का सर्वाधिक उत्पादन चिली, पेरु, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है।

वितरण

चिली

यह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप ही नहीं अपितु विश्व में सर्वाधिक मात्रा में ताँबा उत्पादक देश है। अधिकांश ताँबा उत्पादन एण्डीज पर्वतीय भाग के पश्चिमी क्षेत्र से होता है। चिक्विकमाता खान से सर्वाधिक उत्पादन होता है। चिली के अन्य ताँबा उत्पादक क्षेत्र एलटेनिएन्ट, एल साल्बेडोर एवं ला एफ्रिकाना भी है। अधिकांश ताँबे का चिली द्वारा विदेशों में निर्यात किया जाता है।

पेरु	–	कैसा पाल्का
चीन	–	युन्नान, जेचवान
भारत	–	नेल्लोर (आन्ध्रप्रदेश), खेतड़ी (राजस्थान)
संयुक्त राज्य अमेरिका	–	एरीजोना, ऊटाह, मोन्टाना
कनाडा	–	सडबरी
आस्ट्रेलिया	–	माउंट लायल, माउंट ईसा

Downloaded From www.dietmathura.org

जस्ता

जस्ता अपने विशिष्ट गुणों के कारण एक उपयोगी धातु है। यह अन्य धातुओं के साथ सरलता से मिश्रित होता है। ताँबे के साथ इसे मिश्रित करके कांस्य का निर्माण किया जाता है। जस्ते का प्रमुख अयस्क ' स्फेलेराइट' है जो जस्ते और गंधक का मिश्रण है।

प्रशिक्षुओं से चर्चा करें कि जस्ते का उपयोग किन–किन कार्यों में किया जाता है?

वितरण

वैश्विक स्तर पर जस्ते का सर्वाधिक भण्डारण क्रमशः आस्ट्रेलिया, चीन, पेरु देशों में है जबकि सर्वाधिक जस्ता उत्पादक देशों में चीन, आस्ट्रेलिया, पेरु प्रमुख रूपा से उल्लेखनीय हैं।

चीन	– चीन देश में एशिया का दो तिहाई तथा विश्व का लगभग 20% जस्ता का उत्पादन होता है।
भारत	– राजस्थान
आस्ट्रेलिया	– पश्चिमी न्यू साउथ वेल्स का ब्रोकेन हिल्स क्षेत्र
पेरु	– सेर्रो द पास्को, हुआरास
कनाडा	– सुलीवन (ब्रिटिश कोलंबिया), फ्लिनफ्लोन (मैनीटोवा)
संयुक्त राज्य अमेरिका	– मिसौरी–ओकलाहोमा, कन्सास
मैक्सिको	– चिहुआनहुआ

बाक्साइट

इसका उपयोग एल्यूमिनियम निर्माण हेतु किया जाता है। यह एक हल्की, मजबूत, विद्युत की सुचालक तथा घर्षणरोधी धातु है। अन्य धातुओं के साथ मिश्रित करने पर यह इस्पात के समान कठोरता को प्राप्त हो जाती है। इसका उपयोग रेल परिवहन उपकरणों, कन्टेनरों, जलयानों, वायुयानों के निर्माण में होता है। पुलों तथा इमारतों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। विद्युत उद्योग में इसका उपयोग अधिक किया जाता है।

वितरण

वैश्विक स्तर पर बाक्साइट के सर्वाधिक भण्डार गिनी, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, वियतनाम देशों में पाये जाते हैं। जबकि सर्वाधिक बाक्साइट का खनन करने वाले देशों में आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, गिनी व भारत प्रमुख रूपा से उल्लेखनीय हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक बाक्साइट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर 'केपयार्क' प्रायद्वीप के 'वीपा' से तीन चौथाई बाक्साइट का उत्पादन होता है।

ब्राजील

ब्राजीलियन पठार के आन्तरिक भाग में बाक्साइट भण्डारों से बाक्साइट का उत्पादन किया जाता है।

चीन

चीन में हुनान, जेचवान प्रमुख बाक्साइट उत्पादक राज्य हैं।

गिनी

अफ्रीका के पश्चिमी भाग (तटीय) में स्थित इस देश में कोनाकी पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में कास्पा द्वीप में बाक्साइट का उत्पादन किया जाता है।

भारत –

भारत के प्रायद्वीप पठार पर बाक्साइट के अधिकांश भण्डार हैं जिनमें मध्य प्रदेश के सरगुजा, शहडोल, झारखण्ड का लोहरदगा, उड़ीसा में कालाहांडी एवं सम्भलपुर प्रमुख बाक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं।

जमैका

पश्चिमी गोलार्द्ध में अवस्थित यह देश प्रचुर मात्रा में बाक्साइट उत्पादक देश है। यहाँ चूना पत्थर के अनियमित बेसिनों में बाक्साइट के विशाल भण्डार हैं।

टिन

टिन को कांस्ययुगीन धातु भी कहा जाता है। ध्यातव्य है टिन के साथ ताँबे को मिलाकर ही कांसा बनाया जाता है। यह एक कोमल धातु है। खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने वाले कन्टेनर भी इसी धातु से निर्मित किए जाते हैं। टिन का प्रमुख अयस्क कैसेराइट या टिनस्टोन है। यह शिष्ट जैसी कायांतरित शैलों की नसों से प्राप्त होती है।

वितरण

टिन का सर्वाधिक उत्पादन चीन, इण्डोनेशिया, पेरु, ब्राजील, बोलिविया देशों में किया जाता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

चीन

यह विश्व का वृहत्तम टिन उत्पादक देश है। चीन के प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र हैं– नानकिंग, युन्नान, क्वांगसी।

इण्डोनेशिया

देश में टिन का उत्पादन बंकाद्वीप, सिग्केप, बिलिटन द्वीपों से होता है। यहाँ डेल्टाओं के निम्न क्षेत्रों से टिन की प्राप्ति होती है।

पेरु

यहाँ सान आन्टोनियो द पालो में टिन का अधिकांश उत्पादन होता है।

ब्राजील

इस देश का अधिकांश टिन उत्पादन बोलीविया की सीमा के पास से होता है। ब्राजील अपने टिन उत्पादन का काफी मात्रा में निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों को करता है।

बोलीविया

इस देश में टिन की पेटी पूर्वी एण्डीज प्रदेश में अवस्थित है जो ला पाज से पोंटासी तक विस्तृत है। ध्यातव्य है अधिक ऊँचाई पर अवस्थित खानों से उत्पादन होता है।

भारत

छत्तीसगढ़

मलेशिया

पेराक घाटी, किन्टा की खानें, पेहांग नदी घाटी।

सोना

प्रकृति में सोना देशज (Native) धातु के रूपा में प्राप्त होता है। यह एक ठोस शैल के घटक के रूपा में छिलके, दाने आदि के रूपा में बालू या बजरी के प्लेसर निक्षेप में पाया जाता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

वितरण

वैश्विक स्तर पर स्वर्ण के सर्वाधिक भण्डार आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रुस, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इण्डोनेशिया में अवस्थित हैं। वहीं दूसरी ओर स्वर्ण धातु के सर्वाधिक उत्पादक देश चीन, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, दक्षिण अफ्रीका हैं।

चीन – युन्नान, मंचूरिया

आस्ट्रेलिया – कालगूर्ली एवं कूलगार्डी

संयुक्त राज्य अमेरिका – होम्सटेक (दक्षिणी डकोटा राज्य)

रुस – याकुत्सक, अल्दान

दक्षिण अफ्रीका – विटवाट्सरैण्ड (ट्रांसवाल क्षेत्र)

मैंगनीज

मैगनीज एक महत्वपूर्ण लौहयुक्त खनिज है। ढलवाँ लोहे के निर्माण में यह एक शोधक के रूपा में कार्य करता है। इसका उपयोग शुष्क सेल, विभिन्न प्रकार के रासायनिक मिश्रण तथा कीटाणुनाशक, ब्लीचिंग पाउडर, चमकीली मिट्‌टी के बर्तन बनाने में किया जाता है।

वितरण

मैंगनीज का सर्वाधिक भण्डारण दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राजील देशों में है। वर्तमान में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन क्रमशः चीन, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, यूक्रेन जैसे देशों में किया जा रहा है।

चीन

यह विश्व का वृहत्तम मैंगनीज उत्पादक देश है। इस देश में कियांग्सी, हुन्नान राज्यों में विस्तृत है।

दक्षिण अफ्रीका – पोस्टमासबर्ग, उत्से

आस्ट्रेलिया – उत्तरी व पश्चिमी भाग

यूक्रेन – निकोपोल

ब्राजील – ऑरो प्रेटो (मिनासगेरास)

- प्रशिक्षुओं से धात्विक तथा अधात्विक खनिजों की सूची बनवाइये ।
- विश्व के मानचित्र पर विभिन्न खनिजों के वितरण को दर्शाने का कार्य करायें।
- खनिजों की उपयोगिता पर चर्चा करायें।

Downloaded From www.dietmathura.org

जीवाश्मी खनिज संसाधन

ऐसे खनिज संसाधन जो मृत जीवों के अवशेष से निर्मित होते हैं, जीवाश्मी खनिज संसाधन कहलाते हैं। इसके अन्तर्गत प्रमुख रूपा से कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सम्मिलित किए जाते हैं। कोयला पृथ्वी के धरातल पर अवसादी शैलों में पाया जाने वाला प्रमुख शक्ति खनिज है। इसका रंग भूरे से लेकर काले तक होता है। इसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व दलदलों में वनस्पतियों के दबने एवं उनके वियोजन से हुई है। प्रकृति में कोयला कार्बन की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर कई प्रकार का होता है–

(क) एन्थ्रासाइट

इस कोयले में कठोरता व सघनता अत्यधिक होती है। इसमें प्रायः नमी न के बराबर होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 95% तक होती है। यह गहरा काला व चमकदार होता है। यह नीली लौ के साथ जलता है और धुआँरहित ज्वलनशील होता है।

(ख) बिटुमिनस

इस कोयले में कार्बन की प्रतिशतता 50–80% तक होती है। रंग में यह काला व चमकदार होता है। इससे कोक प्राप्त होता है। यह लौह अयस्क गलाने में काम आता है।

(ग) लिग्नाइट

कोयले का यह प्रकार 'भूरा कोयला' के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 40% तक नमी की मात्रा विद्यमान होती है। कार्बन की मात्रा भी लगभग 40% तक होती है। इसके जलने पर धुआँ अधिक होता है।

(घ) पीट

यह लकड़ी से कोयला बनने के प्रथम चरण का प्रतीक है। यद्यपि इसमें कार्बन की मात्रा 40–60% तक होती है परन्तु इसमें नमी अत्यधिक होती है। इसके जलते समय काफी धुआँ निकलता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

वितरण

वैश्विक स्तर पर कोयला के सर्वाधिक भण्डार संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, चीन तथा भारत जैसे देशों में है। वहीं दूसरी ओर इसका सर्वाधिक उत्पादन चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया एवं रुस जैसे देशों में होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका	– पेंसिलवानिया, अप्लेशियन क्षेत्र
भारत	– दामोदरघाटी क्षेत्र, सोननदी घाटी क्षेत्र, महानदी व गोदावरीघाटी क्षेत्र
आस्ट्रेलिया	– न्यू साउथवेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया राज्य
अफ्रीका	– ट्रांसवाल एवं नटाल क्षेत्र

- प्रशिक्षुओं से कोयला के प्रकार व उनके उपयोग पर चर्चा करें।
- कोयला के विश्व वितरण पर वैश्विक मानचित्र पर कोयला उत्पादक क्षेत्रों की पहचान करायें।
- जीवाश्मी संसाधन एवं गैर जीवाश्मी संसाधन के महत्व पर चर्चा करायें।

जर्मनी	– रुर क्षेत्र, सार क्षेत्र, सैकसोनी प्रदेश
पोलैण्ड	– साइलीशिया
कजाकस्तान	– कारागण्डा
रुस	– पेचोरा बेसिन, साइबेरिया, मास्को–टुला प्रदेश
यूक्रेन	– डोनेत्स्क बेसिन
यूनाइटेड किंगडम	– पिनाइन क्षेत्र, ब्रिस्टल
फ्रांस	– लारेन

पेट्रोलियम

पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों ''पेट्रा'' तथा ''ओलियम'' से मिलकर बना है। इसमें ''पेट्रा'' का अर्थ है– चट्टान तथा ''ओलियम'' का अर्थ है– तेल। स्पष्ट है कि पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ है– चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल। यही कारण है कि पेट्रोलियम को खनिज तेल नाम से भी संबोधन प्राप्त है।

ध्यातव्य है कि पेट्रोलियम की उत्पति केवल परतदार शैलों में ही जैव, वनस्पतियों तथा जीव–जन्तुओं के करोड़ों वर्ष पूर्व भूगर्भ में दबने से हुई है। उथले सागरीय पर्यावरण में निक्षेपित अवसादी शैलें पेट्रोलियम का सर्वोत्तम स्रोत हैं। इनके मोटे अवसादों में पेट्रोलियम प्राप्ति की उत्तम सम्भावनाएँ होती हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम के सर्वाधिक भण्डार सऊदी अरब, वेनेजुएला, ईरान, ईराक, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में अधिक है। जबकि सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से रुस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, चीन, मैक्सिको, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख रूपा से उल्लेखनीय हैं।

सऊदी अरब	– दाहरन, दम्माम, अबाकिक, कातिफ, घावर
ईरान	– हफ्तकेल, लाली, गच–सारन, आगाजारी, कुम, करमनशाही
कुवैत	– वरगन क्षेत्र
ईराक	– किरकुक, मोसुल
संयुक्त राज्य अमेरिका	– अप्लेशियन क्षेत्र, टेक्सास, लुसियाना, इलिनायस, इंडियाना क्षेत्र, न्यू मैक्सिको।
मैक्सिको	– टैम्पिको
वेनेजुएला	– माराकाइबो बेसिन, ओरीनीको बेसिन
रुस	– पर्म, उफा, बाकू (अजरबैजान),पश्चिमी साइबेरिया
चीन	– सिक्यांग, जेचवान
भारत	– मुम्बई हाई, लुनेज, अंकलेश्वर, कलोल,डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमाघाटी

- भारत के रिक्त मानचित्र पर भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों को एटलस की सहायता से अंकित कराइये।
- एटलस की सहायता से विश्व के पेट्रोलियम क्षेत्रों की पहचान कराइये।

प्राकृतिक गैस

यद्यपि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ मिलती है किन्तु इसकी उपस्थिति अलग भी होती है। जिन क्षेत्रों में भूगर्भ में प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ सम्बद्ध होती है वहाँ प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत अधिक गहराई पर प्राप्त होती है। इसे वेधन द्वारा प्राप्त किया जाता है।

वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भण्डार रुस, ईरान, कतर, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ईरान, नार्वे जैसे देशों में किया जाता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

वितरण –

संयुक्त राज्य अमेरिका	–	टैक्सास, लुसियाना, कन्सास, न्यू मैक्सिको
कनाडा	–	अलबर्टा, सस्केचवान
उज्बेकिस्तान	–	गजली क्षेत्र
यूक्रेन	–	शेबेलिंका क्षेत्र

जीवाश्मी ईंधनों के संरक्षण के लिए कौन–कौन से उपाय किये जा सकते हैं? चर्चा कीजिए (प्रशिक्षुओं से)

परिवहन के साधन

"परिवहन" शब्द से तात्पर्य वस्तुओं एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया से है। परिवहन के साधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक होते हैं क्योंकि इनके माध्यम से दूरस्थ स्थानों को परस्पर जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार परिवहन किसी भी देश की जीवन रेखा है।

- प्रशिक्षुओं से परिवहन के विभिन्न साधनों/माध्यमों की चर्चा कीजिए।
- स्थानीय स्तर पर किस परिवहन साधन का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है और क्यों ? चर्चा करें।

परिवहन के माध्यम

स्थल परिवहन

समस्त परिवहन के साधनों में स्थलीय परिवहन के साधनों का सर्वाधिक महत्व है। इसका प्रमुख कारण है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश परिवहन स्थल पर ही होता है। इसके अन्तर्गत सड़क एवं रेलमार्ग प्रमुख परिवहन के साधन हैं।

(क) सड़क परिवहन

छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन सर्वश्रेष्ठ परिवहन का साधन है। हल्के सामानों को उत्पादन स्थल से गोदामों अथवा एक गोदाम से दूसरे गोदाम या शहर तक पहुँचाने के लिए वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। यह नगरों को दूरस्थ ग्रामों तक जोड़ती है। साधारणतः सड़कें दो प्रकार की हो सकती हैं– कच्ची सड़कें व पक्की सड़कें। जहाँ एक ओर कच्ची सड़कें बनाना आसान किन्तु ये सभी ऋतुओं में प्रयुक्त करने लायक नहीं होती हैं। प्रायः वर्षा के समय में इन पर यात्रा करना दुरूह कार्य होता है। वहीं दूसरी ओर पक्की सड़कें बनाना अपेक्षाकृत कठिन होता है किन्तु ये अत्यन्त ही उपयोगी होती हैं।

वैश्विक दृष्टि से सड़कों का वितरण काफी असमान है। विश्व में सड़कों की सर्वाधिक लम्बाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जहाँ एक ओर विकसित देशों में सड़कों का सघन जाल विस्तृत है वहीं

Downloaded From www.dietmathura.org

दूसरी ओर अल्पविकसित देशों में इनका पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। लम्बी दूरी के महामार्ग जिन्हें अमेरिका में ''मोटरवेज'' और जर्मनी में ''आटोबन्स'' कहते हैं।

प्रमुख वैश्विक महामार्ग

दूरस्थ अवस्थित दो स्थानों के मध्य अबाध परिवहन संचालन के लिए विशेष प्रकार की कई लेन वाली पक्की बारहमासी सड़कों को महामार्ग कहा जाता है। इनकी चौड़ाई काफी अधिक होती है। ध्यातव्य है कि विभिन्न लेनों में गाड़ियों की गति सीमा भिन्न–भिन्न रूपा से निर्धारित होती है। आजकल फ्लाईओवर की व्यवस्था से यातायात में कोई रुकावट नहीं आती। विश्व के प्रमुख महामार्ग निम्नलिखित हैं–

1. ट्रांस कनाडियन महामार्ग – सेंट जान (न्यू फाउण्डलैण्ड) से कोलम्बिया
2. अलास्का महामार्ग – एडमण्टन (कनाडा) से ऐंकरेज (अलास्का)
3. पैन अमेरिकी महामार्ग – दक्षिणी अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से जोड़ता है।
4. ट्रांस कांटिनेंटल स्टुवर्ट हाइवे – आस्ट्रेलिया के उत्तरी तट स्थित डार्विन से मेलबोर्न तक

- प्रशिक्षुओं से एटलस मानचित्र की सहायता से विश्व के प्रमुख सड़क महामार्गों की अवस्थिति एवं उन पर स्थित प्रमुख नगरों की पहचान कराइये और संसार के रिक्त मानचित्र पर अंकित कराइये।

इन्हें भी जानें –

- भारत का सबसे लम्बा महामार्ग NH-7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है।
- स्वर्णिम चतुर्भज परियोजना – दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई एवं कोलकाता नगरों को जोड़ता है। इसकी कुल लम्बाई 5846 किमी0 है।
- उत्तर दक्षिण एवं पूरब – पश्चिम गलियारा – श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एवं पोरबंदर से सिलचर तक के महामार्ग की कुल लम्बाई 7300 किमी0 है। ध्यातव्य है दोनों ही गलियारे परस्पर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं।

रेल परिवहन

रेलमार्ग भारी मात्रा में सामान को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए सड़क मार्ग की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता और अधिक सुविधाजनक माध्यम है। रेल परिवहन का विकास सड़क परिवहन के काफी बाद हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से रेल परिवहन का विकास 1825 में इंग्लैण्ड में हुआ।

Downloaded From www.dietmathura.org

रोचक तथ्य –

- रेल की पटरियों के बीच की दूरी को रेलवे का गेज कहते हैं। (सामान्यतः तीन गेज होते हैं)
- बड़ी लाइन – 1.5 मी0 से अधिक
- मानक लाइन– 1.44 मी0
- मीटर लाइन– 1.00 मी0
- छोटी लाइन– 1.00 मी0 से कम

विश्व के प्रमुख रेलमार्ग

1. ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग – यह विश्व का सबसे बड़ा रेलमार्ग है। जो रुस के सेंटपीट्सबर्ग (लेनिनग्राड) से मास्को, ऊफा, चेल्याबिंस्क, ओमस्क, इर्कुस्क, चीता होते हुए ब्लाडीवोस्टेक तक जाता है। इसकी कुल लम्बाई 9311 किमी0 है।

2. कनाडा–प्रशान्त रेलमार्ग – कनाडा में सेंट जान को बैंकूवर से जोड़ता है।

3. ट्रांस आस्ट्रेलियाई रेलमार्ग – पर्थ से सिडनी नगरों को जोड़ता है।

4. ओरिएंट एक्सप्रेस – पेरिस (फ्रांस से म्यूनिख, वियना, वुडापेस्ट होते हुए इस्तांबुल तक जाता है।

5. दक्षिणी अमेरिकी अर्न्तमहाद्वीपीय रेलमार्ग – ब्यूनसआयर्स (अर्जेन्टीना) से वालपरेजो (चिली) तक जाता है।

- एटलस मानचित्र की सहायता से प्रशिक्षुओं से संसार के रिक्त मानचित्र पर प्रमुख रेलमार्गों की पहचान कराकर अंकित कराइये।

समुद्री परिवहन

सागरीय परिवहन बहुत ही सस्ता व सुविधाजनक परिवहन का साधन कहा जाता है। यद्यपि बन्दरगाहों तथा जहाजों के निर्माण के लिए आरंभिक रूपा से अत्यधिक खर्च आता है परन्तु इनके रख–रखाव में अपेक्षाकृत कम खर्च आता है।

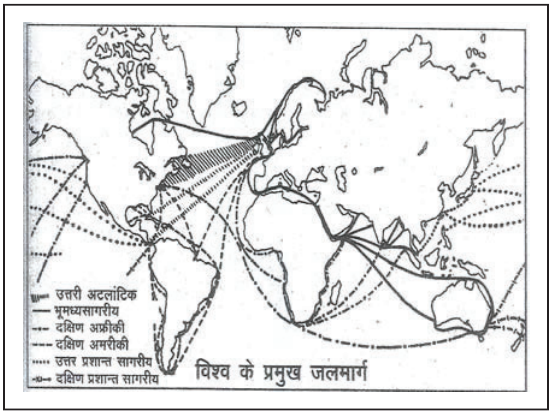

विश्व के प्रमुख जलमार्ग

प्रमुख महासागरीय जलमार्ग निम्नलिखित हैं –

(1) उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग

पश्चिमी यूरोप को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से मिलाता है। यह समुद्री मार्ग विश्व को दो सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करता है। यही कारण है कि यह महासागरीय जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। ध्यातव्य है कि विश्व के 55 बड़े बन्दरगाहों में से 28 बड़े बन्दरगाह इसी जलमार्ग पर अवस्थित हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

(2) स्वेज नहर जलमार्ग

स्वेज नहर का निर्माण 1869 में पूर्ण हुआ। इस नहर की लम्बाई 168 किमी0 है जो लालसागर को भूमध्यसागर से मिलाती है। इसके दो सिरे पोर्ट सईद तथा पोर्ट स्वेज हैं। ध्यातव्य है यह नहर तीन झीलों ग्रेट बिटर, लिटिल झील एवं टिमसा झीलों से होकर गुजरती है। ये सभी खारे पानी की झीलों के रूपा में प्रसिद्ध हैं। स्वेज नहर बन जाने के परिणामस्वरूपा पूरे अफ्रीका का चक्कर काटकर पूर्वी देशों, दक्षिण पूर्वी एशिया को नहीं जाना पड़ता जिससे धन एवं समय की बचत भी सम्भव हो सका है।

(3) पनामा नहर

प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर की जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 1914 में निर्मित किया गया। इसके दोनों किनारों पर पनामा तथा कोलोन अवस्थित है। इस नहर के बन जाने से सर्वाधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है जिसे पूरब और पश्चिमी भाग में परिवहन हेतु अनावश्यक रूपा से दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। पनामा नहर बन जाने से धन एवं समय में आश्चर्यजनक रूप से कमी हुई है।

अन्तः स्थलीय जलमार्ग –

(1) महान झील–सेंट लारेंस जलमार्ग

उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित इस सर्वोत्तम जलमार्ग में अमेरिका की महान झीलों सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो एवं सेंट लारेंस नदी को परस्पर जोड़कर बनाया गया है। इस जलमार्ग का व्यापारिक उपयोग किया जाता है।

(2) मिसीसिपी नदी तन्त्र

संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित इस जलमार्ग में मुख्य नदी मिसीसिपी व उसकी अन्य सहायक नदियों ओहियो, इलीनायस, मिसौरी, रेड नदी सम्मिलित हैं। मिसीसिपी नदी में इसके मुहाने से लेकर सेंट पाल तक जहाज आ जा सकते हैं। इस जलमार्ग पर कोयला, पेट्रोलियम तथा अन्य विनिर्मित वस्तुएँ ढोई जाती हैं।

(3) राईन जलमार्ग

यह जल परिवहन तन्त्र यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आन्तरिक जलमार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। राइन नदी विश्व की सर्वाधिक प्रयोग में लायी जाने वाली नदी है। यह नदी यूरोपीय उत्तरी भाग में अवस्थित रॉटरडम बंदरगाह से लगभग 700 किमी0 तक नौगम्य है। राइन तन्त्र यूरोप के सबसे अधिक औद्योगीकृत एवं सर्वाधिक जनसंख्या सघन क्षेत्र के लिए आन्तरिक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है।

Downloaded From www.dietmathura.org

(4) वोल्गा नदी तन्त्र

यूरोप के पूर्वी भाग की मुख्य नव्य नदियाँ वोल्गा, डान, नीपर आदि इस परिवहन तन्त्र में सम्मिलित की जाती हैं। इस तन्त्र की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी कालासागर में गिरती है। यह घनी जनसंख्या वाले नगरीकृत व औद्योगीकृत प्रदेश से होकर गुजरती है।

(5) भारतीय आंतरिक जलमार्ग

भारत में आन्तरिक जल परिवहन की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं। इनमें गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया तक, ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से धुवरी तक नौगम्य है जिनमें वस्तु परिवहन किया जा रहा है।

वायु परिवहन

आधुनिक युग हवाईयुग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस युग में वायु–परिवहन का विकास व प्रचलन काफी अधिक बढ़ गया है। यह परिवहन का तीव्रतम एवं मंहगा साधन है। जहाँ तक इसके उपयोग का प्रश्न है, हवाई परिवहन हल्की, कीमती एवं शीध्र खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय साधन के रूपा में जाना जाता है। इतना ही नहीं प्राकृतिक विपदाओं में फँसे हुए लोगों को दवाइयों, भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं को उन तक उपलब्धता सुनिश्चित कराने, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में इसका उपयोग किया जाता है। सामरिक दृष्टि से वायुयान ने राजनैतिक सीमाओं को भी अतिक्रमित किया है। दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँच का प्रमुख परिवहन साधन वायुयान ही है।

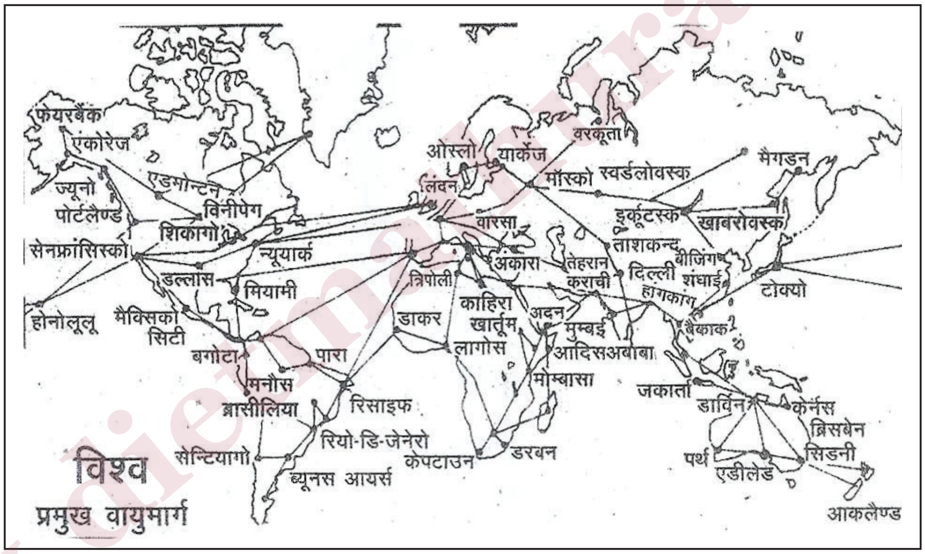

विश्व में वायु परिवहन का वितरण असमान है। जहाँ एक ओर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया में वायुमार्गों का सघन जाल है वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के देशों में इनका विकास कम ही हुआ है।

विश्व के प्रमुख वायु पत्तन लन्दन, पेरिस, मास्को, रोम, कराची, मुम्बई, दिल्ली, बैंकाक, सिंगापुर, टोकियो, लांस एंजिल्स, न्यूयार्क, रियो–डि जेनेरो आदि हैं।

प्रशिक्षुओं से संसार के रिक्त मानचित्र पर विश्व के प्रमुख वायु पत्तनों को अंकित करायें।

Downloaded From www.dietmathura.org

पाइपलाइन परिवहन

पाइपलाइन परिवहन, परिवहन का नवीनतम साधन है। इनसे तरल पदार्थों यथा– पेट्रोलियम, गैसोलिन, प्राकृतिक गैस व जल का परिवहन मुख्यतः किया जाता है। यद्यपि इनके प्रारम्भिक निर्माण में अत्यधिक खर्च आता है किन्तु कालान्तर में इनके रखरखाव में न्यून खर्च आता है। पाइपलाइनों को कठिन, ऊबड़–खाबड़, भू–भागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। पाइपलाइनें पदार्थों की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। ध्यातव्य है कि पाइपलाइन परिवहन में बहुमूल्य ऊर्जा संसाधनों का खर्च कम होता है। इस साधन के द्वारा परिवहन में न तो समय नष्ट होता है और न ही किसी प्रकार की बर्बादी होती है।

संचार (Communication)

सामान्यतः परिवहन के सभी माध्यम संचार के माध्यम कहलाते हैं किन्तु वास्तविक अर्थों में परिवहन एवं संचार एक दूसरे से भिन्नता प्रकट करते हैं। जिस प्रकार परिवहन द्वारा यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, उसी प्रकार संचार के माध्यम से विचारों, सूचनाओं, निर्देशों, आंकड़ों इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित किया जाता है। वर्ष 1844 में टेलीग्राफ का आविष्कार एवं कालान्तर में टेलीफोन व रेडियो के विकास ने संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया।

प्रशिक्षुओं से संचार के विभिन्न साधनों पर चर्चा–परिचर्चा कीजिए।

वस्तुतः संचार की आधुनिक विधि में अत्यधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। इसका उपयोग यद्यपि खर्चीला होता है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल फोन का विकास सर्वप्रथम अमेरिका और यूरोपीय देशों में ही हुआ, परन्तु यह तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। ध्यातव्य है वर्ष 1950 तक जहाँ सूचनाएँ एनालॉग प्रणाली से प्रेषित या निर्मित होती थीं परन्तु बाद में आंकीकरण (Digital) पद्धति का विकास हो जाने से कम्प्यूटर की गति व शुद्धता दोनों का विकास भी शनैः शनैः होता गया। धीरे–धीरे इण्टरनेट नामक समन्वित सूचना तन्त्र का निर्माण सम्भव हो सका। 1989 के बाद से इण्टरनेट संचार की सबसे बड़ी इलेक्ट्रानिक प्रणाली है। इसका उपयोग कुछ अविकसित देशों को छोड़कर विश्व के अधिकांश देशों (भारत सहित) में लोग कर रहे हैं। माइक्रो कम्प्यूटर और मोडेम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इण्टरनेट द्वारा विश्व के साइबर स्पेस से जुड़ सकता है।

आधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण में भी सूचनाओं के आदान–प्रदान में कम्प्यूटर, लैपटाप, प्रोजेक्टर का उपयोग किये जाने से शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता में काफी सुधार लाया जा सका है। इसका उपयोग ई–बैंकिंग, ई–प्रशासन, ई–व्यापार जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूपा में किया जा रहा है।

- प्रशिक्षुओं से संदेश प्रेषण सम्बन्धी अत्याधुनिक सुविधाओं पर चर्चा करें यथा– सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्विटर, ई–मेल इत्यादि।

Downloaded From www.dietmathura.org

अभ्यास प्रश्न

1. एकल संसाधन में सम्मिलित किये जाते हैं –

(क) वायु (ख) सोना

(ग) मृदा (घ) क्रायोलाइट

2. निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है –

(क) पीट (ख) मैग्नेटाइट

(ग) लिमोनाइट (घ) हेमेटाइट

3. चिली किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है –

(क) कोयला (ख) ताँबा

(ग) मैगनीज (घ) सोना

4. पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किरकुक अवस्थित है –

(क) कुवैत (ख) सऊदी अरब

(ग) ईरान (घ) ईराक

5. भारत में उत्तर–दक्षिण एवं पूरब–पश्चिम गलियारे परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं –

(क) हैदराबाद (ख) दिल्ली

(ग) झांसी (घ) लखनऊ

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

6. विश्व के किन्हीं चार संचार के आधुनिक साधनों के नाम लिखिए।
7. भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन नगरों को जोड़ती है?
8. ट्रांस आस्ट्रेलियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है?
9. विश्व का सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है?
10. कारागाण्डा किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

11. अनव्यकरणीय संसाधन किसे कहते हैं?

12. कोयला के प्रमुख प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

13. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए।

14. विश्व में लौह अयस्क अथवा कोयला के वितरण एवं उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

15. विश्व में संचार के साधनों के विकासक्रम पर प्रकाश डालिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

मनुष्य की आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न की दिशा में प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग एवं संरक्षण

कोई पदार्थ या ऊर्जा जो प्रकृति से प्राप्त हो और जिसका उपयोग मानव व अन्य सजीव जीवधारियों द्वारा होता हो, प्राकृतिक सम्पदा या प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वायु, जो श्वसन या साँस लेने के लिए आवश्यक है; जल, जो पेय पदार्थ व अन्य कार्यों में उपयोगी है; मृदा और खनिज आदि सभी प्राकृतिक सम्पदा हैं।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- प्राकृतिक सम्पदा क्या है?
- प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग
- प्राकृतिक सम्पदा के प्रकार
- प्राकृतिक सम्पदा का संरक्षपण

इन प्राकृतिक सम्पदा या संसाधन में से बहुत से सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि कुछ का समुचित उपयोग करने के लिए विभिन्न औजारों और तकनीकी की आवश्यकता होती है क्योंकि मानव प्राकृतिक संपदा का उपयोग कर पुल, सड़क, मशीन और वाहन आदि जीवनोपयोगी मानव निर्मित संपदा का निर्माण करता है अतः इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर किसी देश का विकास निर्भर करता है। इनके अनुकूलतम उपयोग से ही सतत या टिकाऊ विकास सम्भव है। इस प्रकार प्राकृतिक सम्पदा ही वह स्रोत है जिस पर मानव समाज दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है।

प्राकृतिक संसाधनों को वृहद् स्तर पर नवीकरणीय (Renewable) और अनवीकरणीय (Non Renewable) संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है।

नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं, जिनका नवीकरण और पुनः उत्पादन किया जा सकता है। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। परन्तु कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वनस्पति का असावधानी या लापरवाही पूर्ण ढंग से उपयोग करने पर इनके कुल भंडार पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे पेय जल की कमी होना, प्राकृतिक जल स्रोतों का ह्रास एवं प्रदूषण की समस्या, मृदाक्षरण, वनों का ह्रास आदि समस्याएँ उत्पन्न होना।

अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी शीघ्रता से पुनः पूर्ति नहीं हो सकती और जिनके भण्डार सीमित हैं जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, ताँबा, बाक्साइट, यूरेनियम आदि। इन्हें खनन क्रिया द्वारा लगातार निकाला जा रहा है जबकि प्राकृतिक रूपा से इसके निर्माण में लाखों–करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अतः ये संसाधन एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हैं और समय के साथ इनकी मात्रा में कमी आने लगती है। इस प्रकार चूँकि मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त हैं जबकि इसकी तुलना में प्रकृति प्रदत्त संसाधन प्रायः सीमित हैं या उनके समुचित उपयोग के अभाव में उनका तेजी से ह्रास हो सकता है जिसका दुष्परिणाम भविष्य में संसाधनों की आपूर्ति में न्यूनता के रूपा में दृष्टिगोचर होगा। अतः विश्व की भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्राकृतिक सम्पदा या संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है।

वैसे जनसामान्य में संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधन के प्रयोग में कंजूसी करने से अथवा उस संसाधन विशेष की तात्कालिक आवश्यकता रहते हुए उसे भविष्य के लिए संचित करने से लगाया जाता है, किन्तु यह गलत है। वास्तव में संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों का सार्थक, नियोजित सदुपयोग करना

Downloaded From www.dietmathura.org

है तथा क्षरण होने वाले संसाधनों को क्षरण से बचाना तथा उनका पुनर्स्थापन करना है। अतः संरक्षण का अर्थ समुचित उपयोग से है जिसका सम्बन्ध किसी देशकाल में विद्यमान कुल जनसंख्या, जीवनस्तर, तकनीक एवं अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं से रहता है जो संसाधनों की उत्पादन क्षमता तथा उपभोग की मात्रा निर्धारित करते हैं।

दूसरे शब्दों में संरक्षण का अर्थ संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्यों की आवश्यकता पूर्ति के लिए समुचित उपभोग होता है। यदि संसाधनों के उपयोग को समय के साथ विभाजित कर दें और आवश्यकतानुसार उनका समुचित उपयोग करते जायें तो संरक्षण का यह सर्वश्रेष्ठ रूपा होगा।

सतत या टिकाऊ विकास

संसाधनों का इस प्रकार सावधानीपूर्वक उपयोग करना जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएँ पूरी होती रहें बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएँ भी पूरी हों।

इस प्रकार संरक्षण की तीन प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं –

(1) ''संरक्षण'' एक बचत प्रक्रिया है।

(2) ''संरक्षण'' से आशय संसाधनों की बर्बादी रोकने से है।

(3) ''संरक्षण'' से आशय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है।

इस हेतु अपशिष्ट पदार्थों (Waste) को एकत्रित करके और फेंके गये पदार्थों का पुनर्चक्रण (Recycling) करके, नयी–नयी पर्यावरण–मित्र (इको–फ्रेंडली) तकनीक अपनाकर सौर, पवन ऊर्जा का प्रयोग करके जन्मदर और मृत्युदर में कमी लाकर इत्यादि उपाय द्वारा संरक्षण किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न

1.

(क) प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं?
(ख) नवीनकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अन्तर है ?
(ग) 'सतत विकास' का क्या तात्पर्य है?
(घ) संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है ?

2. सही के सामने (✓) का चिह्न एवं गलत के सामने (x) का चिह्न लगाइए–

(क) मृदा एवं खनिज प्राकृतिक सम्पदा हैं ( )
(ख) विश्व की भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है ( )
(ग) संरक्षण का अर्थ संसाधन के प्रयोग में कंजूसी करने से है। ( )
(घ) सौर ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन है। ( )

Downloaded From www.dietmathura.org

हमारा भारत- प्राकृतिक एवं राजनैतिक इकाईयाँ, हमारी प्राकृतिक सम्पदा और उनका सदुपयोग

भारत एक वृहद् भौगोलिक विस्तार (क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी) वाला देश है। इसकी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह उत्तर में हिमालय की ऊँची हिमाच्छादित चोटियों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिन्द महासागर से घिरा है। इस प्रकार भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा है और चूँकि स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप (Peninsula) कहते हैं, इसलिए भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। भारत के दो द्वीप समूह– लक्षद्वीप व अण्डमान एवं निकोबार भी है जो हिन्द महासागर में अवस्थित है।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- भारत सामान्य परिचय (प्राकृतिक एवं राजनैतिक)
- भारत प्राकृतिक सम्पदा और उनका सदुपयोग–
  - भारत की वनस्पति
  - भारत के वन्य जीव

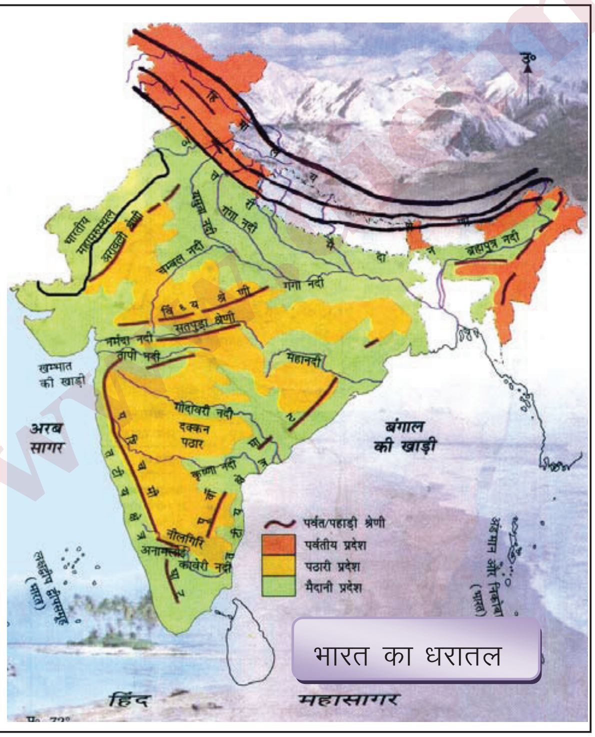

भारत का धरातल

सात देशों– पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश की स्थलीय सीमायें इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं।

चूँकि भारत एक विशाल देश है, अतः प्रशासनिक कार्य समुचित रूप से सम्पन्न करने के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केन्द्रशासित प्रदेशों में बाँटा गया है। केन्द्रशासित क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनमें शासन व प्रशासन केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है।

जैसा कि चित्र से स्पष्ट है भारत में विविध प्रकार की भौतिक स्थलाकृतियां पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीपसमूह आदि पायी जाती हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

इसी प्रकार यहाँ मौसमी विविधता भी देखने को मिलती हैं, और चार प्रकार की ऋतुएं– शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद पायी जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारी प्राकृतिक सम्पदा में विविध प्रकार के जीव, जन्तु, वनस्पति और खनिज पाये जाते हैं।

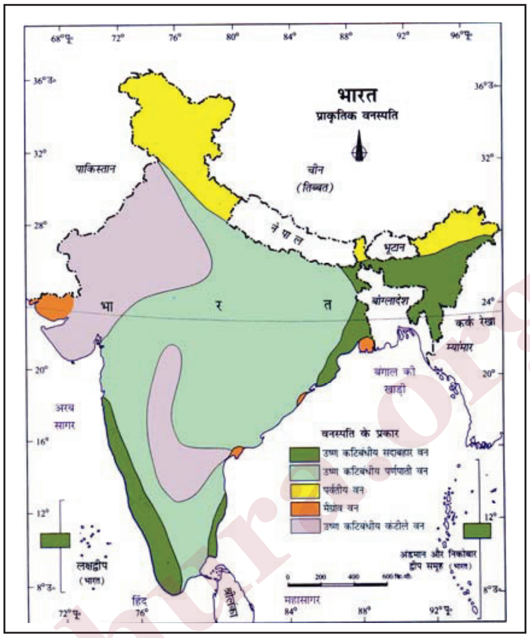

भारत की वनस्पति को मुख्य पाँच प्रकारों में बाँटते हैं–

1. उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन
2. उष्ण कटिबन्धीय पतझड़ वन
3. उष्ण कटिबन्धीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ
4. पर्वतीय वन
5. ज्वारीय या दलदली वन

उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन अधिक वर्षा (200 सेमी से अधिक) वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। इसके मुख्य वृक्ष महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड आदि हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर–पूर्वी भागों में मिलते हैं।

वृक्षों की उपयोगिता

Downloaded From www.dietmathura.org

उष्ण कटिबन्धीय पतझड़ या मानसूनी वन सामान्य वर्षा (100 से 200 सेमी के मध्य) वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अन्तर्गत सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चन्दन, शीशम, शहतूत आदि वृक्ष आते हैं। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं।

उष्ण कटिबन्धीय मरुस्थलीय वन कम वर्षा (80 सेमी से कम) वाले क्षेत्रों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में मिलते हैं। इनके मुख्य वृक्ष कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस आदि हैं। पर्वतीय या शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष चीड़, चेस्टनट, ओक, देवदार आदि हैं। ज्वारीय या दलदली वन (मैन्ग्रोव वन) डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाये जाते है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं।

वन्य जीव

वे जानवर जो जंगलों में पाये जाते हैं, जिन्हें हम नहीं पालते, ऐसे जानवरों को 'वन्य जीव' कहते हैं। इसके अन्तर्गत जन्तुओं की विविध प्रजातियाँ, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट तथा कृमि आदि आते हैं। जैसे बाघ, शेर, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, ऊँट, जंगली गधा, तेंदुआ, बंदर, भालू, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख, साँप, कछुआ आदि।

आज वनों के लगातार कटने और वन्य जीवों के शिकार से वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। वनों में रहने वाले पशु–पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। चूँकि वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, अतः इनकी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं पक्षी विहारों की स्थापना की गई है। जिसमें वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं।

राष्ट्रीय उद्यान (National Park) वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतया बन्द है।
अभयारण्य (Sanctuary) वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है।
पक्षी विहार(Bird Sanctuary) वह स्थान जहाँ पक्षी स्वतन्त्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. (क) प्रायद्वीप किसे कहते हैं?
(ख) प्राकृतिक सम्पदा से क्या तात्पर्य है ?
(ग) भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है?
(घ) वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

2. सही के सामने (✓) का चिह्न एवं गलत के सामने (X) का चिह्न लगाइए–

(क) भारत 29 राज्य एवं 7 केन्द्रशासित प्रदेशों में बाँटा गया है। (   )
(ख) भारत में चार प्रमुख ऋतुएँ पायी जाती हैं। (   )
(ग) भारत के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित हैं (   )
(घ) शंकुधारी वन डेल्टा प्रदेशों में पाये जाते हैं (   )

Downloaded From www.dietmathura.org

हमारी खनिज सम्पदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई, आयात-निर्यात

किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज सम्पदा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह खनिज हमें धरातल पर और धरातल के भीतर मिलते हैं। जिस जगह धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है, उसे 'खान' कहते हैं और खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है, उन्हें 'अयस्क' (Ore) कहते हैं।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- खनिज एवं उसके प्रकार
- खनिजों का वितरण व आर्थिक महत्व
- शक्ति के साधन
- कृषि एवं सिंचाई
- आयात निर्यात

खनिजों को धात्विक तथा अधात्विक दो प्रकारों में बाँटा जाता है–

1. धात्विक खनिज पदार्थ– लोहा, ताँबा, सोना, चाँदी, एल्युमिनियम आदि।

2. अधात्विक खनिज पदार्थ– कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गन्धक, पोटाश आदि।

खनिज पदार्थ	कहाँ मिलता है	आर्थिक महत्व
1. लोहा	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवाा	हर प्रकार की मशीनरी और कल–कारखानों के निर्माण में काम आता है उद्योग इसी पर निर्भर है।
2. ताँबा	झारखण्ड (सिंहभूमि), राजस्थान (खेतड़ी), आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, पं0 बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक	बिजली के तार आदि बनाने तथा मुद्राएँ, बर्तन, मशीनों के कल–पुर्जे बनाने के काम आता है।
3.एल्युमिनियम (बॉक्साइट)	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश	इसका उपयोग वायुयानों, बिजली के तार आदि बनाने के लिए होता है।
4. मैंगनीज	मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान	यह इस्पात बनाने एवं ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणु नाशक दवाएँ, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैसें, शुष्क बैटरीज, बिजली और काँच का सामान बनाने के काम आता है।
5. सोना	80 प्रतिशत उत्पादन कर्नाटक के कोलार में	यह बहुत मूल्यवान धातु है। यह आभूषण बनाने के काम आता है एवं मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
6. चाँदी	राजस्थान (उदयपुर)	आभूषण बनाने के काम आता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

शक्ति के साधन

वर्तमान में शक्ति अथवा ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं औद्योगीकरण के आधार हैं। अतः किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा अति आवश्यक साधन हैं।

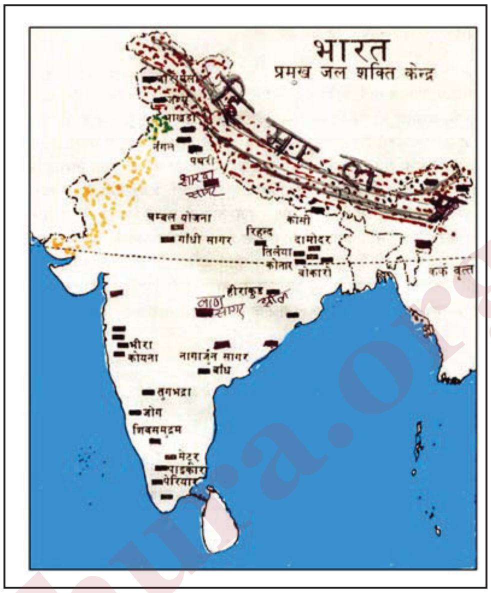

कोयला कई प्रकार का होता है– पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एन्थ्रासाइट। कोयला उत्पादन के प्रमुख प्रदेश झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा आदि हैं।

खनिज तेल असम, मेघालय, गुजरात, मुम्बई हाई (अरब सागर में), अरूणांचल प्रदेश में पाया जाता हैं। प्रायः प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ ही प्राप्त होती है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप लाइन एवं गैस सिलिण्डरों द्वारा भेजी जाती है।

पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बाँध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। बाँध के नीचे बड़े–बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।

परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत– यूरेनियम, थोरियम आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखण्ड और राजस्थान में यूरेनियम के भण्डार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है जिसे अणुशक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है।

कृषि एवं सिंचाई

हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 18 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं।

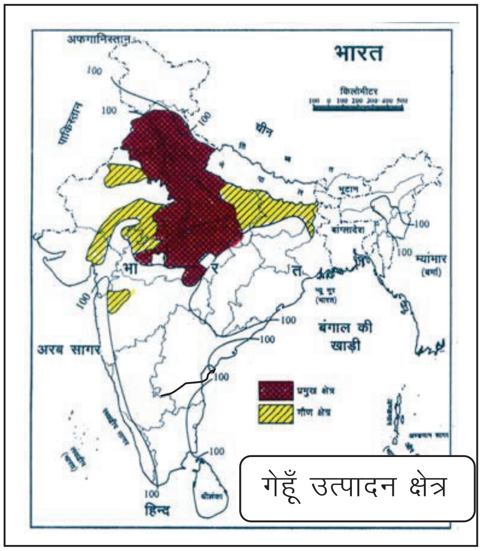

गेहूँ उत्पादन क्षेत्र

देश में पैदा होने वाली फसलों को तीन वर्गों में रखा जाता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

- **खाद्यान्न फसलें–** गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालों, ज्वार, बाजरा आदि।
- **नकदी फसलें–** गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तम्बाकू आदि।
- **पेय एवं बागानी फसलें–** चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि।

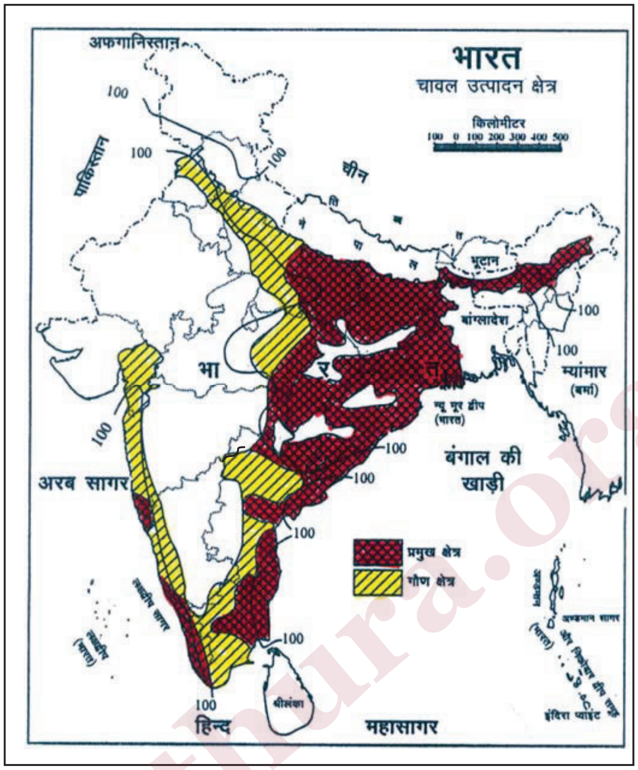

कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित व असमान हैं। साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुएँ और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन हैं। आजकल अधिक मात्रा में जल प्राप्ति हेतु नलकूप का प्रयोग किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त देश में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से नहरें निकाली गई हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है।

वर्तमान में सिंचाई की नवीन पद्धति ड्रिप (टपक) सिंचाई और स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई भी प्रचलित हो रही है। इनसे सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है।

आयात–निर्यात

वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने एवं बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात (Import) कहते हैं और अपने देश में आवश्यकता से अधिक पैदा हुई या बनी हुई वस्तु को जब किसी दूसरे देश को बेचता है, तो उसे निर्यात (Export) कहते हैं। आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख अंग है। देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा एक–दूसरे से सामान खरीदना या बेचना भी आयात–निर्यात की श्रेणी में आता है। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98प्रतिशत जलमार्ग द्वारा तथा शेष 2 प्रतिशत स्थल मार्ग एवं वायुयान द्वारा होता है।

एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएँ आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती हैं अतः सभी देश अन्तराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात–निर्यात करना पड़ता है। भारत का विश्व के लगभग सभी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है।

www.dietmathura.org

Downloaded From www.dietmathura.org

भारत के प्रमुख आयात	भारत के प्रमुख निर्यात
• मशीनें	• कृषि एवं सम्बन्धित उत्पाद
• कपास व रूई	• कच्चा लोहा एवं खनिज
• पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद	• रत्न व जवाहरात
• मोती व बहुमूल्य रत्न	• रसायन व सम्बन्धित उत्पाद
• अकार्बनिक रसायन	• इंजीनियरिंग का सामान
• कोयला तथा कोक	• पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद
• लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं	• वस्त्र तथा तैयार कपड़े
• खनिज तेल	• हस्तकला की वस्तुएँ

अभ्यास प्रश्न

1.(क) खनिज से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं?

(ख) खाद्यान्न फसलों और नकदी फसलों में क्या अंतर है ? इनके प्रमुख उदाहरण दीजिए।

(ग) वर्तमान में सिंचाई की कौन–कौन सी नवीन पद्धतियाँ अपनायी जा रही हैं ?

(घ) किसी देश के लिए आयात–निर्यात का क्या महत्व है, भारत के संदर्भ में इसे उदाहरण देकर समझाइये।

2. सही के सामने (✓) का चिह्न एवं गलत के सामने (X) का चिह्न लगाइए–

(क) ताँबा बिजली के तार, मुद्रा आदि बनाने हेतु उपयोगी है। (   )

(ख) सोना मूल्यवान धातु है जो आभूषण बनाने के काम आता है (   )

(ग) कुएँ और तालाब सिंचाई के आधुनिक साधन हैं। (   )

(घ) देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा एक–दूसरे से सामान खरीदना या बेचना आयात–निर्यात नहीं है। (   )

Downloaded From www.dietmathura.org

सरकार के अंग

सरकार राज्य का आवश्यक तत्त्व है। यह राज्य का कार्यवाहक यंत्र है जो राज्य की इच्छा को निर्धारित, व्यक्त तथा क्रियान्वित करता है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार राज्य का मूर्त रूप है। सरकार सामान्यतः तीन प्रकार के कार्य करती है–

(1) कानून बनाना

(2) उन्हें क्रियान्वित करना

(3) जो व्यक्ति उनका पालन न करें उन्हें दण्ड देना।

इन कार्यों को करने के लिए सरकार के तीन अंग होते हैं–

(1) व्यवस्थापिका

(2) कार्यपालिका

(3) न्यायपालिका।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- सरकार के अंग
- शक्ति का पृथक्करण
- शक्तियों का बँटवारा
- केन्द्र सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची

व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें क्रियान्वित करती है एवं न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है तथा उनका उल्लघंन करने वालों को दण्ड देती है।

व्यवस्थापिका

व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। यह जनता का दर्पण है। सी0एफ0स्ट्रांग के अनुसार ''आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्था ही होती है।'' विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को अलग–अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लैण्ड और भारत में इसे 'संसद' कहा जाता है। जापान में 'डायट' तथा अमेरिका में 'कांग्रेस' कहा जाता है।

भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। भारतीय संसद के तीन अंग–राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हैं। व्यवस्थापिका (संसद) का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, उन पर बहस की जाती है और फिर संशोधन और मतदान के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से विधि बनाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। कानून बनाने के साथ–साथ व्यवस्थापिका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण एवं नियमन भी करती है। प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में वह अनुमानित आय–व्यय को स्वीकृत करती है। बिना संसद की अनुमति के सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, प्रश्न पूछ कर आदि माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। इन कार्यों के अतिरिक्त व्यवस्थापिकाएँ, न्यायिक कार्य, निर्वाचन सम्बन्धी कार्य और संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य भी करती हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

कार्यपालिका

कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाये हुए कानूनों का पालन करता है। कार्यपालिका शासन की धुरी है जिसके चारों ओर समस्त प्रशासनिक यन्त्र घूमता है। कार्यपालिका का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य देश का प्रशासन चलाना है। आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना वह प्रमुख कार्य है जिसके लिए सरकार की स्थापना की जाती है। देशों की सीमाओं की सुरक्षा करना और विदेशों के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका पर है। संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने तथा निम्न सदन को भंग करने का अधिकार कार्यपालिका को प्राप्त है। राष्ट्राध्यक्षों को अध्यादेश जारी करने और संसद द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त होती है। प्रत्यायोजित विधायन ने कार्यपालिका की विधायी शक्तियाँ बहुत बढ़ा दी है। कार्यपालिका न्यायिक कार्य भी सम्पादित करती है। भारत में राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है एवं अपराधियों को क्षमा करने की शक्ति उसके पास होती है। यद्यपि बजट पारित करना और आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण रखना आदि विधायिका के कार्य हैं परन्तु इस दिशा में पहल एवं मार्गदर्शन कार्यपालिका करती है।

न्यायपालिका

न्यायपालिका शासन का वह अंग होती है जो विधियों की व्याख्या करती है तथा उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दण्ड देती है। न्यायपालिका शासन का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। लोकतन्त्र का आधार स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धान्त हैं, इन सिद्धान्तों की रक्षा समुचित न्याय व्यवस्था के बिना नही हो सकती। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व भी न्यायपालिका का होता है। यदि विधायिका ऐसा कानून पारित करती है जो संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखना और राष्ट्राध्यक्ष को परामर्श देने का कार्य भी न्यायपालिकाएँ करती हैं।

शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)

व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए और सरकार को निरंकुश बनने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार की शक्तियों को बाँट दिया जाय। इस सिद्धान्त को शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। इस सिद्धान्त का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख मॉण्टेस्क्यू की पुस्तक 'दी स्प्रिट आफ लॉज' में मिलता है।

सरकार का प्रमुख कार्य कानून बनाना और बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है। कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका और उसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

शक्ति–पृथक्करण सिद्धान्त के अनुसार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक–दूसरे से स्वतन्त्र होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसी सिद्धान्त पर आधारित है। इस प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक–दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही करती हैं। इसके विपरीत संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्य के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

शक्तियों का बँटवारा (Division of Powers)

सत्ता के बँटवारो के आधार पर एकात्मक व संघात्मक शासन प्रणाली में अन्तर किया जाता है। यदि संविधान के द्वारा सम्पूर्ण शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित कर दी जाय तो इसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते है। इसके विपरीत यदि संविधान के द्वारा सत्ता एक से अधिक स्थानों पर बाँट दिया जाए। जिसमें संघ व राज्य सरकारें अपने–अपने कार्यों में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च रहे तो उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहते है।

संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान द्वारा ही संघ (केन्द्र) सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। साधारणतया यह विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय केन्द्रीय सरकार को और स्थानीय महत्व के विषय इकाइयों की सरकारों के सुपुर्द कर दिये जाते हैं।

भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनायी गयी है। भारतीय संविधान द्वारा संघ (केन्द्र) और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूचियों में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन करने वाली तीन सूचियों अर्थात् संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। जिनके प्रमुख विषय इस प्रकार हैं–

(1) संघ सूची

संघ सूची में 100 विषय हैं। इसके प्रमुख विषय इस प्रकार हैं– प्रतिरक्षा, सशस्त्र सेनाएं, अणुशक्ति, विदेशी कार्य, युद्ध एवं शान्ति, डाक, तार, दूरभाष, संचार, सिक्का, टंकण, विदेशी विनिमय, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, सीमा कर इत्यादि। ये विषय जो संघ के लिए समान हित के है तथा सम्पूर्ण देश को एकसूत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इस सूची में वर्णित विषयों पर केवल संसद विधि बना सकती है।

(2) राज्य सूची

मूल संविधान के अन्तर्गत राज्य सूची में कुल 66 विषय रखे गए थे लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा राज्य–सूची से पाँच विषय (शिक्षा, वन, वन्य–जीव, नाप–तौल तथा न्याय प्रशासन) हटाकर समवर्ती सूची में कर दिए गए। इस प्रकार अब राज्य सूची के विषयों की संख्या 61 रह गयी है,

Downloaded From www.dietmathura.org

जिनमें से कुछ प्रमुख हैंः पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वाशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, भूमि सुधार, कारागार, भू–राजस्व, लोक व्यवस्था, क्रय, विक्रय आदि। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को है लेकिन कुछ परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

(3) समवर्ती सूची

इस सूची में वे विषय रखे गए हैं, जिनका महत्व क्षेत्रीय और संघीय दोनों ही दृष्टियों से है। मूल संविधान के अनुसार इस सूची में 47 विषय थे लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के पाँच विषय समवर्ती सूची में कर दिए गए। इस प्रकार अब समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 52 हो गयी है, जिनमें से कुछ प्रमुख है– फौजदारी विधि और प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह–विच्छेद, कारखाने, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, विद्युत, वन, वन्य जीवों तथा पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन आदि। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन विवाद की स्थिति में संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में कौन सरकार का अंग नहीं हैः–

(क) व्यवस्थापिका (ख) कार्यपालिका

(ग) न्यायपालिका (घ) राज्य

2. कानून बनाने का कार्य करती हैः–

(क) व्यवस्थापिका (ख) कार्यपालिका

(ग) न्यायपालिका (घ) रक्षा मंत्रालय

3. 'दी स्प्रिट ऑफ लॉज' के लेखक हैंः–

(क) हाब्स (ख) लॉक

(ग) रुसो (घ) मॉण्टेस्क्यू

Downloaded From www.dietmathura.org

4. शक्तियों का बँटवारा किस प्रणाली की विशेषता हैः–

(क) एकात्मक शासन प्रणाली (ख) संसदात्मक शासन प्रणाली

(ग) संघात्मक शासन प्रणाली (घ) अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

5. भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन करने वाली तीन सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में हैः–

(क) पहली अनुसूची (ख) चौथी अनुसूची

(ग) सातवीं अनुसूची (घ) दसवीं अनुसूची

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. सरकार के कितने अंग होते हैं ?

2. संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है ?

3. कानूनों को लागू कराने का कार्य कौन करती है ?

4. संघ सूची पर कानून कौन बनाता है ?

5. समवर्ती सूची में कितने विषय हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. व्यवस्थापिका कौन–कौन से कार्य करती है ?

2. शक्तियों के पृथक्करण से क्या तात्पर्य है ?

3. शक्तियों का बँटवारा क्यों आवश्यक है ?

4. राज्य सूची के प्रमुख विषयों का उल्लेख कीजिए ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. शक्ति पृथक्करण से क्या तात्पर्य है ? सरकार के तीनों अंगों का वर्णन कीजिए।

2. संघ–सूची, राज्य–सूची और समवर्ती सूची के प्रमुख विषयों का उल्लेख कीजिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

संसद

भारत संघ की सर्वोच्च विधायिका का नाम है, संसद। संसदीय प्रणाली में देश के प्रशासन में संसद को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्था है कि देश के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति एवं दो सदनों–लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इस प्रकार भारतीय संसद के तीन अंग हुए–

(1) राष्ट्रपति – कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख

(2) लोकसभा – प्रथम सदन अथवा लोकप्रिय सदन

(3) राज्यसभा – द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन

लोकसभा

लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। इसे 'लोकप्रिय सदन' या 'जनता का प्रियघर' भी कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है अतः सरकार को हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गयी थी, किन्तु समय–समय पर इसमें परिवर्तन किया जाता रहा है। वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें से 530 सदस्य भारतीय संघ के राज्यों से व 20 सदस्य केन्द्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किये जायेंगे तथा दो सदस्य एंग्लो–इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। 84वें संविधान संशोधन के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या सन् 2026 तक यथावत रहेगी। लोकसभा में सबसे अधिक 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु
- लोकसभा
- सदस्य संख्या
- सदस्यों की योग्यताएँ
- कार्यकाल
- पदाधिकारी
- अधिवेशन
- कार्य

लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत के वे नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है लोकसभा के चुनाव में वोट डाल सकते है। प्रारम्भ में 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था किन्तु 61वें संविधान संशोधन, 1989 द्वारा अब यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है।

लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएँ– संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक है–

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

Downloaded From www.dietmathura.org

3. किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो।
4. वह पागल अथवा दिवालिया न हो।
5. संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएँ पूरी करता हो।

लोकसभा का कार्यकाल

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, किन्तु इस अवधि के पूर्व केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् (प्रधानमंत्री) की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद छह माह से अधिक नहीं हो सकता।

लोकसभा के पदाधिकारी

लोकसभा अपनी कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। इनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है और साधारण बहुमत से ही 14 दिन पूर्व सूचना देकर इन्हें हटाया भी जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी सामान्य सांसद के रूप में ही शपथ लेते है। ये अपने पद पर तभी तक बने रहते हैं जब तक लोकसभा के सदस्य है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को व उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते है।

लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य इस प्रकार है–

1. लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. सदन में शन्ति एवं व्यवस्था को बनाये रखना।
3. अव्यवस्था की स्थिति में बैठक स्थगित करना।
4. लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना।
5. धन विधेयकों को प्रमाणित करना।
6. किसी प्रस्ताव पर निर्णायक मत देना।
7. सदस्यों को सदन में भाषण की अनुमति देना।
8. सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना।

लोकसभा अध्यक्ष को 125000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे जबकि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन है।

अधिवेशन

लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाये जाते हैं। लोकसभा की दो बैठकों के बीच में 6 मास से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। सामान्यतया प्रतिवर्ष लोकसभा के तीन सत्र

Downloaded From www.dietmathura.org

होते हैं अर्थात् बजट सत्र (फरवरी–मई) वर्षाकालीन सत्र (जुलाई–सितम्बर) और शीतकालीन सत्र (नवम्बर–दिसम्बर)।

लोकसभा के कार्य

लोकसभा भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकसभा के कार्य इस प्रकार हैं–

विधायी कार्य

लोकसभा संघसूची के सभी विषयों पर कानून बनाती है और आवश्यकता पड़ने पर समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। संसद के दोनों सदनों में यदि किसी विषय पर मतभेद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।

वित्तीय कार्य

संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर इस विधेयक को सिफारिश सहित या रहित लोकसभा को लौटाना होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार वित्तीय कार्यों में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है।

कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अर्थात् लोकसभा मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित कर उसे अपदस्थ कर सकती है। लोकसभा के सदस्य प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर और काम रोको प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव द्वारा भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्य

लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

न्याय सम्बन्धी कार्य

राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, न्यायाधीशों के विरुद्ध दुराचरण का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति के हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है।

Downloaded From www.dietmathura.org

संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य

लोकसभा को संविधान संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को साधारण बहुमत से तो कुछ को दो तिहाई बहुमत से संशोधित किया जाता है। कुछ अनुच्छेद के संशोधन में दो तिहाई बहुमत के साथ–साथ राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है।

लोकसभा के इन महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए डॉ0 एम0 पी0 शर्मा ने ठीक ही कहा है कि ''यदि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। व्यवहारतः लोकसभा ही संसद है।''

राज्यसभा

राज्यसभा संसद का द्वितीय एवं उच्च सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संगठन का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। पहले यह मतदान गुप्त होता था, लेकिन अब खुले मतदान का प्रावधान कर दिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखते हो। यह मनोनयन की परम्परा भारत ने आयरलैण्ड से ली है।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु
- राज्य सभा
- सदस्य संख्या
- सदस्यों की योग्यताएँ
- कार्यकाल
- पदाधिकारी
- कार्य

राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।
4. वह पागल अथवा दिवालिया न हो।
5. संसद द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूरी करता हो।

कार्यकाल

राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका कभी विघटन नही होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

निरर्हताएं

- संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के निरर्ह ठहराया जा सकता है, अगर उसे दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल–बदल का दोषी पाया गया हो।
- यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है।

पदाधिकारी

सभापति और उपसभापति राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन और संसद द्वारा निश्चित भत्ते एवं सुविधाएँ प्राप्त होती है।

पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती है। यद्यपि लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियाँ होती है जो सभापति के पास नही होती है–

1. राज्यसभा के सभापति को किसी विधेयक को, वह धन विधेयक है या नहीं यह प्रमाणित करने का अधिकार नहीं है।
2. दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार भी राज्यसभा के सभापति को नहीं है।

राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनती है। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में भी वह बतौर सभापति कार्य करता है।

सभापति और उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष की भाँति सदन की कार्यवाही के दौरान पहले मत नही दे सकते। दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकते है।

राज्यसभा के कार्य

व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य– धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत किये जा सकते है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 मास और धन विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है।

कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य– राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रिपरिषद् में शामिल हो सकते है। राज्यसभा प्रश्न पूछकर, वाद–विवाद कर कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटा नहीं सकती है।

Downloaded From www.dietmathura.org

वित्तीय कार्य– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते है। लोकसभा से पास होने के बाद यह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन में अपनी सिफारिशों के सहित या रहित लोकसभा को लौटा देती है। राज्यसभा की सलाह को लोकसभा स्वीकार अथवा अस्वीकार दोनों ही कर सकती है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन में वापस नहीं करती तो वह विधेयक स्वतः दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।

संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य– राज्यसभा को संविधान संशोधन के सम्बन्ध में लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। संविधान में होने वाले प्रत्येक संशोधन के लिये राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त राज्यसभा दो कार्य ऐसे भी करती है जिन्हें करने का अधिकार लोकसभा को भी प्राप्त नही है। ये दो कार्य निम्नलिखित हैं–

1. अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत तथा सदन के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यह कानून एक वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि कानून को आगे बढ़ाना है तो इस प्रस्ताव को पुनः पारित करना होगा।

2. अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत तथा सदन के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद 'अखिल भारतीय सेवा' का सृजन कर सकती है। भारत में अभी तक तीन अखिल भारतीय सेवा मानी गयी है–

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. भारतीय पुलिस सेवा
3. भारतीय वन सेवा

कुछ लोग राज्यसभा की आलोचना करते हुए कहते है कि 'यदि राज्यसभा लोकसभा के सभी कार्यों से सहमत हो तो उसे फालतू सदन कहते है और यदि लोकसभा के कार्यों में बाधा डाले तो 'अड़गेबाज सदन' कहा जाता है। अतः राज्यसभा का कोई विशेष महत्व नही है।' लेकिन ऐसा नही है लोकतंत्र में प्रत्येक संस्था का महत्व होता है। राज्य सभा योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों का सदन है जो कि लोकसभा द्वारा की गयी गलतियों को सुधारता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

राष्ट्रपति

भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। इस प्रणाली में देश में दो प्रधान होते है पहला देश का संवैधानिक प्रधान। भारत में इसे राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन में सम्राट कहते है। सैद्धान्तिक रूप से संविधान सम्बन्धी सभी शक्ति इसी में निहित होती है। संविधान के द्वारा इसे विवेक का अधिकार प्रदान नही किया जाता। देश का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जो कि मंत्रिपरिषद् की सहायता से देश का शासन करता है। व्यवहारिक रूप से सम्पूर्ण शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् ही करती है, लेकिन मंत्रिपरिषद् के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते है।

संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् आती है, इसमें एक मंत्री भी शामिल है।

राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ–

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
3. वह संसद या राज्य विधानमण्डल का सदस्य न हो। यदि वह सदस्य है तो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होते ही पिछला पद रिक्त हो जायेगा।
4. वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।
5. वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक 'निर्वाचक मण्डल' द्वारा किया जायेगा, जिसमें शामिल होंगे–

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
2. राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।
3. दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। (70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा)

राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं मतगणना एकल संक्रमणीय मत–पद्धति के अनुसार होती है। यह मतदान गुप्त होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी होने के लिये एक न्यूनतम मत प्राप्त करना होता है जिसे 'निर्वाचन कोटा' कहा जाता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

$$\text{निर्वाचन कोटा} = \frac{\text{कुल पड़े वैध मतों की संख्या}}{2} + 1$$

निर्वाचित हो जाने के बाद राष्ट्रपति भारत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष संविधान की रक्षा की शपथ लेता है।

राष्ट्रपति का कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है। अवधि से पूर्व वह त्यागपत्र देकर पद रिक्त कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर संसद महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकती है। पद रिक्त होने पर नये राष्ट्रपति का चुनाव पूरे पाँच वर्ष के लिए होता है। छः माह के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य है।

कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को 150000 रुपये प्रतिमाह वेतन, निःशुल्क आवास एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएँ भी प्राप्त होती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात् राष्ट्रपति को 6 लाख रूपये वार्षिक पेन्शन प्राप्त होती है।

महाभियोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रपति पर लगाये जाने वाला महाभियोग सम्बन्धी संकल्प संसद के किसी भी सदन में पहले उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा सदन या राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर लाया जा सकता है। जब पहला सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित कर देता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग की जाँच करता है। राष्ट्रपति स्वयं अथवा किसी वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते है। यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति के पक्ष से असहमति व्यक्त करते हुए उस संकल्प को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दें, तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है–

(अ) शान्तिकालीन शक्तियाँ (ब) संकटकालीन शक्तियाँ

Downloaded From www.dietmathura.org

(अ) राष्ट्रपति की शान्तिकालीन शक्तियाँ

शान्तिकाल में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिकार होते हैं–

1. कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रहते है। राष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महान्यायवादी, राज्यपालों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल और महान्यायवादी दोनों ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते है।

राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी करता है।

अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो–इण्डियन समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है, तो वह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखते है।

2. विधायिका सम्बन्धी अधिकार

राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी वह उसका अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए कि संसद के सत्र को आहूत करने, विर्सजित करने, लोकसभा को विघटित करने, संसद के सदन को संदेश भेजने, संसद की कार्यवाही का समय व स्थान निर्धारित करने, साधारण विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाने, विधेयक पर हस्ताक्षर करने तथा किसी विधेयक को वीटो करने आदि का अधिकार राष्ट्रपति को है।

राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।

राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायनीय शक्ति उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि संसद के दोनों सत्र या एक सत्र अपने अस्तित्व में नही है और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि देश के समक्ष ऐसी गम्भीर परिस्थितियाँ विद्यमान है जिसमें तत्काल कोई कानून बनाना आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश उतना ही वैधानिक है जितना कि संसद द्वारा बनाया हुआ कानून अर्थात् अध्यादेश को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

Downloaded From www.dietmathura.org

3. वित्तीय अधिकार

राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक एवं वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। विनियोग विधेयक और अनुदान सम्बन्धी सभी माँगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सरकार आकस्मिक निधि से धन निकाल सकती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है और वित्त आयेाग की सिफारिशों के अनुसार करों से प्राप्त आय का केन्द्र तथा राज्यों में बँटवारा करता है।

4. न्यायिक अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 72 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की सजा पाये व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। उसके दण्ड को कम कर सकता है या दण्ड के स्वरूप को बदल सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 145 के अन्तर्गत न्यायालय में कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक नियम बना सकता है।

5. सैनिक अधिकार

राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर होता है। वह वायु सेना, जल सेना व थल सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध और शान्ति की घोषणा कर सकता है।

6. राजनयिक अधिकार

राष्ट्रपति विभिन्न देशों में भारत के राजनयिकों की नियुक्ति करता है तथा विभिन्न देशों से भारत आये राजनयिकों का वह प्रमाणपत्र प्राप्त करता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

(ब) राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ

भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में संकटकाल की घोषणा कर सकता है–

1. राष्ट्रीय आपातकाल

अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में युद्ध, वाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी है या उत्पन्न होने की आशंका है तो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव 1 माह के अन्दर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा एक बार में केवल छः माह के लिए की जा सकती है। यदि इसे और समय के लिए जारी रखना है तो पुनः प्रस्ताव पारित कराना होगा। 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमण्डल के लिखित प्रस्ताव पर ही की जायेगी। मूल संविधान में 'आन्तरिक अशान्ति' शब्द का प्रयोग किया गया था लेकिन 44 वें संविधान संशोधन द्वारा इसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रख दिया गया।

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर नागरिकों के मौलिक अधिकार निलम्बित हो जाते है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 (1) में यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल में भी स्थगित नहीं होगा। आपातकाल में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल में संसद राज्यसूची के विषय पर कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत अब तक तीन बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। 1962 में चीन के आक्रमण एवं 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण एवं 1975 मे आन्तरिक अशान्ति के कारण।

2. राज्यों में संवैधानिक तन्त्र की विफलता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने या किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रपति को विश्वास हो जाये कि राज्य का शासन संविधान में दिए गए उपबन्धों के अनुसार नही चल रहा है तो राष्ट्रपति 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' की घोषणा करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से अथवा अपने द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करता है।

राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव 2 महीने के अन्दर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग–अलग साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा एक बार में केवल 6 माह के लिए की जाती है। यदि अधिक समय तक इसे लागू किया जाता है तो पुनः प्रस्ताव पारित कराना होगा। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि तीन वर्ष हो सकती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक समय तक तभी लागू किया जायेगा जब चुनाव आयोग यह लिखित परामर्श दे कि वहाँ राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति है जिसमें चुनाव कराना सम्भव नही है।

राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रपति राज्य कार्यपालिका शक्ति को स्वयं ले सकता है। सामान्यतया ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

राष्ट्रपति शासन पहली बार पेप्सू राज्य (पंजाब) में लागू किया गया था। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है।

अनुच्छेद 356 पर बोलते हुए संविधान सभा में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 'हम आशा करते हैं कि यह अनुच्छेद एक निर्जीव अनुच्छेद के रूप में बना रहेगा और कोई भी संघ सरकार विषम परिस्थितियों को छोड़कर इसका प्रयोग नही करेगी।' डॉ0 अम्बेडकर का यह विचार सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 356 का राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जितना दुरूपयोग हुआ उतना शायद किसी अनुच्छेद का नहीं हुआ।

3. वित्तीय आपातकाल

अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिससे भारत अथवा उसके राज्य के क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकेगा।

वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नागरिकों जैसे–उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल में राज्यों के धन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। भारत में वित्तीय संकट की उद्घोषणा अभी एक बार भी नहीं की गयी है।

क्रियाकलाप– प्रशिक्षु शिक्षक प्रारम्भ से वर्तमान तक हुए भारतीय राष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल का एक चार्ट बनाए।

संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया– संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। संसद में कानून बनाने के लिए एक विधेयक पेश करना पड़ता है। सामान्य रूप से विधेयक दो प्रकार के होते है–

1. साधारण विधेयक
2. धन विधेयक

साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया

साधारण विधेयक को सरकारी व गैर सरकारी साधारण विधेयक के रूप में बाँटा जा सकता है। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसे मंत्रिपरिषद् के सदस्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी सांसद सदन में पेश करता है। उल्लेखनीय है कि गैर सरकारी साधारण विधेयक पहले सदन के पटल पर न रख कर सचिवालय में पेश किये जाते है। यदि इनके पारित होने की संभावना होती है तभी इन्हें सदन में लाया जाता है

साधारण बहुमत, विशेष बहुमत

संसद में कुछ विधेयक साधारण बहुमत से कुछ विधेयक विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। साधार बहुमत के लिए आधे से अधिक सदस्यों का जबकि विशेष बहुमत के लिए दो–तिहाई सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

अन्यथा अध्यक्ष इसकी अनुमति नहीं देता है। साधारण विधेयक प्रायः मंत्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा ही पेश किए जाते है।

साधारण विधेयक किसी सांसद या मंत्रिपरिषद् के सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किये जा सकते है। पहले सदन में विधेयक तीन वाचनों से होकर गुजरता है। प्रथम वाचन में मंत्रिपरिषद् के सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से विधेयक को सदन के पटल पर रखता है तथा विधेयक के शीर्षक व उद्देश्यों को पढ़कर सदन को सुनाता है।

द्वितीय वाचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें विधेयक के प्रत्येक खण्ड एवं उपखण्डों पर सदन में व्यापक बहस होती हे। सामान्यतया विधेयक का बहुमत द्वारा समर्थन किये जाने पर उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। अब समिति अपने प्रतिवेदन के साथ विधेयक को सदन में प्रस्तुत करती है। विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार होता है और आवश्यकता अनुसार मतदान करा लिया जाता है। इस प्रकार विधेयक के पारित हो जाने के बाद विधेयक का द्वितीय वाचन समाप्त हो जाता है।

तृतीय वाचन में विधेयक के मूल सिद्धान्तों पर बहस और भाषण सम्बन्धी संशोधन किये जाते हैं। सम्पूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है। यदि विधेयक सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन का अध्यक्ष विधेयक को पारित हुआ प्रमाणित करके दूसरे सदन के विचारार्थ भेज देता है।

प्रथम सदन की भाँति दूसरे सदन में विधेयक तीन वाचन से होकर गुजरता है। यदि दूसरा सदन कुछ संशोधन प्रस्तुत करता है और पहला सदन उसे स्वीकार नही करता तो गतिरोध को दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। यदि संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जायेगा।

जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तब राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देता है अथवा अनुमति नही देता अथवा पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। जब राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो विधेयक विधि बन जाता है और जब अनुमति नही देता तो विधेयक नष्ट हो जाता है। इसे राष्ट्रपति की 'वीटो शक्ति' कहते है। यदि राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और विधेयक संशोधन सहित या रहित पुनः राष्ट्रपति के समक्ष आता है तब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है।

धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें करों से सम्बन्धी बातें होती हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले

Downloaded From www.dietmathura.org

लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के सम्बन्ध में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नही है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और यदि इससे अधिक समय तक रोकती है तो धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। राज्य सभा धन विधेयक में कुछ संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों सदनों द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है।

अभ्यास प्रश्न

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है–

(क) संसदात्मक (ख) लोकतंत्रात्मक

(ग) गणतंत्रात्मक (घ) उपरोक्त में सभी

2. निम्न में से कौन संसद का अंग नही है–

(क) राज्यसभा (ख) प्रधानमंत्री

(ग) लोकसभा (घ) राष्ट्रपति

3. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है–

(क) 6 वर्ष (ख) 5 वर्ष

(ग) 2 वर्ष (घ) 8 वर्ष

4. कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नही, कौन प्रमाणित करता है ?

(क) लोकसभा अध्यक्ष (ख) राज्यसभा का सभापति

(ग) प्रधानमंत्री (घ) वित्त मंत्री

5. भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख हैः–

(क) प्रधानमंत्री (ख) स्पीकर

(ग) सभापति (घ) राष्ट्रपति

6. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषण किस अनुच्छेद के अन्तर्गत की जाती है–

(क) अनुच्छेद 352 (ख) अनुच्छेद 356

(ग) अनुच्छेद 52 (घ) अनुच्छेद 108

7. भारतीय सेना का सर्वोच्च कमाण्डर होता हैः–

(क) प्रधानमंत्री (ख) राष्ट्रपति

(ग) वित्तमंत्री (घ) रक्षामंत्री

Downloaded From www.dietmathura.org

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ?
2. लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ?
3. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है।
4. राज्यसभा का सभापति कौन होता है ?
5. राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ?
6. राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है ?
7. राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ?
8. राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है ?
9. भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की आवश्यक योग्यताएँ कौन सी हैं ?
2. लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या हैं ?
3. राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ?
4. राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया समझाइए।
5. राष्ट्रपति के न्याय सम्बन्धी शक्तियों में से किन्हीं दो का उल्लेख की कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. लोकसभा का चुनाव कैसे होता है ? इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए।
2. राज्यसभा का गठन कैसे होता है ? इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
4. भारत के राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों का वर्णन कीजिए।
5. राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख कीजिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

कार्यपालिका

मंत्रिपरिषद्

भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक या नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार ''राष्ट्रपति को अपने कार्यों का सम्पादन करने में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।''

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- मंत्रिपरिषद्
- मंत्रिपरिषद् का गठन
- मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल
- मंत्रिपरिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ
- प्रधानमंत्री
- प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ
- संसद द्वारा मंत्रिपरिषद् पर नियन्त्रण

मंत्रिपरिषद् का गठन

मंत्रिपरिषद् का गठन निम्न प्रकार से होता है–

प्रधानमंत्री की नियुक्ति– संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाएगी। प्रधानमंत्री की यह नियुक्ति केवल औपचारिक मात्र ही है क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करना ही पड़ता है। यदि लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की क्षमता रखता है।

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और संख्या– संविधान के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। वह प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है।

मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की श्रेणियाँ– मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं – कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा सबसे ऊँचा होता है। उसके बाद राज्य मंत्री तथा सबसे निचले स्तर पर उपमंत्री होते हैं।

मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमण्डल में अन्तर

'मंत्रिपरिषद्' तथा 'मंत्रिमण्डल' ये दोनों शब्द अक्सर एक–दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं परन्तु इनमें एक निश्चित अन्तर है। मंत्रिमण्डल, मंत्रिपरिषद् का एक छोटा और महत्वपूर्ण निकाय होता हैं जिसके द्वारा देश के सभी महत्वपूर्ण फैसले लिये जाते है। मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए सभी निर्णय मंत्रिपरिषद् को मान्य होते है। मंत्रिमण्डल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते है।

Downloaded From www.dietmathura.org

मंत्रियो द्वारा शपथ ग्रहण– पदग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है।

मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल– संविधान के अनुसार मंत्री अपने पदों पर राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छानुसार किसी मंत्री या किन्हीं मंत्रियों को जब चाहे पद से हटाया जा सकता है। किन्तु यह उपबन्ध भी औपचारिकता मात्र है। वस्तुतः मंत्री अपने पदों पर उस समय तक बने रह सकते हैं, जब तक कि लोकसभा में उनका बहुमत है अर्थात् जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त है।

सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण साधारणतया सभी मंत्री एक ही साथ पदभार संभालते हैं तथा एक ही साथ पद त्याग भी करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। किन्तु यदि 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा भंग हो जाए अथवा लोकसभा मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट कर दे तो मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।

मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व– संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद् के किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो वह समस्त मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास समझा जाता है।

मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ और कार्य

संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि ''मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता और परामर्श देगा।'' किन्तु यह परम्परागत शब्दावली है और जहाँ तक व्यवहार का सम्बन्ध है, मंत्रिपरिषद् भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और इसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। सर जॉन मैरियट के अनुसार कैबिनेट वह धुरी है, जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है।

मंत्रिपरिषद् की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ और कार्य निम्न प्रकार हैं–

नीति निर्धारण– मंत्रिपरिषद् का सबसे पहला व महत्वपूर्ण कार्य शासन की आन्तरिक व विदेश नीति का निर्धारण करना है। मंत्रिपरिषद् द्वारा अपनाई गई नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है।

कानून निर्माण पर नियन्त्रण– संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिपरिषद् का कार्यक्षेत्र नीति निर्धारण तक सीमित नहीं है वरन् इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियन्त्रण– सैद्धान्तिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद् में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिपरिषद् ही आन्तरिक प्रशासन का संचालन करता है और देश की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर नियन्त्रण रखता है।

मंत्रिपरिषद् का समन्वयकारी कार्य– विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद् विभिन्न विभागों को अधिकाधिक पारस्परिक सहयोग के लिए प्रेरित करता है। इसी उद्देश्य से मंत्रिपरिषद् समितियों की स्थापना की जाती है।

वित्तीय कार्य– देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद् का होता है। बजट मंत्रिपरिषद् द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है।

वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन– भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी घोषणाएं की जाती हैं तथा दूसरे देशों के साथ संधि सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं।

नियुक्ति सम्बन्धी कार्य– संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद् के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिपरिषद् के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।

अन्य कार्य

- अपराधियों को क्षमा प्रदान के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना।
- भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियाँ आदि प्रदान करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना।

प्रधानमंत्री

भारत की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में उपबन्धित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन व्यवहार में सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की शक्ति नगण्य है। संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। वह लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

कभी–कभी जब लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति सबसे अधिक सदस्यों वाले दल को आमंत्रित करता है।

प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ

संसदात्मक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ही संविधान भवन रूपी वृत्त खण्ड की मुख्य शिला होता है। रैम्जेम्योर लिखते हैं कि ''उसको इतनी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं जो विश्व के किसी भी संवैधानिक प्रधान को प्राप्त नहीं है यहाँ तक कि अमरीका के राष्ट्रपति को भी नहीं है।''

प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है–

मंत्रिपरिषद् का निर्माण– अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद् का निर्माण करना होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद् में कितने और कौन–कौन मंत्री हों?

मंत्रियों में विभागों का बँटवारा और परिवर्तन– मंत्रियों में विभागों का बँटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती है। एक बार विभाग वितरण कर लेने के बाद भी प्रधानमंत्री पदों में जिस प्रकार चाहे और जब चाहे परिवर्तन कर सकता है। उसका यह अधिकार और कर्त्तव्य है कि वह किसी ऐसे मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह दे, जिसकी उपस्थिति से मंत्रिपरिषद् की ईमानदारी, कार्यकुशलता या शासन की नीति पर आघात पहुँचता हो। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के पालन हेतु प्रधानमंत्री को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद् में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होता है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र को सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र समझा जाता है।

मंत्रिपरिषद् का कार्य संचालन– प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् की बैठकों का सभापतित्व और मंत्रिपरिषद् की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है।

शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय– प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके।

लोकसभा का नेता– प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतया लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य में नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। दलीय सचेतक द्वारा वह दल के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देता है और लोकसभा में व्यवस्था रखने में अध्यक्ष की सहायता करता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद् के बीच सम्बन्ध स्थापितकर्ता– सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। वही राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् के निश्चयों से परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिपरिषद् तक पहुँचाता है। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच जो विचार–विमर्श होता है, उसे पूर्णतया गुप्त ही रखा जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद् के बीच कड़ी का कार्य भी करता है।

विभिन्न पद प्रदान करना– संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं वरन् प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है।

उपाधियाँ प्रदान करना– राष्ट्रीय सेवा के उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्य विभूषण, पद्य भूषण और पद्यश्री, आदि उपाधियाँ और सम्मान की जो व्यवस्था की गई है, व्यवहार में वे उपाधियाँ प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व– अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथ में न हो, फिर भी अन्तिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। वह महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार–विमर्श में भाग लेता है।

देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक–प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक होता है। सिद्धान्त रूप में न सही, लेकिन व्यवहार में देश का समस्त शासन उसी की इच्छानुसार संचालित होता है। मंत्रिपरिषद् में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है। देश की जनता हो या संसद, राज्य सरकारें हों या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर देखता है।

संसद द्वारा मंत्रिपरिषद् पर नियन्त्रण

संसद के द्वारा मंत्रिपरिषद् पर निम्नलिखित साधनों से नियन्त्रण रखा जाता है–

प्रश्नोत्तर– संसद को अधिकार है कि वह संसद के अधिवेशनों में मंत्रिपरिषद् के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछें। इन प्रश्नों के आधार पर संसद सदस्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों की त्रुटियों में परिचित हो जाते हैं और उनके द्वारा निन्दा व आलोचना के आधार पर सरकार को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया जाता है।

कामरोको प्रस्ताव– यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई गम्भीर घटना घटित हो गई है तो प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह अपने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखे कि पहले से चले आ रहे सभी विषयों पर विचार स्थगित कर इस गम्भीर घटना पर विचार करें। इसे ही कामरोको प्रस्ताव कहते हैं और यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् पर नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन होता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

विधेयक या नीति की अस्वीकृति– संसद को यह अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद् के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि यह अस्वीकृति लोकसभा की ओर से होती है तो मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना होता है।

बजट या कटौती– मंत्रिपरिषद् संसद की स्वीकृति के बिना आय–व्यय से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं कर सकता है। लोकसभा का बजट पर पूर्ण नियन्त्रण होता है और लोकसभा द्वारा बजट में कटौती का आशय अविश्वास का प्रस्ताव होता है।

प्रशासनिक जाँच– संसद मंत्रिपरिषद् के कार्यों की जाँच–पड़ताल के लिए एक जाँच समिति स्थापित कर सकती है। यह सरकार के हिसाब–किताब की जाँच के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकती है और बाद में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार कर सकती है।

अविश्वास प्रस्ताव– यदि संसद मंत्रिपरिषद् के कार्य करने के ढंग से असन्तुष्ट हो तो लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद् को पदच्युत किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न

बहु विकल्पीय प्रश्न

1. भारत में वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित है–

(क) राष्ट्रपति (ख) मंत्रिपरिषद्

(ग) उपराष्ट्रपति (घ) सर्वोच्च न्यायालय

2. भारत में मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है–

(क) लोकसभा के प्रति (ख) राज्यसभा के प्रति

(ग) संसद के प्रति (घ) इनमें से कोई नहीं

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

3. भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ?

4. सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

5. प्रधानमंत्री के चार प्रमुख कार्य लिखिए।

6. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के चार प्रमुख कार्य लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

7. भारतीय मंत्रिपरिषद् की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।

8 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकारों और कार्यों की विवेचना कीजिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय

प्रत्येक देश के अच्छे संविधान का मापदण्ड उसकी न्यायपालिका होती है। वस्तुतः जिस देश में न्यायपालिका सशक्त नहीं होगी, उस देश का शासन तंत्र सुदृढ़ नहीं होगा। न्यायपालिका के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु
- सर्वोच्च न्यायालय
- सर्वोच्च न्यायालय का संगठन
- सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन

न्यायाधीशों की संख्या

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 (एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश) हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है, जिनसे वह इस सम्बन्ध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है।

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 के निर्वचन पर आधारित 'कॉलेजियम' व्यवस्था की जगह अब 'न्यायिक नियुक्ति आयोग' का गठन किया जा रहा है। इस आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।

या

- किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

या

- राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो।

Downloaded From www.dietmathura.org
www.dietmathura.org

कार्यकाल तथा महाभियोग– साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग–अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं तो भारत में राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा।

वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं– संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90 हजार रु0 प्रतिमाह वेतन प्राप्त होगा। इसके साथ उन्हें नियमानुसार मंहगाई भत्ता भी प्राप्त होगा। यह वेतन भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं।

न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ– न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों या आचरण को लेकर संसद में किसी प्रकार की बहस नहीं की जा सकती है। ऐसा करने पर उनके विरुद्ध न्यायालय को मानहानि का मुकदमा चलाने का अधिकार है।

न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध– संविधान में यह निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायलय में न्यायाधीश रह चुके हैं वे पद से निवृत्ति के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ

भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है जिसका अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है–

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है, जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, इसके अन्तर्गत निम्नांकित विषय आते हैं–

1. भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद
2. भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद
3. दो या दो अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई विवाद

संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार– सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के साथ–साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है और यह भारत का अन्तिम अपीलीय न्यायालय है। उसे समस्त

Downloaded From www.dietmathura.org

राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है– संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी।

संवैधानिक– संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

दीवानी– उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी, जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से सम्बन्धित सारपूर्ण प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं।

फौजदारी– फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें –

उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदण्ड दे दिया हो, जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया हो या उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदण्ड दे दिया हो या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है।

पुनर्विचार सम्बन्धी अधिकार– संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।

परामर्श सम्बन्धी अधिकार– अनुच्छेद 143 में यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श माँग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा।

अभिलेख न्यायालय– अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं, प्रथम इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। द्वितीय इस न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अवमान के लिए किसी भी प्रकार का दण्ड दिया सकता है।

मूल अधिकारों का रक्षक– भारत का सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है। न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

संविधान का संरक्षकः– सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को 'न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति' कहा जाता है।

न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन– सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक क्षेत्र के प्रशासन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है।

अभ्यास प्रश्न

बहु विकल्पीय प्रश्न

1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है–

(क) हैदराबाद (ख) मुम्बई

(ग) नई दिल्ली (घ) चेन्नई

2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है –

(क) 58 वर्ष (ख) 60 वर्ष

(ग) 62 वर्ष (घ) 65 वर्ष

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

3. मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन–कौन से लेख जारी करता है, उनके नाम बताइए।

4. भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

5. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन–कौन सी योग्यताएँ आवश्यक हैं ?

6. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

7. सर्वोच्च न्यायालय की रचना का वर्णन कीजिए।

8. सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

उच्च न्यायालय

भारत में इकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत उच्चतम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे के स्तर पर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा जनपद स्तर पर जिला न्यायालय स्थित है।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- उच्च न्यायालय
- उच्च न्यायालय का संगठन
- उच्च न्यायालय की शक्तियाँ
- जनपद स्तरीय न्यायालय
- लोक अदालत
- जनहित वाद

उच्च न्यायालय राज्य का प्रमुख न्यायालय होता है। संविधान के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय क्षेत्रों तक विस्तृत हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय का मुख्य केन्द्र इलाहाबाद है।

उच्च न्यायालय का संगठन

न्यायाधीशों की नियुक्ति– प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते है, जिनकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है।

अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति– यदि किसी उच्च न्यायालय में कुछ समय के लिए कार्य बढ़ जाए, तो राष्ट्रपति एक या अधिक न्यायाधीश पद की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

न्यायाधीशों की योग्यताएं – उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का पद प्राप्त करने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक हैं–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह कम से कम दस वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय सम्बन्धी पद पर कार्य कर चुका हो अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते– संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। ये वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के लिए 90 हजार रु0 प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीश के लिए 80 हजार रु0 प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल– उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है पर इससे पूर्व वह स्वयं पद त्याग कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किसी न्यायाधीश को अयोग्य या दुराचारी प्रमाणित करे और प्रस्ताव राष्ट्रपति के सम्मुख रखे तो राष्ट्रपति के आदेश से उसे अपना पद त्याग देना होगा।

Downloaded From www.dietmathura.org

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण– राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण कर सकता है।

न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध– संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई स्थाई न्यायाधीश पद निवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। वह अन्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत अवश्य ही कर सकता है।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ तथा अधिकार क्षेत्र

भारतीय संघ के प्रत्येक उच्च न्यायालय को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं 1. न्याय सम्बन्धी और 2. प्रशासन सम्बन्धी। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय 'अभिलेख न्यायालय' के रूप में भी कार्य करता है। उच्च न्यायालय के न्याय सम्बन्धी क्षेत्र को और आगे दो भागों में बाँटा जा सकता है– प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र तथा अपीलीय अधिकार क्षेत्र।

प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र– मूल अधिकारों के रक्षण से सम्बन्धित विवाद प्रारम्भ में ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं क्योंकि उनकी सुनवाई का अधिकार राज्य के अन्य किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अपीलीय अधिकार क्षेत्र– उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनता है जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकार के अभियोग सम्मिलित हैं।

लेख जारी करने का अधिकार– मूल संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को लागू करने तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लेख, आदेश तथा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति– न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का आशय संवैधानिक कानून अर्थात संविधान में संशोधन, केन्द्रीय कानून या राज्य के कानून की संविधान के आधार पर जाँच और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित करना। संविधान के द्वारा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की यह शक्ति प्रदान की गई है।

उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में– उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है जिसका तात्पर्य यह कि इसकी कार्यवाही तथा निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं और साक्षी के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों में मान्य होते हैं। इसके अतिरिक्त इसे अपमान के लिए दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है।

प्रशासनिक शक्तियाँ–

- उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर निगरानी रखते हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

- यदि अधीन न्यायालय में कोई ऐसा अभियोग चल रहा है जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे को अपने पास मँगा सकता है।
- उच्च न्यायालय मुदकमे को एक अधीन न्यायालय से दूसरे अधीन न्यायालय में भेज सकता है।
- उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है इत्यादि।

जनपद स्तरीय न्यायालय

जनपदीय न्याय प्रणाली

जनपदीय न्याय प्रणाली के अन्तर्गत जनपद के दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी सभी न्यायालय और न्यायाधीश आते हैं। इन पर राज्य के उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियन्त्रण होता है। प्रत्येक जनपद में तीन प्रकार के न्यायालय होते हैंः–

दीवानी न्यायालय– इस न्यायालय में सम्पादित सम्बन्धी या धन सम्बन्धी अन्य मुदकमे सुने जाते हैं। जिले में इस प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था निम्न प्रकार है–

जिला जज– जिला जज को किसी भी मूल्य तक के विवादों की प्रारम्भिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। जिला जज के न्यायालयों को पाँच लाख रु0 मूल्य तक के विवादों की अपीलें तथा एक लाख रु0 तक के रिवीजन की सुनवाई का अधिकार है।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) – जिला जज के न्यायालय के नीचे सिविल जज का न्यायालय होता है। सिविल जज को भी एक लाख रु0 तक के दीवानी विवादों की अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। जो उच्च न्यायालय के विवेकानुसार अधिकतम पाँच लाख रु0 तक किया जा सकता है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)– पहले जिसे मुंसिफ न्यायालय के नाम से जाना जाता था, अब उसे सिविल जज का नाम दिया गया है। इसे एक लाख रु0 मूल्य तक के दीवानी विवादों की सुनवाई प्राप्त है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवेकानुसार पाँच लाख रु0 तक किया जा सकता है।

लघुवाद न्यायालय– ये न्यायालय भी दीवानी विवादों का निस्तारण करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े जिलों में लघुवाद न्यायालय होते हैं। ये न्यायालय पाँच हजार रु0 तक के उन लघु वादों की सुनवाई करते हैं जिनमें धन वसूली की माँग की गई हो। इसके अतिरिक्त लघुवाद न्यायालय किराया वसूली व मकान–दुकानों से किराएदार की बेदखली 25 हजार रु0 मूल्य तक के वादों की सुनवाई कर सकते हैं।

न्याय पंचायत– ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर न्याय पंचायतें होती हैं। इसमें 500 रु0 तक के मुकदमे सुनने का अधिकार होता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

फौजदारी न्यायालय

सत्र न्यायालयः–सेशन जज का न्यायालय जिले में फौजदारी का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। इसको जिला जज एवं सेशन जज दोनों ही नामों से सम्बोधित किया जाता है। जब वह दीवानी मुदकमों की सुनवाई करता है तो 'जिला जज' कहलाता है और जब वह फौजदारी मुदकमों की सुनवाई करता हे तो 'सेशन जज' कहलाता है। सत्र न्यायाधीश के अधीन निम्न प्रकार के न्यायालय होते हैं–

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (CJM)–यह सेशन जज के अधीन प्रथम श्रेणी का दण्डाधिकारी होता है।

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (न्यायिक मजिस्ट्रेट)– यह मुख्य दण्डाधिकारी के अधीन प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है।

न्याय पंचायत– न्याय पंचायतें भी फौजदारी विवादों की सुनवाई करती है। ये 250 रु0 तक जुर्माना कर सकती हैं।

राजस्व न्यायालय– राजस्व न्यायालय लगान या राज्य के राजस्व से सम्बन्धित और सिंचाई तथा बंदोबस्त के विवादों की सुनवाई करते हैं। इनकी श्रंखला है–

1. राजस्व मण्डल	– आयुक्तों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना।
2. आयुक्त (कमिश्नर)	– जिलाधीशों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना।
3. जिलाधीश	– तहसीलदार के फैसले पर पुनर्विचार करना।
4. सब–डिवीजनल ऑफीसर	– सब–डिवीजन में राजस्व के मामलों की सुनवाई करना।
5. तहसीलदार या नायब तहसीलदार	– मालगुजारी वसूल करना।

लोक अदालत

वर्तमान समय में स्थिति यह है कि इन न्यायालयों (दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालयों) से न्याय पाने में बहुत अधिक समय लगता है और यह ठीक ही कहा गया है कि 'विलम्ब से न्याय मिलना न्याय न मिलना है' (Justice delayed is Justice denied)। आज भारत के सभी न्यायालयों में लगभग ढाई करोड़ मुदकमे विचाराधीन हैं। न्याय पाने की प्रक्रिया में अधिक धन भी व्यय होता है और अन्य अनेक परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से 1980 को एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार ने तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश पी0एन0भगवती की अध्यक्षता में 'कानूनी सहायता योजना कार्यान्वयन समिति' की नियुक्ति की जिसने लोक अदालतें स्थापित करने तथा निःशुल्क विधिक सहायता देने की सिफारिश की।

इन अदालतों में मुकदमों का निपटारा आपसी समझौतों के आधार पर किया जाता है और समझौता ***'कोर्ट फाइल'*** में दर्ज कर लिया जाता है। इनमें वादी और प्रतिवादी वकील नहीं कर सकते। इनमें वैवाहिक, पारिवारिक व सामाजिक झगड़ों, किराया बेदखली, वाहनों का चालान तथा बीमा आदि के सामान्य मुकदमों में दोनों पक्षों को समझाकर समझौता करा दिया जाता है। देश में लोक अदालतों का परीक्षण अत्यन्त सफल रहा है।

Downloaded From www.dietmathura.org

जनहित वाद

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है, जिसको उसके कानून या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष 'वाद' (मुकदमा) ला सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने गरीब और असहाय लोगों की ओर से जनहित में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का अधिकार दे दिया है। इन अभियोगों की शुरूआत करने में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी0एन0 भगवती का विशेष योगदान रहा। जनहित याचिकाओं की विशेष बात यह है कि इन मुकद्मों में न्यायालय पीड़ित पक्ष के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी करता है।

अभ्यास प्रश्न

बहु विकल्पीय प्रश्न

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है–

(क) 60 वर्ष (ख) 62 वर्ष

(ग) 65 वर्ष (घ) 70 वर्ष

2. उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है–

(क) इलाहाबाद (ख) लखनऊ

(ग) मेरठ (घ) कानपुर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

3. अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य है ?

4. लोक अदालत के दो महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख करें।

5. जनहित याचिका का महत्व बताइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

6. उच्च न्यायालय का संगठन (रचना) किस प्रकार होता है ?

7. लोक अदालत के गठन एवं महत्व की विवेचना कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

8. उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

9. जनपद की न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जिला स्तर पर कार्यरत तीनों प्रकार के न्यायालयों का वर्णन कीजिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

भारतीय वित्त व्यवस्था व बजट

किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ की वित्त व्यवस्था पर आधारित होता है। किसी भी देश का सुदृढ़ विकास तभी होगा जब वहाँ की आर्थिक व्यवस्था मतबूत होगी। अर्थशास्त्र में जिस भाग में सरकार की आय तथा व्यय सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे ***'राजस्व'*** या ***'सार्वजनिक वित्त'*** कहते हैं।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु
- भारतीय वित्त व्यवस्था
- बजट, कर व उसके प्रकार
- केन्द्र व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा
- केन्द्र सरकार की आय–व्यय के स्रोत
- राज्य सरकार की आय–व्यय की मदे
- सरकार द्वारा शिक्षा के दृष्टिकोण से बजट 2014–15 में रखे गये बिन्दु

समय के साथ–साथ प्रत्येक देश की सरकार द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। परिणामतः सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र भी बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। अब इसके अन्तर्गत राज्य की केवल आय और व्यय का ही अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि विशेष आर्थिक उद्देश्यों जैसे–पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, कीमत स्थिरता, आय व धन का समान वितरण आदि से सम्बन्धित सरकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है।

बजट

किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के ब्यौरे को 'बजट' कहते है लेकिन इस शब्द का उपयोग निजी कम्पनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के लिए भी किया जा सकता है। 'बजट' फ्रांसीसी शब्द 'बुगे' से बना है जिसका अर्थ चमड़े का बैग होता है। ब्रिटेन में 18वीं सदी के मध्य में इस तरह के बैग से सरकारी आय तथा व्यय के ब्यौरों को निकाल कर संसद में प्रस्तुत किया जाता था। वर्तमान में इस शब्द को सरकार की वार्षिक आय और व्यय के ब्यौरों के वक्तव्य के लिए करते हैं। भारत में इस ब्यौरे का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है जिसे केन्द्रीय बजट कहते हैं। इसी तरह का प्रावधान राज्यों के लिए भी है।

बजट के आँकड़े– केन्द्रीय बजट में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र अथवा उप–क्षेत्र के लिए आँकड़ों का तीन सेट/समूह होता हैः–

1. पिछले वर्ष के वास्तविक आँकड़े
2. चालू वित्त वर्ष के अनन्तिम/ अस्थायी आँकड़े
3. अगले वर्ष के बजट का अनुमान/आँकलन

सरकार के आर्थिक साहित्य में कई और आँकड़े देखने को मिलते हैं, जैसेः–

Downloaded From www.dietmathura.org

1. संशोधित अनुमान– संशोधित आकलन मूलतः बजट के आकलन अथवा अस्थायी आंकड़ों का वर्तमान आकलन होता है। यह वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है ये अंतरिम आँकड़े हैं।

2. द्रुत अनुमान– द्रुत अनुमान एक तरह का संशोधित आकलन है जो अधिक नवीनतम स्थिति को दर्शाता है तथा कुछ क्षेत्रों एवं उप क्षेत्रों के भविष्य के अनुमानों को दिखाने में उपयोगी है। ये अंतरिम आँकड़े हैं।

3. अग्रिम अनुमान– अग्रिम आकलन एक तरह का तात्कालिक आकलन है, जो अंतरिम चरण (जब आँकडों को एकत्र किया जाता है) से पहले किया जाता है ये अंतरिम आँकड़े हैं।

विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक व्यय

सरकार द्वारा उठाए गए खर्च को दो भागों में बाँटा जाता है विकासात्मक तथा गैर–विकासात्मक। वे सभी व्यय जो प्रकृति से उत्पादनकारी होते हैं, विकासात्मक व्यय कहलाते हैं। जैसे कारखाने, बाँध, पुल, सड़क, रेलवे इत्यादि पर किया गया खर्च यानि सभी निवेश।

सरकारी खर्च जो प्रकृति से उपभोगात्मक होते हैं तथा जिसमें किसी प्रकार का उत्पादन शामिल नहीं होता गैर–विकासात्मक व्यय कहलाता है जैसे–वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगी, छूट, रक्षा इत्यादि पर किया गया खर्च। इस वर्गीकरण को अब भारतीय लोक वित्त प्रबन्धन में नहीं उपयोग किया जाता है।

योजनागत तथा गैर–योजनागत व्यय

सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय ***'योजनागत व्यय'*** कहलाता है। सामान्यतः सरकारें कल्याणकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की योजनाएँ क्रियान्वित करती हैं, जैसे– शिक्षा सम्बन्धी योजना, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सफाई, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, बुनियादी संरचना का विकास इत्यादि। इन योजनाओं पर किया जाने वाला सरकारी व्यय योजनागत व्यय कहलाता है। योजनागत व्यय उत्पादक प्रकृति के होते हैं अतः इन व्ययों के तेजी से बढ़ने की स्थिति में अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षमता में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। वित्त वर्ष 1987–88 से भारतीय लोक वित्त के साहित्य में परिवर्तन लाया गया जब विकासात्मक व्यय को योजनागत तथा गैर–योजनागत व्यय कहा जाने लगा।

राजस्व– किसी कम्पनी अथवा सरकार द्वारा पैसों का उपार्जन (आय के रूप में) जिसके कारण सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ता हो (जैसे– कर से प्राप्त आय, गैर–कर आय तथा विदेशी अनुदान) को राजस्व माना जाता है।

गैर–राजस्व– किसी कम्पनी अथवा सरकार के द्वारा वैसे धन की प्राप्ति जिसे आय अथवा उपार्जन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, गैर राजस्व स्रोत कहलाता है जैसे– ऋण के द्वारा धन की प्राप्ति।

Downloaded From www.dietmathura.org

प्राप्तियाँ– कर राजस्व और अन्य राजस्व को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल धनराशि को सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ कहते है। सरकार के राजस्व की प्राप्ति को दो भागों में बाँटा जा सकता है– कर राजस्व प्राप्ति तथा गैर–कर राजस्व प्राप्ति।

कर राजस्व प्राप्तियाँ– विभिन्न करों (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) को लागू कर सरकार द्वारा किया गया पैसों का उपार्जन, कर राजस्व प्राप्ति कहलाता है।

गैर–कर राजस्व प्राप्तियाँ– सरकार द्वारा कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपार्जित पैसों को गैर–कर राजस्व प्राप्ति कहते हैं। भारत में इस किस्म की प्राप्ति में निम्नलिखित शामिल हैं–

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश।
2. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्त ब्याज।
3. वित्तीय सेवाओं से भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है जैसे–मुद्रा को छापने, डाक–टिकट को छापने, इत्यादि।
4. सामान्य सेवाओं से भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है जैसे–विद्युत वितरण, सिंचाई, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक सेवाएं इत्यादि।
5. फीस तथा जुर्माना से सरकार को हुई आय की प्राप्ति।
6. सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान–केन्द्र सरकार के संदर्भ में यह हमेशा बाह्य होता है तथा राज्य सरकार के संदर्भ में यह हमेशा आंतरिक होता है।

राजस्व व्यय

सरकार द्वारा किए गए सभी व्यय जो राजस्व किस्म अथवा बाध्यताकारी किस्म के हों, राजस्व व्यय कहलाते हैं। इस प्रकार के व्यय की मूल पहचान यह है कि वे उपभोगात्मक होते हैं तथा उनमें उत्पादक परिसम्पत्ति सृजन करना शामिल नहीं है। इसका उपयोग सरकार को चलाने अथवा एक उत्पादक प्रक्रिया को चालू रखने के लिए किया जाता है। भारत में इस प्रकार के व्यय में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है–

1. आंतरिक तथा बाह्य कर्ज पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज।
2. सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन तथा पेंशन।
3. सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट/रियायत।
4. सरकार द्वारा उठाया गया रक्षा खर्च।
5. सरकार का डाक घाटा।
6. विधि व्यवस्था पर किया जाने वाला व्यय (पुलिस तथा अर्द्ध–सैन्य बल)
7. सामाजिक सेवाओं तथा आम सेवा प्रदान किए जाने पर किया गया खर्च।
8. सरकार द्वारा भारतीय राज्यों तथा अन्य देशों को दिया जाने वाला अनुदान।

Downloaded From www.dietmathura.org

राजस्व घाटा

सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व व्यय अनिवार्य है तथा तात्कालिक होता है। ऐसे व्यय उपभोगात्मक तथा अनुत्पादक होते हैं। इस घाटे को कम करने के लिए खर्च किए जाने वाले पैसे का उपयोग किसी भी विकासात्मक कार्य के लिए किया जा सकता है।

सरकारी बजट के राजस्व खाते की यदि कुल आय कुल व्यय से अधिक हो तो यह आधिक्य राजस्व अधिशेष कहलाता है। इस तरह की वित्तीय नीति को बेहतर माना जाता है क्योंकि राजस्व अधिशेष के पैसों का उपयोग उत्पादक क्षेत्रों में किया जा सकता है।

किसी भी वित्त वर्ष के राजस्व धाटे को मात्रात्मक रूप अथवा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आकलन के लिए इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।

प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा (ERD) एक नयी अवधारणा है जिसे संघीय बजट 2011–12 द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया। परम्परागत रूप से राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच का ऋणात्मक अंतर है। ज्ञात हो कि इस घाटे में केन्द्र सरकार के वे व्यय भी शामिल होते हैं जो वह राज्य सरकारों को ***'अनुदान'*** के रूप में देता है और इनसे कई विकासशील परिसम्पत्तियों का सृजन होता है। हालांकि इन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व केन्द्र के बजाय राज्यों का होता है।

संघीय बजट 2013–14 में भारत सरकार कहती है कि वर्ष 2016–17 तक केन्द्र का राजस्व घाटा 1.5% तथा प्रभावी राजस्व घाटा शून्य प्रतिशत होगा। अर्थात् इस वर्ष के G D P का 1.5% केन्द्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए दिया जाएगा।

राजस्व बजट– बजट का वह भाग जिसका सम्बन्ध राजस्व के व्यय तथा आय से हो। इस बजट में कुल राजस्व व्यय का वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। यह अतिरेक या घाटे दोनों ही तरह का हो सकता है।

पूँजी बजट– यह बजट का वह भाग है जिसका सम्बन्ध पूँजी की प्राप्ति तथा व्यय से है। यह उन साधनों को दर्शाता है जिसके द्वारा पूँजी का प्रबन्धन किया जाता है तथा उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ पूँजी का व्यय होता है।

पूँजी प्राप्तियाँ– किसी भी सरकार की सभी गैर–राजस्व प्राप्तियों को पूँजी प्राप्ति कहा जाता है। इस प्रकार की पूँजी का उद्देश्य निवेश करना होता है तथा सरकार इसका उपयोग योजना विकास के लिए करती है। भारत में पूँजी प्राप्ति में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है–

Downloaded From www.dietmathura.org

1. ऋण की वसूली– यह पूँजी प्राप्ति का एक स्रोत है। इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा दिए गए ऋण (भारत में तथा विदेश में) की अदायगी से पूँजी प्राप्ति होती है तथा सरकार को इन ऋणों पर ब्याज भी प्राप्त होता है, जिन्हें राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है।

2. सरकार द्वारा लिया गया कर्ज– सरकार द्वारा लिए गए कर्ज से पूँजी की प्राप्ति होती है। इसमें दोनों किस्म के कर्ज शामिल हैं– आंतरिक कर्ज तथा बाह्य कर्ज। आंतरिक कर्ज में सरकार द्वारा भारतीय रिर्जव बैंक, अन्य भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से लिया गया कर्ज शामिल होता है। इसी तरह बाह्य कर्ज में सरकार द्वारा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विदेशी बैंक, दूसरे देश की सरकारों, विदेशी वित्तीय संस्थानों इत्यादि से लिया गया ऋण शामिल होता है।

3. सरकार की अन्य प्राप्तियाँ– इसमें लम्बी अवधि के पूँजी निवेश शामिल होते हैं, जो सरकार को भविष्य निधि, लघु बचत योजना, इन्दिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र इत्यादि से प्राप्त होते हैं।

पूँज़ी व्यय

भारत में इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

1. सरकार द्वारा वितरित ऋण– इसमें सरकार द्वारा दिए गए आंतरिक ऋण (राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों इत्यादि को) तथा बाह्य ऋण (अन्य देशों, विदेशी बैंकों इत्यादि) शामिल है।

2. सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए ऋण की अदायगी– इसमें सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक तथा बाह्य ऋणों की अदायगी शामिल है। इन ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज राजस्व व्यय के अन्तर्गत आता है।

3. सरकार का योजनागत व्यय– इसके अन्तर्गत वे सभी व्यय आते हैं जिनका उपयोग केन्द्र सरकार योजनागत विकास को समर्थन देने के लिए करती है।

4. सरकार द्वारा रक्षा पर किया जाने वाला पूँजी व्यय– इसमें वे सभी पूँजी खर्च शामिल हैं जो सरकार सेना के लिए करती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रक्षा व्यय एक गैर–योजनागत व्यय है जिसमें पूँजी तथा राजस्व व्यय शामिल होते हैं।

5. सामान्य सेवाओं के लिए– सामान्य सेवा जैसे– रेलवे, डाक विभाग, जलापूर्ति, शिक्षा, ग्रामीण विकास इत्यादि के लिए भी पूँजी व्यय की आवश्यकता होती है।

6. सरकार की अन्य अभिदेयताएँ– सरकार की अन्य अभिदेयताएं जैसे–पेंशन का भुगतान, लघु बचत योजनाओं की अदायगी तथा भविष्य निधि के भुगतान के लिए भी पूँजी व्यय की आवश्यकता होती है।

Downloaded From www.dietmathura.org

बजट के प्रकार

संतुलित बजट– जिस बजट की सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय (राजस्व प्राप्तियाँ) के बराबर होती है तो वह संतुलित बजट कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर किसी बजट का राजस्व शून्य हो तो वह संतुलित बजट है। दूसरी भाषा में अगर किसी बजट का राजस्व शून्य हो तो वह संतुलित बजट है। इस तरह की बजट प्रक्रिया को लोकप्रिय रूप से ***'बैलेंस बजटिंग'*** कहते हैं।

जेंडर बजटिंग– सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधन एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है, लिंग आधारित बजटीय प्रक्रिया है। ऐसी बजटीय प्रक्रिया उन देशों में उपयोग में लायी जाती है जहां सामाजिक आर्थिक असमानता में लिंग के आधार पर विभेद दिखता हो तथा वह चिरकालिक भी हो जैसे–भारत में इस तरह की बजटीय प्रक्रिया आम बजट 2006–07 से प्रारम्भ की गयी।

'आउटकम' एवं 'परफॉर्मेन्स' बजट– ये दोनों ही अवधारणाएं 'परिणाम– लक्षित' बजटीय प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं। दोनों ही बजटीय प्रक्रियाओं में निष्पादन में 'मात्रात्मक' तथा गुणात्मक प्रगति प्रपत्र तैयार किए जाते हैं। जहां परिणाम बजट एक 'व्यष्टि–स्तर'(Micro level) प्रक्रिया है वही निष्पादन बजट एक समष्टि स्तर (Macro level) प्रक्रिया है। किसी एक निष्पादन बजट में कई परिणाम बजट होते हैं।

इस प्रकार की बजटीय प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है ताकि सरकार राजकोषीय नीति के मामले में जनता तथा सदन के प्रति अधिक जवाबदेह हो सके।

शून्य आधारित बजट– शून्य आधारित बजट प्रक्रिया वास्तव में संसाधनों के आवंटन का एक तरीका है, जिसके अन्तर्गत एजेंसियों को उनके द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों को चलाते रहने का समय–समय पर तर्क प्रस्तुत करना पड़ता है– इसके अन्तर्गत निष्पादन की समीक्षा शून्य (Zero) से की जाती है।

कर

आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार कर आय को वितरित करने का एक तरीका माना जाता है। कर को दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। आम आदमी कर को सरकार की व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका समझता है।

करापात– वह बिन्दु जहां कर लगता हुआ दिखता है ***'करापात'*** कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आज किसी वस्तु पर 'वैट' में वृद्धि की जाती है तो इसका 'अपात (incidence) दुकानदारों पर होता है। अर्थात् यहां करापात का बिन्दु व्यापारी है।

कराघात– किसी कर के लगाये जाने के उपरान्त इसका भुगतान वास्तव में जिसके द्वारा किया जाता है उस बिन्दु पर 'कराघात' हुआ माना जाता है।

Downloaded From **www.dietmathura.org**

प्रत्यक्ष कर– वैसा कर, जिसमें करापात और कराधात दोनों एक ही बिन्दु पर हों, उसे 'प्रत्यक्ष' कर कहते हैं। उदाहरण के लिए आयकर, ब्याजकर आदि।

अप्रत्यक्ष कर– वैसे कर जिनका 'करापात' और 'कराघात' दो अलग–अलग बिन्दुओं जगहों पर होता है, उन्हें 'अप्रत्यक्षकर' कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 'केन्द्रीय वैट' का करापात होता तो है व्यापारियों पर लेकिन कराघात आम जनता (उपभोक्ता) पर होता है।

करारोपण की विधियाँ

1. प्रगामी कराधान (progressive taxation) इस विधि में कर की दर मूल्य या आयतन/मात्रा बढ़ने के साथ–साथ बढ़ती जाती है। भारत में आय कर की वसूली इसी विधि द्वारा की जाती है जिसमें अपेक्षाकृत कम आय पर इसकी दर कम और अधिक आय पर इसकी दर अधिक है।

2. प्रतिगामी कराधान– यह विधि प्रगामी कराधान के ठीक विपरीत है जिसमें कर की दर मूल्य या आयतन/मात्रा में वृद्वि के साथ–साथ घटती जाती है। इस प्रकार के करारोपण के लिए कोई क्षेत्र विशेष हमेशा के लिए नहीं चुना जाता है। लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई क्षेत्रों में सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली इस विधि द्वारा की जाती रही है।

3. समानुपाती कराधान– यह विधि न तो प्रगामी होती है न ही प्रतिगामी। प्रत्येक स्तर की आय एवं उत्पादन के लिए इस विधि में कर की दर समान होती है। साधारणतया अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इसे एक स्वतंत्र कराधान विधि के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाता। इसे वास्तव में प्रगामी या प्रतिगामी विधियों के 'पूरक' के रूप में उपयोग में लाया जाता है। प्रत्येक कर चाहे वह प्रगामी हो या प्रतिगामी एक स्तर के बाद समानुपातिक हो जाता है।

> ***इन्हें भी जानें–***
>
> **मूल्य वर्द्धित कर (VAT)**
>
> जिस कर की वसूली मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण (उत्पादन वितरण) द्वारा की जाती है, उसे मूल्य वर्द्धित कर कहते है।

राज्य वैट– राज्य स्तर पर 'राज्य मूल्य आधारित कर' महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय हैं। राज्य मूल्य आधारित कर राज्यों के पहले बिक्री कर प्रणाली के स्थान पर लाया गया है वैट ***'राज्यों'*** के अंदर वस्तुओं के क्रय व विक्रय पर राज्य का विषय है, जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (राज्य सूची) की इन्ट्री संख्या 54 में निहित हैं। भारत सरकार ने 'अधिकार प्राप्त राज्य वित्त मंत्रियों की समिति (E C) का गठन किया है जो विक्रय कर सुधार/राज्य वैट, उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर– 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) भारत में एक कर प्रस्ताव है जिसकी सिफारिश विजय केलकर की अध्यक्षता वाले कार्य दल द्वारा की गयी थी। इसके अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके 'एकल वैट' बनाने की सलाह दी गयी है, जिसकी वसूली 'वैट विधि' पर की जायेगी।

Downloaded From www.dietmathura.org

केन्द्रीय सरकार के आय के स्रोत एवं व्यय की मदें

आय के साधन– भारत के संविधान की सातवीं तालिका में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की आय के साधनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान में केन्द्रीय सरकार के आय सम्बन्धी मुख्य साधनों को निम्न दो भागों में बाँटा गया है–

1. आय के कर–साधन
2. आय के गैर–कर साधन

केन्द्रीय सरकार की आय के कर साधन

भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–

1. प्रत्यक्ष कर
2. अप्रत्यक्ष कर

I. प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत प्रमुख कर आते हैं–

1. आयकर
2. निगम कर
3. उपहार कर
4. सम्पत्ति कर
5. मृत्यु या जायदाद कर

II. अप्रत्यक्ष कर

भारत सरकार द्वारा लगाये जाने वाले मुख्य अप्रत्यक्ष कर निम्नलिखित हैं–

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2. आयात–निर्यात कर या सीमा शुल्क
3. सेवा कर

भारत सरकार की आय के गैर–कर साधन

केन्द्रीय सरकार की आय के गैर–कर साधन निम्नलिखित है–

1. ब्याज प्राप्तियाँ
2. करेंसी तथा सिक्के

Downloaded From www.dietmathura.org

3. सामाजिक सेवायें
4. आर्थिक सेवायें
.5 प्रशासनिक सेवायें
6. डाक तथा तार विभाग
7. रेलें
8. सरकारी उद्योग–धंधे
9. विनिवेश

केन्द्रीय सरकार की व्यय की मदें

केन्द्रीय सरकार के व्यय को दो भागों में बाँटा जा सकता है–

1. राजस्व खाते का व्यय– इसमें प्रतिरक्षा, प्रशासन, सामाजिक सेवाओं, राज्यों को दिए जाने वाले सहायक अनुदानों तथा कर एकत्रित करने पर होने वाले खर्चे शामिल होते हैं। इन मदों पर करों, रेलों, डाक तथा तार व निर्माण कार्यों से प्राप्त आय ही व्यय की जाती है।

2. पूंजी खाते का व्यय– इसके अन्तर्गत निर्माण, विमान चालन, रेल, डाक व तार, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक हित तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर किए जाने वाले खर्चे शामिल होते हैं। यह खर्चे प्रायः सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त रकम में से किए जाते हैं। सार्वजनिक ऋणों का भुगतान भी इसी खाते से किया जाता है।

व्यय की मुख्य मदें

- प्रतिरक्षा सेवायें
- सामान्य सेवायें
- ऋण सेवायें
- सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें
- राज्य सरकारों को अनुदान
- कर वसूल करने पर व्यय
- कृषि तथा उद्योग
- ग्रामीण विकास तथा सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण
- ऊर्जा
- परिवहन तथा संचार व्यवस्था
- विज्ञान, प्राद्यौगिकी एवं पर्यावरण
- सब्सिडी

Downloaded From www.dietmathura.org

राज्य के कर

वे कर जो पूर्णतया राज्य सरकारों के अधिकार में आते हैं। भारत के सभी राज्यों की आय और व्यय के साधन एक जैसे ही हैं, केवल राज्यों की परिस्थितियों में अन्तर के कारण उनका सापेक्ष महत्व भिन्न–भिन्न हो जाता है। देश के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केन्द्र सरकार प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले एक 'वित्त आयोग' का गठन करती है। वित्त आयोग केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों के बँटवारे सम्बन्धी दिशा–निर्देश तथा सुझाव देता है।

> ***इन्हें भी जानें–***
>
> टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाये जाते है।

शिक्षा की दृष्टिकोण से बजट 2014–15 में रखे गये बिन्दु

जब से शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरु किया है और इसके लिए पिछले कुछ सालों से शिक्षा के बजट में बढ़ोत्तरी भी हुई है। इस बार बजट में शिक्षा के मद में 83771 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल के बजट से 12.13 प्रतिशत अधिक है। स्कूली शिक्षा में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई तो उच्च शिक्षा में 13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, वर्ष 2012–13 में शिक्षा का बजट 61.427 करोड़ और 2013–14 में 65.867 करोड़ रूपये था। इस तरह इस बार के बजट में 18 हजार करोड़ रूपये की राशि अधिक है। पर इसके बावजूद शिक्षा का बजट आज तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत नहीं हो पाया। पिछली सरकार की तरह इस सरकार ने भी इसे 6 प्रतिशत करने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है जबकि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2014–15 तक में बजट सकल घरेलू उत्पाद का महज 3.3 प्रतिशत ही रहा।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. बजट शब्द ***'बुगे'*** बना है:–

(क) फ्रांसीसी भाषा से (ख) चाइनीज भाषा से

(ग) जर्मन भाषा से (ग) इनमें से कोई नहीं।

2. प्रगामी कर वह है जिसमें–

(क) कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में घटता है।

(ख) कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में स्थिर रहता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

(ग) कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ता है।

(घ) इनमें से कोई नही।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

3. बजट किसे कहते हैं ?

4. विकासात्मक व्यय किसे कहते हैं ?

5. 'कर' से आप क्या समझते हैं ?

6. प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न

7. योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय किसे कहते हैं ?

8. गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ कौन–कौन सी हैं ?

9. संतुलित बजट किसे कहते हैं ?

10. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

11. बजट के कौन–कौन से प्रकार हैं ? विस्तार से लिखिए।

www.dietmathura.org

Downloaded From www.dietmathura.org

पंचवर्षीय योजनाएं

देश का आर्थिक विकास नियोजित ढंग से करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा 15 मार्च 1950 ई0 को योजना आयोग की विधिवत स्थापना कर दी गई। आयोग का मुख्यालय वर्तमान में योजना भवन पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में स्थित है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई। पंचवर्षीय योजनाएं दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की जाती हैं।

प्रमुख शिक्षण बिन्दु

- पंचवर्षीय योजनाएं क्या ?
- पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य बिन्दु।
- वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिन्दू।
- शिक्षा के दृष्टिकोण से 11वीं एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान।

भारत में पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य

- देश की गरीबी को दूर करने के लिए प्रत्येक योजना में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्दि करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- देश के विकास में जनसंख्या वृद्दि बहुत बड़ी बाधा है। अतः प्रत्येक योजना में जनसंख्या वृद्दि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
- सीमित उपलब्ध साधनों का अधिकतम और श्रेष्ठतम उपयोग योजनाबद्व तरीके से करना।
- रोजगार के अवसरों में वृद्दि करने तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से नये–नये उद्योगों की स्थापना करना, पुराने उद्योगों और कृषि का सुधार, सरकारी कारखानों की संख्या में वृद्दि, कुटीर उद्योगों का विस्तार करना आदि।
- भारत की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है अर्थात् इस बात का विशेष बल दिया जाता है कि आर्थिक विकास का लाभ कुछ लोगों को न मिलकर सम्पूर्ण समाज के विशेष रूप से पिछड़े और निर्धन लोगों को अधिक मिल सके।

11वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिन्दु

- 2012 तक सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ना और ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराना।
- सभी गाँवों व निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना।
- 2012 तक सभी भूमिहीनों को घर और जमीन उपलब्ध कराना।
- प्रजनन दर को घटाना।
- सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराना।
- रोजगार के अवसर पैदा करना।
- प्राथमिक शिक्षा में बीच में स्कूल जोड़ने वालों की संख्या कम करना।
- कृषि क्षेत्र में 4.0 प्रतिशत वार्षिक वृद्दि प्राप्त करना।
- मानव संसाधनों को विकसित करना।
- पर्यावरण की सुरक्षा करना।
- महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण करना।

Downloaded From www.dietmathura.org

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के मुख्य लक्ष्य

- वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8.0 प्रतिशत रखा गया है।
- कृषि क्षेत्र में 4.0 प्रतिशत एवं विनिर्माण क्षेत्र में 10.0 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित है।
- योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के पाँच करोड़ नये अवसरो का सृजन।
- योजना के अन्त तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आंकलन की तुलना में 10 प्रतिशत बिन्दु की कमी लाना।
- योजना के अन्त तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाने तथा 0–6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य।
- योजना के अन्त तक कुल प्रजनन दर को 2.1 तक लाना।
- योजना के अन्त तक आधारित संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जी0डी0पी0 के 9 प्रतिशत तक लाना।
- योजना के अन्त तक सभी गांवों में विद्युतीकरण।
- योजना के अन्त तक सभी गांवो को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीडेंसिटी को बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना।

योजना एवं योजना अवधि	लक्षित विकास दर (प्रतिशत)	प्राप्त विकास दर (प्रतिशत)	प्राथमिकता के क्षेत्र
पहली योजना (1951–56)	2.1	3.7	कृषि क्षेत्र
दूसरी योजना (1956–61)	4.5	4.2	भारी उद्योग
तीसरी योजना (1961–66)	5.6	2.8	खाद्यान्न
चौथी योजना (1969–74)	5.7	3.4	कृषि, सिंचाई
पाँचवी योजना (1974–79)	4.4	4.9	जन स्वास्थ्य, जन कल्याण
छठवीं योजना (1980–85)	5.2	5.4	कृषि, ऊर्जा
सातवी योजना (1985–90)	5.0	5.6	ऊर्जा, खाद्यान्न
आठवी योजना (1992–97)	5.6	6.6	मानव संसाधन विकास
नौवी योजना (1997–2002)	6.5	5.7	सामाजिक न्याय, ग्राम्य विकास
दसवी योजना (2002–2007)	7.9	7.6	सामाजिक अवसंरचना का विकास
ग्यारहवी योजना (2007–2012)	9.0	8.0	त्रीवतर वृद्धि के साथ समावेशी विकास
बारहवी योजना (2012–2017)	8.09	–	त्वरित, सम्पोषणीय एवं अधिक समावेशी संवृद्धि

Downloaded From www.dietmathura.org

नियोजन के मार्ग में कठिनाइयाँ

- जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गति धीमी रही है।
- मूल्यों में निरन्तर होने वाली वृद्धि के कारण योजनाओं की लागत तेजी से बढ़ रही है।
- सार्वजनिक उपक्रमों का निष्पादन घटिया और अकुशल रहा है।

योजना को सफल बनाने के सुझाव निम्न हैं–

- शिक्षा प्रणाली को कार्यपरक बनाना चाहिए।
- जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
- आर्थिक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
- गांवों में गैर कृषि क्षेत्रों में (दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन, कुटीर उद्योग) का विकास किया जाना चाहिए।

11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों की दर (ड्राॅपआउट रेट) को वर्ष 2003–2004 में 52.2 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2011–12 तक 20 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने के न्यूनतम मानक स्तरों को प्राप्त करना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से जाँच करते रहना।
- 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना।
- साक्षरता में लिंग अन्तराल (जेण्डर गैप) को 10 प्रतिशतांक तक नीचे लाना।
- प्रत्येक आयु वर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के अनुपात को वर्तमान में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 वीं योजना के अन्तिम वर्षतक 15 प्रतिशत करना।

12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

- 12वीं योजना के अन्त तक शिक्षा प्राप्त करने की माध्य आयु को बढ़ाकर 7 वर्ष करना।
- अर्थव्यवस्था की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या के प्रत्येक आयु वर्ग को उसकी जरूरतों के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रत्येक आयु वर्ग हेतु 20 लाख अतिरिक्त स्थान सृजित कर उच्च शिक्षा तक पहुँच बनाना।
- 12वीं योजना के अन्त तक शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक अन्तराल (बालक और बालिकाओं के बीच, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों एवं शेष जनसंख्या के बीच) समाप्त करना।

Downloaded From www.dietmathura.org

योजना आयोग बना नीति आयोग

1950 के दशक में गठित योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन संस्था ***"राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान"*** (National Institution for Transforming India- NITI) का गठन 1 जनवरी 2015 से किया गया है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के बौद्धिक संस्थान (Think Tank) के रूप में कार्य करेगा। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार के साथ–साथ नीति आयोग राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह भी प्रदान करना इस आयोग के दायित्वों में सम्मिलित है।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है–

(क) 1980–85 (ख) 1992–97

(ग) 2007–12 (घ) 2012–17

2. प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था–

(क) कृषि विकास (ख) औद्योगिक विकास

(ग) अवसंरचना विकास (घ) ऊर्जा सुरक्षा

3. वर्तमान पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर लक्षित है–

(क) 2.0 प्रतिशत (ख) 3.0 प्रतिशत

(ग) 8.0 प्रतिशत (घ) 4.0 प्रतिशत

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

4. नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है ?
5. 12 वीं योजना के अन्त तक कुल प्रजनन दर कितना लक्षित है?
6. 12 वीं योजना का प्राथमिकता का क्षेत्र किसे निर्धारित किया गया है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

7. योजना आयोग एवं नीति आयोग में क्या अन्तर है ?
8. साक्षरता में लिंग अन्तराल से आप क्या समझते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9. 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा कीजिए।
10. नीति आयोग के वर्तमान स्वरूप व कार्यों की विवेचना कीजिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था

एक देश के मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्था को मौद्रिक संस्था कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति सरकार या केन्द्रीय बैंक के द्वारा होती है। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग होने से लोग अपनी मुद्रा के बैंकों को जमा के रूप में रखते हैं। इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और साख का निर्माण होता है। सरल शब्दों में बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा के रूप में रूपया स्वीकार करती है एवं जमा किये गये धन का भविष्य में भुगतान करने का वचन देती है। व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं सामान्य जनता को ऋण तथा अग्रिम के रूप में रूपया उधार देती है एवं जनता को साख सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।

शिक्षण के प्रमुख बिन्दु

- बैंक व उसके प्रकार
- भारतीय रिजर्व बंक
- स्टेट बैंक
- भूमि विकास बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- नाबार्ड
- ई–बैंकिग
- बैंको का राष्ट्रीयकरण व निजीकरण
- आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व

वर्तमान में बैंकों के कार्य क्षेत्र को देखते हुए बैंक को परिभाषित करना अत्यन्त कठिन कार्य है, क्योंकि आधुनिक बैंकों का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसे किसी परिभाषा में वर्णित नहीं किया जा सकता। बैंकों के कार्य क्षेत्र में निरन्तर विस्तार हो रहा है, जिसके कारण अभी तक कोई सर्वमान्य या स्थायी परिभाषा नही दी जा सकी। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा के लेन–देन का कार्य करती है तथा साख का प्रसार करती है। साख का प्रसार करने वाली निम्न दो प्रकार की संस्थाएँ हैंः–

1. **असंगठित क्षेत्र–** इसमें देशी बैंकर या साहूकार आते हैं।

2. **संगठित क्षेत्र–** ये निम्न प्रकार के होते हैं–

- रिजर्व बैंक
- वाणिज्यिक बैंक
- विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ
- गैर बैंकिग वित्तीय संस्थाएँ

1. देशी बैंकर या साहूकार

यह प्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही है जिसमें धनवान व्यक्ति द्वारा उधार दिया जाता है जिसे साहूकार कहते हैं।

2. रिजर्व बैंक

इसको केन्द्रीय बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य नोट जारी करना है। यह सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है। इसका कार्य मुद्रापूर्ति पर नियन्त्रण रखना है। यह सभी बैंकों और साख को नियन्त्रित करती है।

Downloaded From www.dietmathura.org

वाणिज्यिक बैंक– भारत में व्यापार में इन बैकों का काफी महत्व है। यह बैंक व्यापारियों को ऋण प्रदान करते हैं। इसके इस्तेमाल से व्यक्ति अपना कारोबार शुरु कर सकता है।

विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ– स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश में कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ भी स्थापित की गईं जिसमें औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनिमय प्रमुख हैं।

गैर–बैंकिग वित्तीय संस्थाएँ– ये संस्थाएँ जनता से ऋण प्राप्त करती हैं, उधार देती हैं, निवेश करती हैं और बैंकों जैसे अन्य कार्य करती हैं। जैसे चेक से रूपया निकालना, बैंक ड्राफ्ट जारी करना आदि इसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि मुख्य हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक– भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया (आर0बी0आई0) की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 मे द्वारा 1 अप्रैल, 1935 को पाँच करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से हुई थी। इस केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण सरकार द्वारा 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय **मुम्बई** में है। इसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित 10 ऐसे निर्देशक होते है जो देश के आर्थिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है।

रिजर्व बैंक के कार्य

कार्यों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है–

- नोट निर्गमन का एकाधिकार
- साख नियन्त्रण

1. नोट निर्गमन का एकाधिकार– भारतीय रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार है। करेन्सी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपये के मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य (धातु तथा मुद्रा मिलाकर) 115 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक 5, 10, 20, 50, 100, 500 तथा 1000 रूपए के नोट निकाल रहा है।

2. साख नियन्त्रण– भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण शक्ति को नियन्त्रित करना है ताकि देश में मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित किया जा सके। साख नियन्त्रण के माध्यम से रिजर्व बैंक देश की अर्थ व्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास करता है ताकि आर्थिक उच्चावचनों से बचा जा सके।

Downloaded From www.dietmathura.org

रिजर्व बैंक की सफलताएं

राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक ने जो भी कार्य किया है उन्हें इसकी सफलताओं की संज्ञा दी जा सकती है। इन सफलताओं का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत करते हैंः–

- **सरकारी बैंक के रूप में कार्य–** सरकार के समस्त आय के एकत्रीकरण तथा व्ययों के भुगतान का कार्य यह बैंक कुशलतापूर्वक करता चला आ रहा है।
- **बैंकों के बैंक के रूप में कार्य–** रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के रूप में भी अत्यन्त सफल रहा है। परिणामस्वरूप अब तक कोई बैंक असफल नहीं हुआ है।
- **सरकार का सलाहकार–** भारत में आर्थिक नियोजन आरम्भ होने के समय से ही रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ, भारत की कृषि साख, औद्योगिक वित्त नियोजन, विदेशी व्यापार आदि विषय में सलाह देते रहे हैं।
- **मौद्रिक नीति–** देश के आर्थिक विकास में केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। एक उचित मौद्रिक नीति अपनाकर रिजर्व बैंक आर्थिक उच्चावचनों को नियन्त्रित करता है।
- **नोट का निर्गमन–** रिजर्व बैंक को प्रारम्भ से ही नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। देश में व्यापार एवं उद्योग की मात्रा को देखते हुए रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है।
- **कृषि साख व्यवस्था–** भारत में कृषि व्यवसाय के तीव्र विकास की दिशा में रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्तमान में यह दायित्व नाबार्ड (NABARD) उठा रहा है।
- **आँकड़ों का प्रकाशन–** रिजर्व बैंक का सांख्यिकी विभाग अपनी मासिक पत्रिका तथा वार्षिक प्रकाशनों में इतने अधिक अंक प्रकाशित करता है जिससे अंकों से सरकार, औद्योगिक संस्थाओं तथा अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों को बहुत सहायता मिलती है।

भारतीय स्टेट बैंक

1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीकरण करके उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का नाम दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के बावजूद इम्पीरियल बैंक ने कृषि क्षेत्र सम्बन्धी साख आवश्यकताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वास्तव में इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का यह एक प्रमुख कारण था। इम्पीरियल बैंक का प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में था, सभी उच्च पदों पर विदेशी कर्मचारी थे तथा भारतीय कम्पनियों को ऋण देने में भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। इसलिए राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रह गया था। इम्पीरियल बैंक की अधिकांश पूंजी विदेशियों की थी, इसलिए लाभ का एक बड़ा भाग विदेशों में चला जाता था। भारतीय पूंजी का भी विनियोजन अधिकतर विदेशों में किया जाता था। स्टेट बैंक बन जाने से यह धन देश में ही रहने लगा और इसका प्रयोग राष्ट्रीय हित के कार्यों में होने लगा।

भारतीय स्टेट बैंक के कार्य

स्टेट बैंक केन्द्रीय बैंक नहीं है, लेकिन यह उन सभी स्थानों पर है जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं है, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी निम्नलिखित कार्यों को करता है–

Downloaded From www.dietmathura.org

- स्टेट बैंक सरकार की ओर से दिए गए आदेशानुसार विभिन्न भुगतानों को करता है तथा सरकार द्वारा लिए जाने वाले करों एवं सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करता है, धनराशि का हस्तान्तरण करता है। यह केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से जनता से धनराशि प्राप्त करता है। इस प्रकार यह सरकार का बैंकर भी है।
- स्टेट बैंक व्यापारिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण देता है।
- स्टेट बैंक रिजर्व बैंक की ओर से अन्य बैंकों से धन के स्थानान्तरण के लिए अत्यन्त सुलभ व सस्ती सुविधाएँ भी प्रदान करता है। स्टेट बैंक व्यापारिक बैंक के रूप में सामान्य बैंकिंग सम्बन्धी निम्नलिखित कार्य करता है–
- यह बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति जनता से विभिन्न खातों द्वारा जमा पर धन प्राप्त करता है। व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण देता है। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक निम्नलिखित कार्य भी करता है–
    - सोने व चांदी का क्रय करना।
    - बहुमूल्य धातुओं को सुरक्षित रखना।
    - यात्री चेक जारी करना।
    - लघु उद्योगों एवं सहकारी समितियों को उदार शर्तों पर विशेष ऋण सुविधा देना।
    - किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देना।
    - सहकारी बैंकों के एजेण्ट का कार्य करना।
    - रिजर्व बैंक की ओर से सौपे गये कार्य करना।

भारतीय स्टेट बैंक की सफलताएँ–

- भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं का तीव्र गति से विस्तार हुआ है।
- ग्रामीण उद्योग परियोजना (Rural Industries Project) में स्टेट बैंक ने नियमित एवं गहन रूप से उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है।
- भारतीय स्टेट बैंक की जमा राशि और उसके द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों में काफी वृद्धि हुई है।
- स्टेट बैंक न केवल लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता दी है, वरन् बड़े उद्योगों को भी सहायता प्रदान की है। सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों में प्रमुख उद्योग हैं–लोहा एवं इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रबर एवं रबर उत्पाद एवं चीनी उद्योग।
- स्टेट बैंक भारत सरकार द्वारा निर्देशित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की दिशा में सहायता कर रहा है।
- उचित योजनाओं के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया है।
- स्टेट बैंक की कुछ नयी योजनाएँ हैं– (1) लघु कृषक योजना (2) गाँवों को गोद लेना (3) कृषि विकास शाखाएँ।

(1) लघु कृषक योजना में पशुपालन तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिए ऋण दिए जा सकते हैं। भूमि विकास के लिए मध्यकालीन ऋण दिये जा सकते हैं।

(2) गाँवों को गोद लेने वाली योजना में किसी एक गाँव की सम्पूर्ण कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गाँव को गोद लेने के सम्बन्ध में गाँव या गाँव के समूह को चुन लिया जाता है। इसके पश्चात सर्वेक्षण द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। गाँवों को गोद लेने की योजना से कम समय में अधिक मात्रा में कृषि साख प्रदान की गई।

Downloaded From www.dietmathura.org

(3) खेती के विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के लिए स्टेट बैंक ने अनेक कृषि विकास शाखाएँ खोली हैं। प्रत्येक शाखा में कृषि और तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। रिजर्व बैंक इस योजना के लिए स्टेट बैंक को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे रहा है।

- स्टेट बैंक उन कृषि स्नातकों एवं इंजीनियरों को भी ऋण प्रदान करता है जो कृषि विकास की नई योजना प्रस्तुत करते हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हैं।
- स्टेट बैंक लघु उद्योगों को मशीन खरीदने के लिए ऋण देता है, जिसका भुगतान आसान किस्तों में किया जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक का महत्व

स्टेट बैंक की स्थापना होने से वित्तीय क्षेत्र में विदेशी बैंकों के प्रभाव का अन्त हो गया है। इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारतीयों के शोषण और उनके साथ भेदभाव की समस्या का अन्त हो गया है।

बैंक रहित क्षेत्रों में अधिकाधिक शाखाएँ विकसित करके स्टेट बैंक ने बैंकिग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है।

- आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों की सहायता करके स्टेट बैंक ने देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य को पूरा किया है।

भूमि विकास बैंक (Land Development Bank)

भूमि विकास बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, दीर्घकालीन साख का ढाँचा सभी राज्यों में एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में केन्द्रीय तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंक दोनों होते हैं पर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां प्राथमिक भूमि विकास बैंक नहीं हैं, उन राज्यों में इनके स्थान पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक की शाखायें हैं। भूमि विकास बैंक की पूंजी अंशपूंजी, जमा, ऋणपत्रों के निर्गमन आदि से प्राप्त होती है। नाबार्ड द्वारा पुनर्वित की सुविधा से भूमि विकास बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि हुई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank)

ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन एवं कमजोर वर्गों के किसानों एवं कारीगरों को सरल एवं सुविधाजनक ढंग से वित्त उपलब्ध कराने की दृष्टिसे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये थे। बाद में इनका तेजी से विस्तार हुआ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना तथा क्षेत्र के पिछड़े हुए वर्गों को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना।

Downloaded From www.dietmathura.org

- ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधाओं की कमी को दूर करना।
- ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के कार्य

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र एक अथवा दो जिलों तक सीमित होता है तथा इसका साख विस्तार भी जिले की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाता है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेष रूप से छोटे किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे उद्यमियों तथा अन्य पूँजी वाले व्यापारियों व निर्माताओं को ऋण व अग्रिम प्रदान करने के लिए स्थापित किये गये हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों ने ग्रामीण जनता के घर–घर तक बैंकिग सेवायें उपलब्ध करायी हैं। इन बैंकों ने दूर–दराज और अलग–थलग पड़े गाँवों में अपनी शाखाएँ खोली हैं जहाँ बैंकिग सुविधाएँ नहीं हैं। 2 अक्टूबर 1975 में उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, राजस्थान में जयपुर, हरियाणा में भिवानी और पश्चिम बंगाल में मालदा में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलकर शुरुआत हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है। इन बैंकों द्वारा दुर्गम यातायात की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में भी बैंक स्थापित कर कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान में देश के लगभग 23 राज्यों के सभी जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके हैं। सर्वाधिक शाखाएँ उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमियाँ व समस्याएँ

यद्यपि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिर भी इन बैंकों के समक्ष कुछ कमियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं:–

- इन बैंकों के विस्तार में क्षेत्रीय असमानता है। इसकी अधिकांश शाखाएँ कुछ ही प्रान्तों में स्थित हैं जो उचित नहीं हैं।
- अकुशल प्रबन्ध एवं प्रशासन के अभाव में देश में कार्यरत अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के देय ऋणों की वसूली बहुत कम हुई है। इसका प्रमुख कारण लापरवाही, ऋणों का दुरूपयोग, कर्मचारी सम्बन्धी आन्दोलन आदि हैं।
- इन बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की अपेक्षा कम सुविधाएँ तथा भावी प्रोन्नति के कम अवसर प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप ये कर्मचारी रुचि लेकर कार्य नहीं करते तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रति उदासीन रहते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोरियों को दूर करने के उपाय

- इन बैंकों की शाखाओं का विस्तार सम्पूर्ण देश में किया जाना चाहिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

- स्वीकृत ऋणों के प्रयोग पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि ऋण का प्रयोग उसी कार्य में हो जिस कार्य के लिए लिया गया है।
- वित्तीय समस्या को दूर करने के लिए इन बैंकों को रिजर्व बैंक अथवा अन्य प्रायोजन बैंकों से रियायती दरों पर आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध कराना चाहिए।

नाबार्ड (NABARD)

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

(NATIONAL BANK FOR AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT)

कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति में वृद्धि करने एवं विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया जिसे 30 दिसम्बर 1981 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। 12 जुलाई 1982 को इस बैंक की विधिवत स्थापना कर दी गई। इस बैंक की अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रूपये थी जिसे अब बढ़ाकर 5000 करोड़ रूपये कर दिया गया है। नाबार्ड का भारतीय रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध है।

नाबार्ड के कार्य

मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं–

- कृषि विकास के लिए यह बैंक सर्वोच्च बैंक है।
- इस बैंक को वे सभी कार्य दिए गए हैं जो रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किए जाते हैं।
- यह बैंक सभी एजेन्सियों के कार्य में समन्वय करते हुए कृषि साख का विस्तार करता है।
- यह बैंक कृषि के सम्बन्ध में सभी प्रकार की साख की व्यवस्था करता है। जैसे– उत्पादन व विपणन ऋण, राज्य सरकारों की ऐसी ही संस्थाओं के पूंजी लाभ के लिए ऋण।
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अनुसंधान व विकास फण्ड रखता है ताकि कृषि व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सके तथा विभिन्न इलाकों की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना को बनाया जा सके।

नाबार्ड के कार्य की प्रगति

कृषि वित्त के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शीर्षस्थ बैंक है। इसलिए वह किसानों व अन्य ग्रामीण जनता को सीधे सहायता प्रदान नहीं करता अपितु सहकारी संस्थाओं, व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।

अपनी स्थापना के समय से नाबार्ड राज्य सहकारी बैकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और राज्य सरकारों को अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋण के लिए पुनर्वित सुविधाएं प्रदान कर रहा है। नाबार्ड राज्य सहकारी बैकों को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को मुख्य रूप से अल्पावधि का ऋण प्रदान करता है। जबकि राज्य सरकार को दीर्घावधि ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

नाबार्ड की समस्याएं

निम्नलिखित समस्याएं हैं–

- वर्तमान में नाबार्ड के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋणों की वसूली है।
- वित्तीय संस्थाएं अनेक बार राष्ट्रीय नीति में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं जिसके कारण उपलब्ध वित्त कृषि विकास कार्यों में प्रयुक्त न होकर गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगते हैं।
- राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय की आवश्यकता है जो कृषि साख के प्रवाह को प्रभावित करती है। यह जिम्मेदारी रिजर्व बैंक को ही उठानी पड़ेगी।

ई–बैंकिग

ई–बैंकिंग को इन्टरनेट बैंकिग भी कहते हैं। ई–बैकिंग एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने कम्प्यूटर द्वारा अपने बैंक नेटवर्क और वेबसाइट का प्रचालन कर सकता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैंक सुविधा का लाभ उठा सकता है। व्यक्ति अपने घर या कार्यालय में बैठकर बैंक से सम्बन्धित समस्त कार्य कर सकता है। ई–बैंकिंग को ऑनलाइन भी कहते हैं। ऑनलाइन बैंकिग इन्टरनेट पर बैंकिंग सम्बन्धी मिलने वाली एक सुविधा है जिसके माध्यम से कम्प्यूटर का इस्तेमाल कर उपभोक्ता बैंकों के नेववर्क और उसकी वेबसाइट पर अपनी पहुँच बना सकता है और घर बैठे ही खरीददारी, पैसे के स्थानान्तरण के अलावा अन्य तमाम कार्य जैसे बैंक में एकाउन्ट खुलवाना, ड्राफ्ट बनवाना, बैलेंस का पता लगाना, शापिंग करने की सुविधा का लाभ उठा सकता है। टिकट बुक करना, टैक्स पेमेंट करना, बिल पेमेन्ट करना, बिजली, पानी, हाउस टैक्स, टेलीफोन बिल, मोबाइल रिचार्ज करना आदि सुविधाओं का लाभ ग्राहक घर बैठे या कहीं से भी उठा सकता है।

ऑनलाइन की सुविधा होने से ग्राहक को बैंक नहीं जाना पड़ता, अर्थात् समय की बचत हो जाती है। ऑनलाइन सुविधा होने से पेपर की बचत होती है। बैंक की तरह इसमें समय की बाध्यता नहीं होती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से करोड़ों रूपये का लेनदेन किया गया, किन्तु इस लाभ के साथ–साथ आजकल फिशिंग द्वारा तकनीकी के दुरूपयोग से इन्टरनेट के जालसाज लोगों के खातों को हैक कर उन्हें हानि पहुँचा रहे हैं।

ऐसे में आवश्यकता है कि नेट बैकिंग के प्रयोग में अत्यन्त सावधानियाँ बरती जाएं। नेट बैंकिंग का प्रयोग करते समय उपभोक्ता को यू.आर.एल. की जांच कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन बैंकिग में क्रेडिट कार्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है।

Downloaded From www.dietmathura.org

नेट बैंकिंग के लिए उपभोक्ता को चाहिए कि वे इस सेवा का बाहर प्रयोग न करें। नेट बैंकिग के लिए इंटरनेट कैफे और साझे कम्प्यूटर का प्रयोग इस सुविधा हेतु कम करें और यदि कैफे या साझे कम्प्यूटर का प्रयोग करते भी हैं तो अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें। यह सुरक्षित तरीका होता है। उपभोक्ता अपने कम्प्यूटर सिस्टम को सीधे बंद न करें। प्रायः लोग ब्राउजर बंद कर कम्प्यूटर सीधे बंद कर देते हैं जो असुरक्षित हो सकता है। हमेशा कम्प्यूटर सिस्टम ठीक से लॉग ऑफ करें। इसके अलावा अपने पासवर्ड का पूरा एवं उचित व सुरक्षित उपयोग करें। अपने पासवर्ड को किसी कागज पर न लिखें इसे सरलता से हैक किया जा सकता है। अपने मशीन में पावर ऑन डाल पासवर्ड डाल दें ताकि उनके अलावा कोई और मशीन का प्रयोग न कर सके। सिस्टम पर स्क्रीन सेवर पासवर्ड डाल दें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बैंकिग सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण व निजीकरण

राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य बैंकिग व्यवसाय का सन्तुलित विकास, उपेक्षित क्षेत्रों का विकास, साख मुद्रा का उचित नियन्त्रण, राष्ट्रहित में साख का प्रयोग, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, अस्वस्थ प्रतियोगिता का अन्त, बैंकरहित इलाकों जैसे गाँव में बैक की नई शाखाएं खोलना और कृषि, लघु उद्योग, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में उत्साहवर्द्धक उपलब्धियाँ हुई हैं। व्यापारिक बैंकों की शाखाओं में काफी वृद्वि हो गई है। किसानों, लघु उद्योगपतियों, स्वरोजगार वाले छोटे व्यापारियों, पिछड़े व दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों जैसे रिक्शा चालकों आदि को आसान शर्तों पर उदारता पूर्वक ऋण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों पर बड़े–बड़े पूँजीपतियों का एकाधिकार भी समाप्त हो गया है और बैंक प्रबन्ध में सुधार हुआ है।

प्रशिक्षुओं से स्वतंत्रता के उपरान्त राष्ट्रीयकृत किए गए बैंको एवं निजी क्षेत्र के बैंकों पर सविस्तार चर्चा कीजिए।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लाभ

यह देखने को मिला है कि जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उनकी कार्यकुशलता में गैर–राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा अधिक वृद्वि हुई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात सरकार की ऋणनीति में भी उदारता आई है जिसके फलस्वरूप अब बैंकों द्वारा छोटे उद्योग–धन्धों की स्थापना के लिए भी ऋण दिए जाने लगे हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से समाजवाद को बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूँजी का उपयोग केवल पूँजीपतियों के लिए ही नहीं अपितु आम जनता की उन्नति के लिए किया जाने लगा है।

Downloaded From www.dietmathura.org

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न समस्याएँ

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं जैसे सरकारी नौकरी हो जाने से कुछ बैंक कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी आई है क्योंकि अब वे लापरवाही बरतने लगे हैं। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लम्बी एवं जटिल हो गई है जिससे बैंकों की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। बैंकों के संचालन व प्रबन्ध में राजनीतिज्ञों का प्रवेश हो गया है जिससे समस्त पूँजी पुनः कुछ हाथों में जाने का भय हो गया है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने हेतु सुझाव

बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ग्राहकों द्वारा दिए जाने वाले सुझाव पर ध्यान देना चाहिए। समाज के पिछड़े एवं दुर्बल वर्गों के लिए नई–नई योजनाएं लागू करना चाहिए। बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहिए। बैंक के प्रबन्ध को राजनीति के प्रवेश, नौकरशारी एवं भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सफलताएँ

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों के निक्षेपों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा बैंकों के संचालन मण्डलों में बड़े–बड़े व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का आधिपत्य समाप्त हो गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने छोटे व्यापारियों, रिक्शा, ताँगा एवं टैम्पो आदि चलाने वाले तथा सामान्य व्यक्तियों को पहले की अपेक्षा अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खुल जाने से लोगों में बैंकिंग आदतों में वृद्धि हुई है। अतः बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सर्वसाधारण को लाभ ही हुआ है।

> ***इन्हें भी जानें***
>
> **स्वाभिमान योजना–**
>
> - देश के दूर–दराज के इलाकों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने की योजना।
>
> **प्रधानमंत्री जनधन योजना**
>
> - यह एक व्यापक वित्तीय समावेशन आधारित राष्ट्रीय मिशन है। पी0एम0जे0डी0वाई0 का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के बैंक खाते के साथ देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व

वर्तमान युग में बैंक वित्तीय सलाहकार, प्रतिनिधि तथा व्यवस्थापक का कार्य करते हैं, व्यापार एवं उद्योग के लिए यथोचित मात्रा में पूंजी की व्यवस्था करते हैं, समाज की बचतों का एक स्थान पर संग्रह करके उन्हें उपयोगी क्षेत्रों में विनियोजित करते हैं तथा देश की आर्थिक योजनाओं के लिए यथासमय धन की व्यवस्था करके देश के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान करते हैं अर्थात् बैंक के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता हैः–

Downloaded From www.dietmathura.org

- बैंक लोगों में बैंकिग आदतों का विकास करते हैं।
- बैंक में जमा की गई बचतों का उत्पादक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।
- बैंक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का कार्य करते हैं।
- बैंक साख मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न कर सकते हैं अर्थात् आवश्यकतानुार मुद्रा का संकुचन व प्रसार करते हैं।
- बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं। ग्राहक अपने धन व बहुमूल्य वस्तुओं को लॉकर में रख सकते हैं।
- बैंक, कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को ऋण देकर देश में उत्पादन तथा रोजगार को बढ़ावा देते हैं।
- विदेशी बैंक विदेशी मुद्राओं का लेन–देन करके विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्था को कहते हैं ?

(क) मौद्रिक संस्था (ख) अमौद्रिक संस्था

(ग) वित्त प्रदान करने वाली संस्था (घ) इसमें से कोई नहीं

2. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना कब हुई थी ?

(क) 1935 ई0 (ख) 1944 ई0

(ग) 1960 ई0 (घ) 1920 ई0

3. भारतीय स्टेट बैंक कार्य करता है ?

(क) सोने व चाँदी क्रय करना (ख) रिजर्व बैंक के द्वारा सौंपे गये कार्य को करना

(ग) किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देना (घ) उपर्युक्त तीनों कार्य करना

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य है ?

(क) ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े हुए वर्गों को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना (घ) उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं।

Downloaded From www.dietmathura.org

5. ई–बैकिंग है–

(क) इंटरनेट बैंकिंग (ख) नेट बैंकिंग

(ग) आनलाइन बैंकिंग (घ) सभी कथन सही हैं।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

7. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?

8. 2007–2012 की अवधि किस पंचवर्षीय योजना की थी ?

9. नाबार्ड का पूरा नाम लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

10. भारतीय स्टेट बैंक के कोई दो कार्य लिखिए।

11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे कहते हैं?

12. नाबार्ड की कोई दो समस्या लिखिएं।

13. ई–बैंकिंग से होने वाले लाभ तथा हानि को लिखिए।

14. रिजर्व बैंक के वर्जित कार्यों को लिखिए।

15. बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं निजीकरण पर अपने मत व्यक्त करिए।

Downloaded From www.dietmathura.org

www.dietmathura.org

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- एन0सी0ई0आर0टी0ी — पाठ्यपुस्तक
- ग्रोवर एण्ड ग्रोवर
- विपिन चन्द्रा

  6 से 8 तक की पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन
- आर्थिक भूगोल — काशीनाथ सिंह एवं जगदीश सिंह
- भारत का भूगोल — डी0 आर0 खुल्लर
- भूगोल कक्षा 6, 7,8 —एन0सी0ई0आर0टी0
- भूगोल कक्षा 6,7,8 —पृथ्वी और हमारा जीवन
- भूगोल — सुरेश प्रसाद
- एन0सी0ई0आर0टी0ी — कक्षा 11,12
- भारत का संविधान — डॉ0 डी0डी0बसु
- तुलनात्मक राजनीति — डॉ0 बी0एल0फाड़िया
- भारतीय अर्थव्यवस्था — रमेश सिंह
- योजना (अंक 8) योजना भवन, संसद भवन नयी दिल्ली (अगस्त 2014)
- इण्टरमीडिएट अर्थशास्त्र के सिद्धान्त— सूर्य प्रकाश गुप्त
- अर्थशास्त्र के सिद्धान्त —डॉ0 वी0पी0 सिन्हा
- सामाजिक विज्ञान — राजीव प्रकाशन
- अर्थशास्त्र के सिद्धान्त — विनीत मिश्र

Downloaded From www.dietmathura.org